Friday, 16 March, 1962

# लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

**[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]**

**2nd Lok Sabha**

Preservation Fumigated On Parliament Library

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

( खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं )

Preservation Unit. Fumigated On Parliament Library

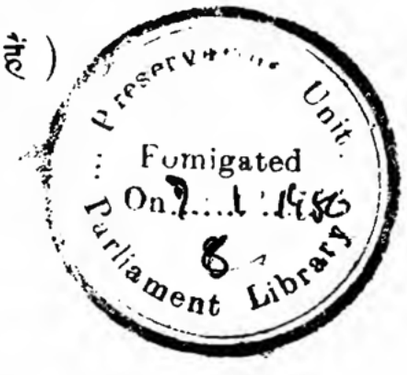

**लोक-सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

द्वितीय माला

विषय–सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक) ]


पृष्ठ

**अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान ( बारहवां संशोधन ) विधेयक . १४–१५

(२) गोआ, दमन और दीव ( प्रशासन ) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता ( संशोधन ) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

**अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें ( सामान्य), १९६१–६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें ( रेलवे), १९६१–६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन . . . . ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

राज्य वित्त निगम ( संशोधन ) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७—७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी ( रोज़गार का विनियमन ) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९—८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६–८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे ( दूसरा संशोधन ) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७—९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . . . . ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३—९६

**अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७—११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९—३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . १३४–३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

| | |
|---|---|
| | पृष्ठ |
| कार्य मंत्रणा समिति | |
| अड़सठवां प्रतिवेदन . . | १३६–३७ |
| संसिधान ( बारहवां ) संशोधन विधेयक . . . | १३७—४७ |
| क्विचार करने का प्रस्ताव . . . | १३७—४७ |
| खंड २, ३ और १ | १४५–४६ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . | १४६ |
| गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक | १४७–५६ |
| विचार करने का प्रस्ताव . | १५६ |
| खंड २ से ११ और १ . . | १५६ |
| पारित करने का प्रस्ताव | |
| सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन | १६०—६८ |
| वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित . | १६८ |
| दैनिक संक्षेपिका | १६९—७३ |

**अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —**

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८ . . . . . | १७५—९७ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५९ और ६० | १९७—२०० |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६ | २००—१३ |
| पटल पर रखे गये पत्र . . . . | २१३–१६ |
| विधेयकों पर राय . . . . . | २१६ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ बावनवां प्रतिवेदन . | २१६ |
| विधेयक पुरस्थापित— | |
| (१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . | २१६–१७ |
| (२) सम्पदा शुल्क ( वितरण ) विधेयक | २१७ |
| (३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क ( विशेष महत्व की वस्तुयें ) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . | २१७ |
| दैनिक संक्षेपिका . | २५६—६१ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | २१८—५५ |

पृष्ठ

**अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ६१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . . . . ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

**अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ . | ३८८—४०० |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| रेलवे दुर्घटनायें . . . | ४०१–०२ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . | ४०२–०३ |
| विधेयकों पर राय . . . | ३०३ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . . | ४०३ |
| लोक लेखा समिति— | |
| इकतालीसवां प्रतिवेदन . . . . | ४०४ |
| सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . . | ४०४ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . | ४०४ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . | ४०४–१२, ४२७–३७ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ . | ४१२—२६ |
| विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित . | ४२६–२७ |
| संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . | ४३८—४१ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ४३८–३९ |
| खंड २ से ६ और १ . . . . . | ४३९ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | ४३९—४१ |
| सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . | ४४१–४२ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | ४४२ |
| अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक . | ४४२—४५ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . | ४४२ |
| दनिक संक्षेपिका . . . . . | ४४३—४७ |

**अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

| | |
|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . . | ४४९—७० |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर--** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९ . . . . | ४७०—७५ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६९, १७१ से १९३, १९५ और १९६ | ४७५—९५ |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . | ४९५—९९ |
| प्राक्कलन समिति-- | |
| एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . . | ४९९ |
| तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . . | ४९९—५०० |
| अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक . | ५०१—०३ |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ५०१–०२ |
| खंड २ से ४ और १ . . | ५०३ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . | ५०३ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . . | ५०३—१३ |
| विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित . | ५१३—१४ |
| सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . | ५१४—३४ |
| दैनिक संक्षेपिका . | ५३५—४१ |
| **अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५० . . . . | ५४३—६४ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर-- | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७ . . . . . | ५६४—७० |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४० | ५७०—८७ |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . . | ५८७–८८ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- | |
| कच्चे पटसन का मूल्य . . . . | ५८८ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . | ५८८–८९ |
| राज्य सभा से सन्देश | ५९० |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक— | |
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . | ५९० |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . . | ५९० |
| ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना | ५९० |
| सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . | ५९१ |
| सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . | ५९१—६०६ |
| संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) . | |
| [(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया . . . . | ६०६ |
| प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव | ६०६—१४ |
| दैनिक संक्षेपिका | ६१५—२० |
| **अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—** | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८० | ६२१—४५ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . . | ६४५—५१ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . . | ६५१—७० |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना . | ६७०—७१ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . | ६७२—७३ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन | |
| सभा का कार्य . . . | ६७३—६७४ |
| सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . | ६७४—७१७ |
| राष्ट्रपति का सन्देश . . . | ७११ |
| लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . . | ७१७—२२ |
| विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित . | ७२२—२३ |
| वित्त विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | ७२३—२४ |
| दैनिक संक्षपिका | ७२५—३० |

**अंक १०--सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)--**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८६, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१९ . ७३१--५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१--५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८--८२

स्थगन प्रस्ताव--

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२-८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३-८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४-८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५--८८

प्राक्कलन समिति--

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन-- ७८८

वित्त विधेयक, १९६२--

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८--९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५--९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६-९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट--सामान्य चर्चा . ७९७--८०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८०६--१२


नोट:--मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

--------

# लोक-सभा

शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२
२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### चीन की आकाश सीमा का अतिक्रमण

+

†*६३. **श्री प्र० गं० देव :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने १४ जनवरी, १९६२ को आकाश सीमा का अतिक्रमण किये जाने के बारे में भारत को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) चीन का वक्तव्य, कि रसद चिप चैप नदी के पास स्थित चीन की चौकी पर गिराई गई थी, सही नहीं है । १४ जनवरी, १९६२ को एक भारतीय विमान जो दौलतबेग ओल्दी के दक्षिण-पूर्व में ७ मील की दूरी पर स्थित एक स्थान में रसद गिराने के लिये रवाना हुआ था, पूर्वी हवाओं के कारण पूर्व दिशा में ३ मील दूर चला गया और उसने वहां पर चीनियों के एक गश्ती शिविर में रसद गिराई । यह स्थान चिप चैप नदी के निकट स्थित उस चीनी चौकी से, जिसके बारे में हम ने ३१ अक्तूबर, १९६१ को चीन सरकार को भेजे गये अपने पत्र में विरोध व्यक्त किया था, १२ मील आगे है । हम ने इस सम्बन्ध में चीन को विरोधपत्र भेज दिया है और चीनी अधिकारियों से कह दिया है कि वे भारतीय क्षेत्र में गश्ती दल न भेजने के बारे में कड़ी हिदायत दे दें ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** यह प्रोटेस्ट नोट जोकि भेजा गया था, इसका उत्तर आया है या नहीं आया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस साल के अन्दर कितने एयर-वायोलेशंज़ हुए हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में



1979(ai)LSD—1.

**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: आपने पूछा है कि कितने हुए हैं जिसके मानी हैं कब से कितने हुए हैं। क्या माननीय सदस्य कोई तारीख बतायेंगे ?

**श्री रघुनाथ सिंह** : इस साल कितने हुए हैं।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यकायक तो इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। एक जवाब दिया जा चुका है कि कोई माकूल बड़े पैमाने पर वायोलेशन तो हुआ नहीं है। छोटे मोटे तो होते रहते हैं कुछ इवा के और कुछ पैट्राल्ज़ के। हमने देखा है कि इसी में एक पैट्रोल आया और गया।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि कोई जवाब आया है या नहीं आया है। मेरा खयाल है कि एक जवाब पेकिंग में हमारी एम्बेसी को कल भेजा गया है। हमें तो वह मिला नहीं है। खबर आई है आया है। हमें अभी तक नहीं आया है। लेकिन मुख्तसिर में यह है कि उन्होंने, जैसा आम तौर से दस्तूर होता है, इन्कार किया है उससे जो बात हमने कही है। उन्होंने अपना कुछ कहा है।

†**श्री त्यागी** : मैं चीनी गश्ती शिविर के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उपमंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा जान पड़ता है कि यह शिविर हमारे क्षेत्र में स्थित है इसलिये यदि कोई रसद गिराई गई है तो वह हमारे क्षेत्र में ही है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे शत्रु को वह प्राप्त हो गयी। क्या उसने वह लौटा दी है अथवा वह उसे काम में ला चुका है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने अपने पहले सन्देश में रसद को लौटा देने का प्रस्ताव किया था। किन्तु हम ने उसे वापस लेना ठीक नहीं समझा। हो सकता है उसमें कुछ खाने-पीने की चीजें थीं और वे ज्यादह दिनों तक अच्छी हालत में न रहतीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका एक गश्ती दल इधर-उधर घूम रहा था और उसने कहीं पर अपना खेमा गाड़ दिया और हमारे विमान ने उसे अपना खेमा समझकर रसद वहीं गिरा दी।

†**श्री त्यागी** : किन्तु वह क्षेत्र तो हमारा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जाहिर है कि पूरा इलाक़ा हमारा है। उन्होंने जिस इलाक़े पर कब्जा कर लिया है वह भी हमारा है।

**श्री खुशवक्त राय** : मैं जानना चाहता हूं कि १ जनवरी, १९६२ से कितने एयर-वायोलेशंज़ हुए हैं जिनके लिये प्रोटेस्ट-नोट भेजे गये हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिना दरियाफ्त किये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। माननीय सदस्य किस जगह के बारे में कह रहे हैं, लद्दाख के बारे में कह रहे हैं या किसी और जगह के बारे में ?

**श्री खुशवक्त राय** : लद्दाख को शामिल करके हिन्दुस्तान के ऊपर जितने एयर-वायोलेशंज हुए हैं उनके बारे में मैं पूछ रहा हूं।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम कि लद्दाख में कोई भी हुआ है या नहीं।

†**श्री प्र० गं० दव** : जब चीन द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण समाचार देश के हित में जनता को क्यों नहीं बताया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कथन है कि ऐसे समाचार समाचारपत्रों में तुरन्त प्रकाशित किये जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य किस अतिक्रमण का निर्देश कर रहे हैं ?

जब कभी वायु-सीमा के किसी अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होती है तो सब से पहले उसकी जांच की जाती है। इसमें कुछ समय लगता है। कभी-कभी यह पता नहीं चल पाता कि अतिक्रमण हुआ भी है या नहीं। जांच करने के बाद हम पता लगाते हैं। इसके बाद जानकारी सभा में दे दी जाती है या समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दी जाती है। उदाहरण के लिये एक अतिक्रमण हुआ था किन्तु लद्दाख में नहीं, कहीं और हुआ था। लगभग एक मिनट तक एक विमान बहुत ऊंचा उड़ता रहा। यह पता नहीं लगा कि विमान किसका था। तेज़ गति से चलने वाले विमान सीमा के बराबर भीतर नहीं रह सकते भले ही उनका अतिक्रमण करने का इरादा न हो। आकाश में तो कोई सीमा नहीं होती। उसका अन्दाज़ा ही लगाना पड़ता है। जब आप किसी विमान को ज़मीन पर से देखें तो वह सीमा से ५ मील बाहर हो सकता है और तब भी आप को वह अपने ठीक ऊपर दिखाई देगा। चीन ने वायु-सीमा के अतिक्रमण की जो शिकायतें की हैं उनमें यही हुआ है। हमारे विमान वहां गये और हमारी जानकारी के मुताबिक वे चीन के क्षेत्र में नहीं गये। किन्तु चीन को लगा कि वे गये थे। इसलिये हमें पहले निश्चित जानकारी प्राप्त करके उसे जाहिर करना पड़ता है।

## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

†*६७. **डा० सामन्तसिंहार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन स्थानों पर तीसरी योजना में कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित होंगी ;

(ख) क्या पंचायत समिति के स्तर पर भी कोई ऐसी संस्था स्थापित होगी ; और

(ग) यदि हां, तो उन का वित्तीय तथा प्रशासकीय ढांचा क्या होगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) तीन। राज्य सरकारों से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## सुरक्षा परिषद् के समक्ष काश्मीर का मामला

†*६८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का मामला कब लिये जाने की आशा है ;

(ख) सुरक्षा परिषद् के सामने भारतीय मामले को पेश करने के लिये किस को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में बख्शी गुलाम मुहम्मद को भेजा जा रहा हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वैदेशिक कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) सुरक्षा परिषद् की बैठक की तिथि अभी तक निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). ये ऐसे विषय हैं जिन पर सुरक्षा परिषद् की बैठक होने पर ही विचार किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या भारत सरकार का ध्यान पी० टी० आई० द्वारा कराची से १४ तारीख को भेजे गये उस समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि सिंकियांग और पाक-अधिकृत काश्मीर के बीच के क्षेत्र के बारे में बातचीत करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव से चीन सहमत हो गया है और यदि हां, तो क्या सुरक्षा परिषद् में जब काश्मीर पर चर्चा होगी तब इस विशिष्ट बात पर भी चर्चा होगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं ने तो यह देखा नहीं और यह बात इस प्रश्न से भी उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह समाचार आज सुबह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है क्या इसे भी राष्ट्रसंघ में काश्मीर पर चर्चा के समय कार्य-सूची में रखा जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: माननीय सदस्य द्वारा जो बात उठाई गयी है वह निस्सन्हदेह महत्व-पूर्ण है । पहली बात तो यह है कि मैं ने यह समाचार नहीं देखा है और दूसरी यह कि यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री त्यागी** : पिछली बार जब पंचाट दिया गया था तो पाकिस्तान को काश्मीर से अपनी सशस्त्र सेना हटा देनी चाहिये थी । क्या सस ने उस क्षेत्र से अपनी सशस्त्र सेना हटा दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । उसने अपनी सेना नहीं हटाई है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जब हम समूचे जम्मू और काश्मीर पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं तो क्या पाकिस्तान और चीन को काश्मीर के उस क्षेत्र के बारे में बातचीत करने का हक है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी राय में उन्हें ऐसा कोई हक नहीं है और हमने उन्हें यह साफ-साफ बता दिया है ।

## तिब्बत में पकड़े गए भारतीय राष्ट्रजन

†६९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मन्त्री** ६ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजनों अथवा भारतीय संरक्षणाधीन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिये किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : तारांकित प्रश्न संख्या ६३८-क के उत्तर में हम ने जो स्थिति बताई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने भारतीय नागरिक तिब्बत की जेलों में बन्द हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वहां पर साठ लोग हैं। लेकिन चीनी बार-बार यह कहते हैं कि वे तिब्बत के नागरिक हैं न कि भारतीय। उन में पांच काश्मीरी मुसलमान और एक नागरिक सिक्किम का है।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या चीन सरकार ने या तिब्बत में स्थित चीनी अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया है कि इन भारतीय नागरिकों को कब तक रिहा किया जा सकेगा ?

**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वह इनकार करते हैं इस बात को तसलीम करने से कि वह भारतीय नागरिक हैं। वह कहते हैं कि वह तिब्बती हैं या चीनी हैं। बहस तो इस बात की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरुआ** : पहले एक बार यह बताया गया है कि उनकी नागरिकता प्रमाणित नहीं की गई हैं। अब तो यह प्रमाणित हो चुकी है और हमें बताया गया है कि चीन उनके चीनी नागरिक होने का दावा करता है। वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने इतना ही कहा कि चीन उन के चीनी नागरिक होने का दावा करता है। हम यह कहते हैं कि वे काश्मीरी हैं।

## हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में हड़ताल

\+

†*७०. **श्री प्र० गं० देव** :
**श्रीमती इला पालचौधरी** :
**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों द्वारा हाल में की गई हड़ताल के ब्योरे क्या हैं ;

(ख) पुलिस के साथ मुठभेड़ों में कितने कर्मचारी मर गये तथा कितने घायल हुए ;

(ग) यदि संयत्र को कोई हानि हुई है तो कितनी हुई है और कारखाने को कुल क्षति कितनी है ; और

(घ) हड़ताल को समाप्त करने के लिये तथा भविष्य में हड़ताल को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ध्यान संलग्न विवरण की ओर दिलाया जाता है जो मैं ने १४ मार्च, १९६२ को सभा पटल पर रखा था। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]**

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण के दूसरे पृष्ठ पर कहा गया है कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई शेष ३६ मांगों का निर्देश न्यायाधिकरण को नहीं किया जा सकता क्योंकि उन मांगों को

---

†मूल अंग्रेजी में

और तरीकों से तय किया जा सकता है । क्या यह हड़ताल होने से पहले अनुशासन संहिता के अन्तर्गत इन अन्य तरीकों से काम नहीं लिया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये सब तरीके काम में लाये गये थे लेकिन कर्मचारियों के यूनियन के एक विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधि अपनी बात पर अड़े रहे । इसलिये हम इन मांगों के बारे में कोई फैसला नहीं कर सके ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या अनुशासन संहिता के अन्तर्गत इस कारखाने में शिकायतों के निबटारे के लिये कोई प्रक्रिया कायम की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य पूरा विवरण पढ़ें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि अनुशासन संहिता के अन्तर्गत, जो सभी द्वारा स्वीकार की गई थी, वार्ता जनवरी, १९६३ तक पुनः आरम्भ नहीं की जा सकती । दूसरे यूनियन की शिकायतों का न तो मान्यता दी जा सकती है और न उन पर विचार ही किया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या शिकायतों को निबटाने की प्रक्रिया और संयुक्त प्रबन्ध परिषद् का निदश राज्य के श्रम मंत्रालय को किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : शिकायतों की प्रक्रिया का निर्देश राज्य सरकार को किया जायेगा लेकिन प्रबन्ध परिषद् केन्द्रीय सरकार का एक विषय होने के कारण हम केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे ।मुझे आशा है कि इन सब प्रश्नों पर विचार करने से पहले उचित वातावरण बनाने के लिये सदन कुछ समय देगा ।

## पाकिस्तान से निकाला गया भारतीय पत्रकार

+

†*७१. **श्री प्र० गं० देव** :
**श्री विभूति मिश्र** :
**श्रीमती इला पालचौधरी** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की सरकार ने हाल में "दी स्टेट्समैन" के भारतीय संवाददाता को पूर्व पाकिस्तान से निकाल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां । "दी स्टेट्समैन" के संवाददाता श्री नोने और उनकी पत्नी को गत मास पूर्व पाकिस्तान से चले जाने का आदेश दिया गया था और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिये बहुत ही कम समय दिया गया था ।

(ख) १० फरवरी, १९६२ को श्री नोने और उनकी पत्नी का पासपोर्ट, जो विसा फिर से बनाने के लिये पूर्व पाकिस्तान की सरकार के पास जमा किया गया था, उन्हें इस हिदायत के साथ लौटा दिया गया कि वे १२ फरवरी, १९६२ तक पूर्व पाकिचेतान से चले जायें। ढाका स्थित भारतीय उप उच्च आयुक्त ने

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व पाकिस्तान की सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये या श्री नोने को जाने से पूर्व व्यवस्था के लिये पर्याप्त समय देने के लिये कहा किन्तु इन में से एक भी बात नहीं मानी गयी ।

(ग) श्री नोने को पूर्व पाकिस्तान से निकाल देने के बारे में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्च-आयुक्त को १६ फरवरी, १६६२ को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा गया है ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या यह सच है कि भारतीय पत्रकार को ढाका स्थित भारतीय उप उच्च-आयुक्त से मुलाकात नहीं करने दी गयी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या हमारी सरकार इस पत्रकार के निष्कासन के कारण पूर्व पाकिस्तान की सरकार से पता लगा रही है और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उन्होंने कोई कारण नहीं दिये ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या यह सच है कि पाकिस्तानी समाचार-पत्रों के यहां प्रतिनिधि हैं उनमें से कई प्रतिनिधि भारत-विरोधी समाचार भेजा करते हैं ? क्या भारत सरकार ने उनके विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी, नहीं ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या ढाका स्थित भारतीय उप उच्च-आयुक्त ने २४ घंटे का समय बढ़ाकर ७२ घंटे कराने के लिये प्रयत्न किया था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया । किन्तु इस पत्रकार को मुश्किल से एक दिन का समय मिला ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि पत्रकार को निकाल देने के कारणों का न तो पता लगाया गया और न वे दिये गये क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार के कार्य के विरोध में भेजे गये पत्र का आधार क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पूर्व पाकिस्तान सरकार के पास कोई कारण हो सकते हैं जिन्हें वह बताना न चाहती हो । हमारा अनुमान यह है कि पत्रकार ने पूर्व पाकिस्तान में गड़बड़ी के समाचार भेजे थे जिनके बारे में उस सरकार को उज्र हो ।

**नागालैण्ड में मारे गये आरक्षी कर्मचारी[1]**

+
†*७२. { **श्री प्र० गं० देव :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १६६२ के दूसरे सप्ताह में नागालैण्ड में कुछ आरक्षी कर्मचारी मारे गये हैं; और

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Security Men Killed Nagaland.

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). १२ जनवरी, १९६२ को आसाम राज्य क्षेत्र और नागालैण्ड की सीमा पर हरपौनी के उत्तर में दो मील पर एक क्षेत्र में विद्रोही नागाओं ने पुलिस के एक गश्ती दल पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और गोलाबारी एक घंटे तक जारी रही। एक हवलदार मारा गया और दो कान्स्टेबल घायल हुए ।

†**श्री प्र० गं० देव** : नागालैण्ड में अब तक कितने आरक्षी कर्मचारी मारे गये हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यदि माननीय सदस्य तारीखों का उल्लेख कर प्रश्न पूछें तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आम तौर पर मुआवजा दिया जाता है लेकिन इस मामले के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री फिज़ो लन्दन में हमारे विरुद्ध मिथ्या प्रचार कर रहे हैं और नागालैण्ड में विद्रोहियों के कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या श्री फिज़ो के इस विशिष्ट कार्य का विद्रोही नागाओं पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसके कारण हमारे आरक्षी कर्मचारी मारे गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न ।

## पाकिस्तान को अम्बर चरखे का निर्यात

†*७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में खादी उद्योग को बढ़ावा देने तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिये ४०० अम्बर चरखे खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जी, हां। पाकिस्तान को ४०० अम्बर चरखे निर्यात करने की बात अन्तिम रूप से तय हो चुकी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भुगतान भारतीय रुपये में होगा या वस्तु-विनिमय के आधार पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : व्यापार प्रणाली के अन्तर्गत १ लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा ।

## पुराना किला में शरणार्थी

†*७६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराना किला में रहने वाले शरणार्थियों को बने हुए मकान देने का फैसला कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनको जो मकान दिये जायेंगे उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) वे मकान किन क्षेत्रों में होंगे ?

†**पुनर्वास उपमन्त्री (श्री पू० शें० नास्कर)** : (क) से (ग). पुराना किला में रहने वाले शरणार्थियों को अतीत में बने-बनाये मकान दिये गये थे जो उन्होंने उस समय नहीं लिये । बाद में उन्हें लाजपतनगर और कालकाजी में मकान बनाने के लिये प्लाट दिये गये जो उन्होंने ले लिये हैं । कई शरणार्थियों ने इन प्लाटों पर अपने मकान बना लिये हैं । शेष शरणार्थियों ने अभ्यावेदन किया है कि चूंकि वे छोटे व्यापारी हैं इसलिये वे मकान बनाने के लिये समय नहीं निकाल सकते । इसलिये उन्होंने प्रार्थना की है कि उन्हें जो ज़मीन दी गई है उस पर सरकार ही मकान बनवा दे । मामला विचाराधीन है ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व जब यह सवाल उठाया गया था तो सरकार ने कहा था कि मकान बनाने का कोई उपबन्ध नहीं है । अब निर्णय में क्यों परिवर्तन किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मकान न बनें ?

†**श्री बलराज मधोक** : मकान तो बनाये जाने चाहियें ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मकान बनाये जायें यह निर्णय कब किया गया ?

†**पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : निर्णय अभी नहीं किया गया है । मामला विचाराधीन है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : * * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आरोप लगाये जाते हैं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : आरोप लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं है । मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मकान बनाने का निर्णय कब किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने निश्चित रूप से कहा है कि निर्णय नहीं किया गया और मामला अभी विचाराधीन है । यह आरोप कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । मैं किसी को आरोप नहीं लगाने दूंगा . . . . . (**अंतर्बाधा**) । श्री ब्रज राज सिंह ने आरोप लगाया है और वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । आये दिन आरोप लगाना कोई मायने नहीं रखता । यदि माननीय सदस्य सरकार का कार्यभार सम्हालने के लिये तैयार हों तो वे ऐसा कर सकते हैं । तब मैं उनका भी समर्थन करूंगा ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं तो केवल जानकारी चाहता था । मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है और मामला अभी विचाराधीन है । यदि माननीय सदस्य शरणार्थियों की सहायता करने का दिखावा करके सरकार से इस मामले पर विचार न करने की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

****अध्यक्ष-पीठ के आदेशनुसार निकाला गया ।

**ऋषिकेश में औषधियों के उत्पादन का सन्यन्त्र**

***७७. श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) में सोवियत सहयोग से औषधियों के उत्पादन का जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस संयंत्र में वास्तविक उत्पादन कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा की जाती है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तथा (ख). सभा की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) मास्को के मेसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट से जुलाई, १९६१ में एण्टीबायोटिक्स प्रायोजना ऋषिकेश की प्रायोजना रिपोर्ट मिली थी । इसे जांच करके मंजूर कर लिया गया है ।

प्रायोजना के लिये भूमि की आवश्यकता राज्य सरकार ने पूरी कर दी है और कारखाने की इमारतें एवं बस्ती बसाने के लिये कार्रवाई की जा रही है । प्रशासन खण्ड का शिलान्यास ११ मार्च, १९६२ को किया जा चुका है ।

(ख) आशा है कि इस संयंत्र में १९६४ या १९६५ में उत्पादन होने लगेगा । निर्धारित कार्य-क्रम को शीघ्रता से अमल में ले आने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

**श्री भक्त दर्शन :** इस विवरण से ज्ञात होता है कि जिस योजना के प्रशासन कक्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक, की आधारशिला अभी हाल में रखी गयी है, और सन् १९६४ या १९६५ तक उत्पादन कार्य शुरू होगा । क्या इस कार्य को और जल्दी प्रारम्भ किया जायेगा, या ऐसा हो सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** परियोजना का कार्य यथासम्भव तेजी से किया जा रहा है । वास्तव में सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि रूस सरकार ने १९६५ तक आरम्भ करना मान लिया है किन्तु हमारी सभी विशेषज्ञों के साथ पुनः चर्चा हुई थी तथा अपने शिल्पकों से भी बातचीत हुई थी । और हम आशा करते हैं कि हम यदि सम्भव हुआ तो १९६४ तक ऋशिकेश में स्ट्रैप्टोमाइसिन तथा पैनसिलिन तैयार कर सकेंगे, अर्थात् उस अवधि से ६ मास या एक वर्ष पहले हम उत्पादन करने में समर्थ होंगे ।

**श्री भक्त दर्शन :** इस संयन्त्र की स्थापना में रूसी सरकार की ओर से सहायता मिल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि वह सहायता कुल लागत की कितनी प्रतिशत होगी । कितना प्रतिशत भारत सरकार लगायेगी और कितना प्रतिशत रूसी सरकार से प्राप्त होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** समूची परियोजना पर गभ ग ५५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । इस की चार इकाइयां हैं, जिन मे से ऋषिकेश क है । रूसी सरकार से ९½ करोड़ रुपये का ऋण मिला है । शेष समूचा भारतीय धन होगा जो भारत सरकार देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री भक्त दर्शन :** यह संयंत्र उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत लगाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कितनी सहायता की मांग की गयी है और वह कितनी सहायता दे रही है ?

**श्री मनुभाई शाह :** उत्तर प्रदेश सरकार सब सहायता दे रही है । ६०० एकड़ जमीन उन्होंने इस के लिए दी है । अभी पिछले इतवार को उस का फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है । और हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगर और भी जमीन की आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार वह जमीन इस के लिये देगी ।

†**श्री च० द० पांड़े** : इस योजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह अपनी किस्म की पहली परियोजना होगी, जिस में ५००० शिल्पिक, रसायनज्ञ, रसायनिक इंजीनियर और अनुसंधान वैज्ञानिक होंगे जो पूर्व में सब से बड़ी ऐंटी बायोटिक्स परियोजना में उत्पादन करने का काम करेंगे ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** भारत के सीमावर्ती प्रदेश में विदेशी धन का सहयोग ले कर यह कारखाना स्थापित किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हू कि क्या इस में काम करने वाले कर्मचारियों का भी कोई अनुपात निश्चित किया गया है कि इस में कितने भारतीय कर्मचारी काम करेंगे और कितने विदेशी कर्मचारी काम करेंगे ?

**श्री मनुभाई शाह :** इस में सारे हिन्दुस्तानी कर्मचारी रहेंगे । थोड़े से सोवियत स्पेशलिस्ट कुछ दिनों तक रहेंगे । हमारा यहां पर एक दो करोड़ रुपया लगा कर एक और संशोधन केन्द्र स्थापित करने का विचार है जहां हमारे नौजवान रिसर्च कर सकें ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** जब योजना पूरी हो जायेगी अर्थात् चारों संयंत्र का निर्माण हो चुकेगा, तो क्या एंटी बायोटिकों संबंधी हमारे देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी और क्या निर्यात के लिये भी कुछ माल फालतू रहेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम इस बुनियादी जीवन-रक्षक औषध के बारे में न केवल स्वावलंबी ही होंगे, अपितु हम इस मे से काफी मात्रा में निर्यात भी कर सकेंगे ।

**श्री अन्सार हरवानी :** चूंकि यह ड्रग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है और इस के लिये बहुत ज्यादा बन्दरों की जरूरत होगी, तो क्या सरकार बन्दरों के एक्सपोर्ट को बैन करने जा रही है ?

**श्री मनुभाई शाह :** इस में ऐसी मैडीसिन्स तैयार नहीं की जायेंगी जिन में बन्दरों की जरूरत हो । इस में तो एंटी बायोटिक्स दवायें बनायी जायेंगी जिन में बन्दरों की जरूरत नहीं होती ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां की औषधियों के वास्ते हमारे क्षेत्र में हरबेरियम की भी कोई योजना है ?

**श्री मनुभाई शाह :** हरबेरियम्स के लिये हम हिन्दुस्तान के ६ अलग-अलग हिस्सों में ड्रग फार्म स्थापित करना चाहते हैं जैसे चकराता हिल्स में उत्तर प्रदेश में, काश्मीर म, मद्रास के पास और दार्जिलिंग में । इन ६ जगहों पर पांच-पांच और दस-दस हजार एकड़ के ड्रग फार्म खोले जायेंगे जहां हरबेरियम बनाये जायेंगे और फाइटो कैमिकल्स बनाये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**दिल्ली में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये बस्ती**

†*७९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये एक बस्ती बसाने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**पुनर्वास उपमन्त्री (श्री पु० श० नास्कर) :** (क) और (ख). जी हां, लगभग ३५.४८ लाख रुपये के खर्च से बस्ती के विकास के अनुमान मंजूर किये जा चुके हैं। क्षेत्र को समतल बनाने के लिये टेंडर भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित किये गये हैं और अन्य कामों के अनुमान अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव :** मामले मे इतना विलम्ब क्यों किया गया था ?

**श्री पू० शे० नासकर :** मामले में विलम्ब नहीं किया गया था। व्यय चालू बजट में मंजूर किया गया था । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग काम संभाल रहा है । बहुत सा प्रारम्भिक काम करना था ।

†**पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** मैं यह भी बता दूं कि जब पहली योजना तैयार की गई थी, तो शायद यह अन्त में नामंजूर कर दी गई थी क्योंकि उस में कुछ गलती थी। अतः उस योजना में संशोधन करना पड़ा । संभवतः इस कारण कुछ विलम्ब हुआ हो ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या निर्वाचन आन्दोलन के समय मा० मंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों से प्रतिज्ञा की थी कि वह उन के लिये दिल्ली में एक बस्ती बनवायेंगे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** अभी मुझ पर दोष लगाया गया है कि योजना मे विलम्ब कर दिया गया है । यह योजना एक वर्ष से अधिक या दो वर्ष पूर्व मंजूर की गई थी और मुझ से अभी स्पष्टीकरण मांगा गया था । मुझे समझ में नहीं आता कि निर्वाचनों का वर्णन बीच में कैसे आता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या पूर्वी बंगाल के उन शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये किसी प्रकार का प्रतिकर देने की कोई योजना है जिन्हें प्रतिकर नहीं मिला है । बंगाल के बाहर कोई पुनर्वास भला क्यों नहीं दिया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मा० सदस्य ने भिन्न प्रश्न पूछा है । हम दिल्ली में एक बस्ती के निर्माण के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं ले रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** इस बस्ती में कितने विस्थापित लोगों को बसाया जायेगा तथा इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** २०० वर्ग गज़, ४०० वर्ग गज और ८०० वर्ग गज के भूमि के टुकड़ों का विकास किया जायगा । कुल मिला कर लगभग १५०० टुकड़ों का विकास होगा । समय का प्रश्न लोक निर्माण विभाग पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** हम इस मामले में लोक निर्माण विभाग से जोरदार बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या ऐसी ही बस्तियां देश के अन्य भागों में स्थापित की जा रही हैं ? दिल्ली में ही क्यों खास कर ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जहां तक पुनर्वास मंत्रालय का सम्बन्ध है, मेरा इस मामले में यह मत है कि यह शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो रहा है और नई बस्तियां बनाने का प्रश्न नहीं है । हम ने अपना पुनर्वास कार्य किया है, पश्चिम तथा पूर्वी दोनों क्षेत्रों में, केवल कुछ शेष समस्या रह सकती है । परन्तु हम अब कोई नई बस्तियां स्थापित करने का विचार नहीं करते ।

†**एक माननीय सदस्य :** विदाई समारोह ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पूर्वी पाकिस्तान के नौ लाख शरणार्थी हैं, जिन्हें सहायता आदि कुछ नहीं मिलता । उन का क्या भाग्य होगा ? क्या सरकार उन के लिये मकान बनाने का विचार करती है ? क्या ऐसी कोई योजना है या यह केवल दिल्ली में ही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** इस के बारे में हम से पिछले पन्द्रह वर्षों मे कभी नहीं कहा गया । यदि श्री बनर्जी सोचते हैं कि हम चौदह या पन्द्रह वर्षों के बाद इस पर विचार करेंगे तो मैं उन से सहमत नहीं हूं ।

## अखबारी कागज के नियन्त्रण का आदेश

†८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी ने अखबारी कागज के नियंत्रण का आदेश वापस लेने और इस बारे में आयात नीति बदलने के लिए जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्रों की संस्था की कार्यपालिका समिति ने १९ जनवरी, १९६२ को एक संकल्प पारित किया था जिसमें सरकार से अपील की गई थी कि वह अखबारी कागज नियंत्रण आदेश को हटा दें और अखबारी कागज के उपभोग का विनिमन करने के लिये जो सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, उसमें निहित नीति को बदलने के उद्देश्य से एक विशेष समिति नियुक्त करे । तब से विशेष समिति के सदस्यों ने वाणिज्य तथा उद्योग एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के पदाधिकारियों के साथ दो बार बातचीत की थी । इन बातचीतों को ध्यान में रखते हुए, अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश के खण्ड ३(३) में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है । संशोधन का उद्देश्य इस इरादे का स्पष्टीकरण करना है कि अखबारी कागज का उपभोक्ता उस तमाम अखबारी कागज को जो उसके पास होगा, बिना किसी रुकावट के प्रयोग करने में स्वतंत्र होगा । उपरोक्त सार्वजनिक सूचना में आया कोई संशोधन किया जाना और क्या संशोधन किया जाना वांछनीय है, यह प्रश्न भी विचारारधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं ने विवरण पढ़ा है और उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय तथा प्राच्य समाचारपत्र संस्था ने इस अखबारी कागज नियंत्रण आदेश को वापिस लिये जाने के लिये क्या कारण दिये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : शुरु में उन को यह भ्रान्ति थी कि इससे समाचारपत्रों के व्यापक परिचालन में उनका स्वविवेक कम हो जाएगा । किन्तु जब उनको इस बात का स्पष्टीकरण किया गया, तो संस्था ने नियत्रण आदेश की जरूरत स्वीकार कर ली । वे केवल आदेश के खंड ३(३) में संशोधन चाहते हैं ताकि समाचारपत्रों को अपना परिचालन करने के लिये उन को आवंटित सम्पूर्ण कागज का उपयोग करने का अधिकार रहे। कुछ और बातों के बारे में भी बातचीत हो रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पुराने आदेश के अनुसार अपने अखबारी कागज का उपयोग करने की उनकी स्वतंत्रता किस प्रकार कम होती थी और उन्हें इस प्रकार का ज्ञापन देने की क्यों जरूरत पड़ी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में स्वतंत्रता कम नहीं की गई थी, किन्तु जांच करने पर हमने देखा कि आदेश के खण्ड ३(३) और पब्लिक नोटिस की भाषा थोड़ी अस्पष्ट थी, अतः हमने इसमें संशोधन करना स्वीकार कर लिया ताकि समाचारपत्रों की अपने परिचालन के लिये उनको आवंटित अखबारी कागज का उपयोग करने की स्वतंत्रता पूरी कायम रहे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इसके बारे में दूसरा प्रश्न है । इन समाचारपत्रों को जो अखबारी कागज नियत किया जाता है, वे उसका पूर्व उपयोग न करके उसे चोर बाजार में बेचते हैं । क्या अब संशोधित रूप में अखबारी कागज नियंत्रण आदेश में ऐसी व्यवस्था है कि यह कागज चोर बाजारी में न जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को विदित है, यही कारण था कि नियंत्रण आदेश जारी किया गया था । आवंटित अभ्यंश का उपयोग न किये जाने या गलत उपयोग किये जाने के बारे में बहुत सी शिकायतें थीं और हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि उस आवंटित अभ्यंश का उचित उपयोग ही किया जाए ।

**श्री अ० मु० तारिक** : क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर्ज़ सोसायटी की मेम्बरशिप की फ़ीस इतनी ज्यादा है कि छोटे-छोटे अखबार चलाने वाले इस के मेम्बर नहीं हो सकते और इस वजह से सिर्फ़ बड़े-बड़े अखबार चलाने वाले ही इस का फ़ायदा उठाते हैं ? अगर हां, तो हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या कदम उठाया है ?

**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न इस में नहीं आता, लेकिन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्ज़ का अलग एसोसियेशन है और हम तक़रीबन सब के सम्पर्क में रहते हैं । बड़े और छोटे पेपर्ज़ और लैंग्वेज पेपर्ज़ के प्रतिनिधि भी हम को मिलते रहते हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता के एक बड़े भारी समाचारपत्र ने इस नियत्रण आदेश का उल्लंघन किया और भारत सरकार के अनुरोध के बावजूद भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस समाचारपत्र पर अभियोग नहीं चलाया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बड़ा सामान्य प्रश्न है । इस सभा में, एक पत्र के विशिष्ट उल्लेख का मामला, मेरे सामने पहले आया था, जिसकी अभी जांच जारी है और उस मामले की जांच जारी है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : कब तक इसकी जांच जारी रहेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे आशा है कि सभा विधि संगत कार्रवाई को चलने देगी । हम इस में शीघ्रता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में कुछ प्रतिवेदन पहले से मौजूद हैं । कुछ और जांच जरूरी है । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा यदि उसने कोई अपराध किया होगा ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि कुछ समाचारपत्रों को, खासकर हिन्दी समाचारपत्रों को जिनका परिचालन बढ़ रहा है, अपनी बढ़ती हुई जरूरत के लिये काफी अखबारी कागज नहीं मिल रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है क्योंकि विदेशी मुद्रा की कठिनाई है और स्थानीय संभरण अपर्याप्त है । परन्तु यह केवल अखबारी कागज की बात नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजों के बारे में है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आयात नीति में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाने वाला है और इस का कैसे प्रभाव पड़ेगा ? क्या इसका छोटे समाचारपत्रों को लाभ होगा या सभी छोटे बड़े और मध्यम समाचारपत्रों को लाभ होगा ? क्या सभी प्रकार के समाचारपत्रों को समान लाभ होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लाभ हमेशा छोटे समाचारपत्र को होता है। सरकार भाषा के समाचारपत्रों और छोटे पत्रों को पूरा प्रोत्साहन और सहायता देती है । मैं नई आयात नीति की पूर्व कल्पना नहीं कर सकता जो ३१ मार्च के आस पास घोषित की जाएगी जब नई लाल किताब आएगी, किन्तु वितरण नियन्त्रण लागू होने के पश्चात् पिछले दो या तीन वर्षों में समूची स्थिति संतोष-जनक रही है और वितरण सब लोगों के लिये संतोषजनक है ।

**श्री अ० मु० तारिक** : जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का सवाल है, अभी आनरेबल मिनिस्टर ने कहा है कि कलकत्ता के एक बहुत बड़े अख़बार चलाने वाले के खिलाफ़ मुकद्दमा चलाया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत को इस बात का इल्म है कि इसी अखबार चलाने वाली फर्म ने कनेडा से पूरा एक हवाई जहाज़ कागज़ का मंगाया और उस को हिन्दुस्तान में ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया । अगर यह दुरुस्त है, तो हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की है ?

**श्री मनुभाई शाह** : ऐसी बात नहीं हो सकती कि कोई हवाई जहाज़ से कागज़ मंगाए . . . .

**श्री अ मु० तारिक** : हवाई जहाज़ से नहीं, समुन्दरी जहाज़ से । श्री गोयनका को कनाडा से जहाज भर कर कागज प्राप्त हुआ था ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं किसी व्यक्ति का उल्लेख करना नहीं चाहता ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं उल्लेख कर रहा हूं ।

†**श्री मनुभाई शाह**: परन्तु जो मामला विलंबित है, वह शायद माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित व्यक्ति की अपेक्षा किसी और व्यक्ति के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## "दिल्ली में पुनर्वास" नामक पुस्तिका

†*८२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जनवरी १९६२ में "दिल्ली में पुनर्वास" नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी ;

(ख) इस पुस्तिका की कितनी प्रतियां अंग्रेज़ी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित हुईं तथा बांटी गईं; और

(ग) इस रचना पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री अ० चं० जोशी)**: (क) नहीं, किन्तु "दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति" नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी जो उन छ : प्रकाशनों में से थी जो वर्ष १९६१-६२ में पुनर्वास मंत्रालय के लिये तैयार की जानी थीं। अब तक जो अन्य प्रकाशन निकले हैं वे ये हैं; "भारत में निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि"[१] "फरीदाबाद टाउनशिप"[२] "लाखों विस्थापित लोगों के लिये नव जीवन"[३] तथा "बेघर लोगों को बसाना"[४]। दण्डकारण्य संबंधी प्रकाशन अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) छपाई आदेश अंग्रेज़ी में १०,००० हिन्दी में ५,००० और उर्दू में १०,००० का था। अब तक अंग्रेज़ी में ७०००, हिन्दी में १,५०० और उर्दू में ५००० प्रतियां बांटी गई हैं।

(ग) इस प्रकाशन की कुल अनुमानित लागत १२,००० रुपये के लगभग थी।

†**श्री हेम बरुआ** : इसे ध्यान में रखते हुए कि माननीय सभा-सचिव ने स्वीकार किया है कि ये पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई थीं और बांटी गई थीं और वह एक बात के बारे में चुप हैं कि क्या वे जनवरी में बांटी गई थीं या नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पुस्तिकाएं जनवरी १९६२ में बांटी गई थीं और क्या ये निर्वाचन के समय नहीं बांटी गईं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह कटाक्ष है।

†**श्री हेम बरुआ** : यह सच है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कटाक्ष है।

†**श्री हेम बरुआ** : समय क्यों ऐसा रखा गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर न दिया जाए। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, कटाक्ष नहीं कर सकते। वह पूछ सकते हैं "इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ है और यह जनवरी या फरवरी में ही क्यों किया गया ?" किन्तु यह पूछना "क्या यह निर्वाचनों के कारण किया गया था ?" उचित नहीं। यदि प्रश्न का खंडन भी किया जाये तो भी प्रश्न रहता है। यदि उद्देश्य कटाक्ष करने की बजाये उत्तर पाना है, तो वह इसे दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। मैं इसे इस प्रकार रखता हूं। क्या इस में कोई विलम्ब हुआ है और यह जनवरी या फरवरी में ही क्यों प्रकाशित किये गये ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वर्ष के अन्त में।

†**श्री बलराज मधोक** : वर्ष के अन्त में भी नहीं, जनवरी १९६२ म।

†**श्री अ० चं० जोशी** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की ओर से ऐसी प्रचार पत्रिकाओं का डिजाइन बनाता है और प्रकाशित करता है। जब बजट व्यवस्था की जाती

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]"The Evacuee Property Law in India".

[२]"Faridabad Township".

[३]"New Life for Displaced Millions."

[४]"Housing the Homeless".

है, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में आदेश दिये जाते हैं। मंत्रालय प्रकाशित करता रहता है। ऐसी पुस्तिकाओं का प्रकाशन निदेशालय का काम है। आप हमारे मंत्रालय के निदेशालय से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह बेकार बैठा रहे, और जनवरी या फरवरी में कोई पुस्तिका प्रकाशित न करे। **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री हेम बरुआ** : सूचना और प्रसारण मंत्रालय को किसी अन्य मंत्रालय ने आदेश दिया था। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पुनर्वास मंत्रालय ने यह आदेश दिया था कि इस पुस्तिका का परिचालन या वितरण जनवरी या फरवरी में किया जाये ?

†**एक माननीय सदस्य** : इसमें क्या हानि है ?

†**श्री हेम बरुआ** : कोई हानि नहीं।

†**पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं स्थिति का स्पष्टीकरण कर दूं। प्रत्येक मंत्रालय अपना सामान्य कार्य करते हुए पुस्तिकाएं छपवाता है और बंटवाता है। वितरण संबद्ध मंत्रालय द्वारा किया जाता है। छपाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बजट व्यवस्था की जाती है। मैं याद के आधार पर कह रहा हूं। मेरे मंत्रालय के लिये अन्य प्रचार के लिये बजट व्यवस्था १९६१-६२ के लिये ८०,००० रुपये थी। मैं स्मरणशक्ति के आधार पर कहता हूं, इस में संशोधन किया जा सकता है। हम ने बहुत से महत्वपूर्ण विषयों के लिये आदेश दिये। "न्यू लाइफ़ फ़ॉर डिस्प्लेस्ड मिलियन्स" ("लाखों विस्थापित व्यक्तियों के लिये नव जीवन")—संसद्-सदस्यों में परिचालित की गई; "कम्पेन्सेशन स्कीम" ("प्रतिकर योजना") भी संसद्-सदस्यों में बांटी गयी, "हाउसिंग दि होमलैस" ("बेघर लोगों को बसाना") नामक पुस्तिका भी संसद्-सदस्यों में बांटी गयी। माननीय सदस्य बेचैन क्यों हो रहे हैं ? "दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति", "फरीदाबाद टाउनशिप"। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। हम सामग्री तैयार करके मंत्रालय को भेज देते हैं। प्रूफ पढ़ा जाता है। इस काम में छः महीने लग जाते हैं। मैं वह भी कह दूं कि "दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति" नामक पुस्तिका प्रकाशित हुई और परिचालित हुई। मैं समझता हूं कि इसका माननीय सदस्य को लाभ होना चाहिये। इस में दिल्ली के लोगों और समूचे देश के लोगों के लिये मंत्रालय द्वारा किये गये काम का वर्णन है। वह इस का सरलता से खंडन कर सकते थे। मैं ने उन की सहायता की। पुस्तिका के प्रकाशन में कोई खराबी नहीं। इस में आंकड़े हैं और मंत्रालय द्वारा किया गया काम है। यदि लोग इसे पढ़ कर प्रचार करते हैं और गलत बातें कहना आरम्भ करते हैं, तो मैं चाहता हू कि उनका खंडन किया जाना चाहिये। इस में क्या बुराई है ? हम ने किया है और हम फिर ऐसा करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : हमें अन्धकार में रखा गया है। **(अन्तर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति।

†**श्री बलराज मधोक** : एक प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि क्या इस उपाय से हारा हुआ सदस्य दुबारा वापस आ सकता है।

†**श्री बलराज मधोक** : अनुपूरक प्रश्न पूछना सदस्यों का वैध अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं काफी प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

†**श्री बलराज मधोक** : एक प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

†**श्री बलराज मधोक** : हमें इस रवैये के लिये खेद है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। श्री दी० चं० शर्मा।

## संयुक्त राष्ट्र के बाण्ड खरीदना

†*६१. **श्री दी० चं० शर्मा।**
**श्रीमती इला पालचौधरी** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने वित्तीय संकट को दूर करने के लिये जारी किये गये बांड खरीदने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के बांड खरीदने का निश्चय किया है; और

(ग) भुगतान कैसे किया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने २० लाख डालर के बाण्ड खरीदने का निश्चय किया है। यह राशि नकद नहीं दी जायेगी। इसका समायोजन धन-लौटाने के हमारे दावों के साथ किया जायेगा। हम ने गाज़ा और कांगो में शान्ति बनाये रखने के कार्यों पर किये व्यय वापस लेने के लिए ये दावे किये थे।

**श्री दी० चं० शर्मा** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० च० शर्मा।

†**श्री बलराज मधोक** : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। श्री दी० चं० शर्मा के उठने के खिलाफ !

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मेरे बारे में कोई औचित्य प्रश्न है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल था कि निर्वाचन की सारी गर्मी अब खत्म हो चुकी होगी।

†**श्री हेम बरुआ** : सदस्यों को यह बात कहे जाने पर दुःख है कि यदि कोई माननीय सदस्य हार जाते हैं, तो वह दुबारा वापस नहीं आ सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ कहने का मेरा विचार कभी न था। मैं तो चाहता था कि दोनों ही पुनः चुन कर यहां आते। यदि हो सकता तो दोनों ही सफल हो जाते।

†**श्री त्यागी** : मंत्री महोदय के बदले में वह तो बहुत ही अनुचित होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री बलराज मधोक** : प्रश्न पूछने का सदस्य का अधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जो प्रश्न ले चुका हूं, अब उस पर आगे चला जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : संयुक्त राष्ट्र ने कुल कितने मूल्य के बाण्ड जारी किये थे ? हमारे देश ने कितने प्रतिशत बाण्ड खरीदे ? क्या यह . . . .

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : एक बार में एक प्रश्न ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रोफैसर हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : संयुक्त राष्ट्र ने कुल कितने मूल्य के बाण्ड जारी किये थे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : २० करोड़ डालर के ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हम ने कितने प्रतिशत बाण्ड खरीदे थे और क्या यह हमारे उस आवंटन के अनुसार था जो हम संयुक्त राष्ट्र को देते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम ने २० लाख डालर के बाण्ड खरीदने की व्यवस्था की थी । यदि यह खरीद संयुक्त राष्ट्र को हमारे अंशदान के अनुपातानुसार होती, तो यह राशि अपेक्षतः बहुत कम है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये बाण्ड व्यय की किस मद में खरीदे जायेंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये बाण्ड हमें वापस मिलने वाली उस धन राशि में से खरीदे जायेंगे जो हम ने गाज़ा और कांगो में शान्ति बनाये रखने के कार्यों पर व्यय की थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत को कुल कितने बाण्ड आवंटित किये गये थे ? क्या भारत अपने कोटे के सारे बाण्ड खरीद सका है और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार भविष्य में खरीदेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कोई कोटा नियत नहीं किया गया है । यह अस्थायी प्रबन्ध है । इसमें सारे देश भाग भी नहीं ले रहे हैं । समाजवादी देशों के यह कहने पर कि यह संयुक्त राष्ट्र का काम नहीं है और यह पूर्णतया सुरक्षा परिषद पर छोड़ दिया जाये, एक समस्या उत्पन्न हो गई थी । इसी कारण उन्होंने कोई बाण्ड नहीं खरीदा है । अतः यह घाटा हो गया था जो सदस्यों के स्वेच्छा से दिये जाने वाले अंशों से पूरा होना था ।

## बेरूबाड़ी का हस्तान्तरण

†*६५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री** ६ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३३-क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के लिये ठीक सीमा निर्धारण रेखा का निश्चय करने के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख). कोई प्रगति नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस पिछले मामले को निश्चित करने के लिये भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच हाल में कोई मीटिंग हुई है ? इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिये पिछली बैठक कब हुई थी ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : पिछली मीटिंग नवम्बर, १९६१ में हुई थी। पश्चिमी बंगाल सरकार और पूर्वी पाकिस्तान के सर्वेक्षण कर्मचारियों के बीच कुल तीन बैठकें हुई हैं।

†**श्री त्यागी** : बेरूबाड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या हमने उसे छोड़ दिया और सीमा निश्चित किये बिना उस का कब्जा दे दिया ? वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : दरसना की घटना के समय कुछ कठिनाइयां हुई थीं। २९ नवंबर, १९६१ को लोक-सभा में दरसना घटना के मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था। उस घटना में दो सर्वेक्षण अधिकारी सम्मिलित थे और उन्हें बन्दी बनाया गया था। हालांकि अन्त में उन्हें छोड़ दिया गया, परन्तु मानचित्र, नकदी, आदि जैसी उनकी वस्तुयें नहीं दी गईं। अतः पश्चिमी बंगाल के भूमि रिकार्ड और सर्वेक्षण के निदेशक ने अपने समानाधिकारी से कहा कि ये वस्तुएं लौटा देनी चाहियें। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय हमारे अधिकारी सीमांकन-कार्य के लिये जायें, तब उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन होना चाहिये। पाकिस्तान अधिकारियों ने यह नहीं किया है।

†**श्री त्यागी** : बेरूबाड़ी के बदले पाकिस्तान को हमें अपना कुछ राज्यक्षेत्र, जो भी उनके क्षेत्राधिकार में था, देना था। क्या उन्होंने अपना राज्य क्षेत्र हमें दे दिया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : वास्तविक सीमा निर्धारण होते समय, इस बारे में सारी बातें निश्चित होंगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि बेरूबाड़ी का हस्तांतरण बदला जायेगा ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : कोई संशोधन नहीं है। सरकारें संसद् की अनुमति ले रही हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को विदित है कि उन्होंने अपने दावे की पुष्टि में बेरूबाड़ी के हमारे भाग पर कोई धावा किया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : अभी तक हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस बारे में प्रेस में भी कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। यदि इस सीमांकन पर दोनों देश सहमत न हो सकें तो क्या स्थिति होगी ? समाचार प्रकाशित हुए हैं कि इन तीन मीटिंगों में सीमा निर्धारण करने के प्रारम्भिक तरीके पर भी सहमति नहीं हुई है। क्या स्थिति रहेगी ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : सच तो यह है कि सीमांकन की संक्षेप रेखा दोनों सरकारों ने स्वीकार कर ली है। पाकिस्तान की कार्यवाही के कारण सीमांकन-कार्य को जल्दी करने का काम रुक रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जोकीम आल्वा :** मेरा निवेदन है कि 'जनता कार' के बारे में प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

**'जनता कार'**

+

†*६४. { **श्री बलराज मधोक :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री आसर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० नवम्बर, २९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में 'जनता कार' के निर्माण के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). अभी नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** सरकार ने जनता-कार के बारे में निश्चय करने में इतना समय क्यों लगाया है, विशेषकर इस स्थिति में जबकि उन के पास संसार के सारे देशों की इतनी जानकारी या नमूने हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वस्तुतः मुझे अत्यन्त दुःख है इस मामले में इतना अधिक विलम्ब हो गया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह:** हम शीघ्र ही निश्चय कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगले चार, छः सप्ताह में निश्चित निर्णय हो जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य विलम्ब के कारण जानना चाहते हैं । माननीय मंत्री यह कहते हैं कि बहुत विलम्ब हो गया है और इस के लिए उन्हें अफसोस है ।

†**श्री मनुभाई शाह :** विभिन्न पहलुओं से इस परियोजना की जांच करनी पड़ी और इसलिए इसमें कुछ अधिक समय लग गया है । मुझे आशा है कि सभा सरकार के मत से सहमत होगी । हम बहुत जल्द निश्चय करने की कोशिश करेंगे, शायद अब से चार, छः सप्ताह में निश्चय कर लेंगे ।

†**श्री त्यागी :** क्या भारत के वर्तमान कार-निर्माताओं ने सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन किया है कि यदि यह कार बनने लगी तो उन का व्यापार समाप्त हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस प्रकार नहीं । फीड्रेशन और कार-निर्माता इस परियोजना का बहुत समय से विरोध करते रहे हैं जैसा कि सभा जानती है । परन्तु हम ने सब मामलों पर विचार किया है, और जैसाकि सभा को पता है सरकार ने निश्चय किया है कि कार-परियोजना पर विचार किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया तो सरकारी क्षेत्र में विचार किया जायेगा, अर्थात् छोटी बनाने की परियोजना पर सरकारी क्षेत्र में विचार किया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या इस कार्य से संबंधित व्यक्तियों के कारण यह काम पहिले नहीं हो सका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात नहीं है । हां, सब ओर से इस का विरोध हुआ है । हम ने सब दृष्टियों से परियोजना पर विचार किया है । हमें आशा है कि इस परियोजना के बारे में बहुत जल्द निश्चय किया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री विदेश गये थे और वहां कार-कारखाने देखे थे । पोलैंड जैसा छोटा देश भी पूरी कार बना रहा है, परन्तु हमारा देश इतना बड़ा होते हुए भी छोटी एवं सस्ती कार भी नहीं बना सकता । विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं केवल इतना कहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश में तीसरी पंच-वर्षीय योजना-काल में छोटी कार अवश्य बन जायेगी . . .

†**श्री जोकीम आल्वा**: छोटी और सस्ती कार ?

†**श्री मनुभाई शाह** : . . . हम शीघ्र निश्चय करने का प्रयत्न करेंगे । यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि इस आकार की छोटी कार के बिना भी इस देश में काम चल सकता है । माननीय सदस्य का विचार ठीक है कि हमारे देश में इस आकार की जनता-कार की आवश्यकता है ।

†**श्री बलराज मधोक** : यह कारखाना कहां स्थापित होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस बारे में मैं ने पिछली बार बताया था । किसी भी नमूने और सह-योगियों की शर्तों के मंजूर होते ही हम पाण्डे रिपोर्ट के बारे में शीघ्र निर्णय करेंगे कि जिन चार स्थानों की सिफारिश की गई है, उन में से कौन स्थान अधिक उपयुक्त रहेगा ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि यह परियोजना राजस्थान में स्थापित की जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : साधारणतया हमें प्रत्येक सरकार ने लिखा है कि यह कारखाना उस के राज्य में स्थापित हो ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : निश्चय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस में संसाधनों का प्रश्न और विदेशी मुद्रा का प्रश्न सम्मिलित है । फिर, कार की टेक्निकल सुविधा का भी प्रश्न है । फिर, देश में संबंधित सभी व्यक्तियों के अभ्यावेदन हैं । इन सब के कारण परियोजना की प्रगति धीमी रही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा**: इस सप्ताह में समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० ने एक नमूना बनाया है । क्या समितियों के तथाकथित विशेषज्ञों, जो इस प्रश्न पर अनेक बार और अक्सर विचार करते रहे हैं और जिन की रिपोर्टें पूरी नहीं हुई हैं, हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लि० के इस नमूने पर भी विचार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को विदित है कि पाण्डे समिति ने, जिस की रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें मैं ने सभा में बताई थीं, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० के इस नमूने की भी जांच की थी और तत्पश्चात् अपनी सिफारिशें की हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : समितिकार के किस किस नमूने पर विचार कर रही है । इस समिति पर आरम्भ से कितना व्यय हो चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति ने सब से अधिक फ्रांसीसी माडल 'डाफीन' को पसन्द किया है । यह माडल फ्रांस में सरकारी उपक्रम 'रेनाल्ट कारपोरेशन' ने बनाया है । जहां तक प्राक्कलनों, आदि का संबंध है, मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह हमारी तरह थोड़े समय तक और प्रतीक्षा करे और तब निश्चय होने पर सम्पूर्ण ब्योरा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह समिति पर हुआ व्यय भी जानना चाहते थे ।

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति पर हुआ व्यय, थोड़ा ही है । समिति के सदस्यो की यहां वहां हुई बैठकों पर हुए व्यय के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण व्यय नहीं हुआ है । मैं नहीं समझता कि परियोजना के आकार पर विचार करते समय, यह व्यय कोई महत्वपूर्ण भाग होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श कर के 'जनता कार' के प्रश्न पर उन का भी मत लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, हम सभी संबंधित मंत्रालयों से परामर्श कर रहे हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं निवेदन करता हूं कि श्री प्र० चं० बरुआ के प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

## कोयला खान भविष्य निधि योजना

†*७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २० नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने इस बीच कोयला खान भविष्य निधि की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यह निर्णय कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछली बार यह कहा गया था कि वर्ष १९६१ के अन्त तक निश्चय कर लिया जायेगा । इसे कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री नन्दा** : यह निश्चय अन्य उद्योगों के बारे में भी ऐसी मांगों के साथ किया जायेगा और समूचा मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० बिट्ठल राव : अन्य उद्योगों के लिए एक टेक्निकल समिति नियुक्त की गई थी और उस ने सिफारिश की थी कि कुछ उद्योगों में भविष्य निधि का अंशदान तत्काल ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८¼ प्रतिशत करने का आवश्यकता है। इस बारे में निश्चय न करने के क्या कारण हैं ?

श्री नन्दा : मैं मानता हूं कि शीघ्र निश्चय किया जाना चाहिये और मुझे आशा है कि निश्चय किया जायेगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### रुई की कमी

†*६२. श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में इस वर्ष रूई की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो रुई की कितनी कमी है ;

(ग) क्या इस कमी के कारण कपड़े के उत्पादन में कोई कमी हुई है या होने वाली है और उस के फलस्वरूप निर्यात में कमी होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस वर्ष १० से १२ लाख गांठ कपास की कमी होने की संभावना है।

(ग) और (घ). अभी तक कपड़े के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। फिर भी, यदि कपास की प्राक्कलित कमी को समय पर पूरा न किया गया तो कपड़े का उत्पादन व निर्यात कम हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख कर सरकार कपास का आयात कर के कपास की कमी यथासंभव पूरी करने की कोशिश कर रही है ताकि कपड़े का अपेक्षित उत्पादन बना रहे।

### जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†*६६. श्री अगाड़ी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २४ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा जापानी इस्पात मिलों को लौह अयस्क की बिक्री के बारे में बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किस श्रेणी के और किन दरों पर तथा कितनी अवधि के लिये लौह अयस्क का ठेका हुआ है ; और

(ग) १९६१-६३ में देश वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क भेजने का ठेका होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जापानी इस्पात मिलो को बेचा जाने वाला लोह-अयस्क की विभिन्न श्रेणियां दर्शाने वाला एक विवरण-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**। और अधिक ब्योरा बताना निगम के व्यापार के हित में नहीं है ।

(ग) १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में विभिन्न देशों को किया गया लोह-अयस्क का वास्तविक निर्यात की मात्रा बताने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**। १९६२-६३ में निर्यात में कुछ वृद्धि होने की आशा है, जबकि निर्यात का रूप प्रायः वही रहेगा ।

## चीन नेपाल सीमा सन्धि

†*७५. **श्री अगाड़ी** : क्या **प्रधान मन्त्री** २४ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-नेपाल सीमा सन्धि के साथ संलग्न किये गये उन नक्शों का, जिन में नेपाल, भारत और तिब्बत की सीमाओं के मिलने की स्थिति दर्शायी गयी है, अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर भारत सरकार की क्या राय है ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विश्वास करने का भारत सरकार के पास कोई कारण नहीं है कि जिन दो नक्शों से उनका संबंध है, उन्हें गलत ढंग से बनाया गया है। संधि तथा उस के साथ संलग्न नक्शों में दिखाई गई सीमा प्राचीन उच्च जल विभाजन की सीमा है जिस में पारस्परिक सहमति से छोटे छोटे हेरफेर हो गये हैं ।

(ग) सरकार की दृष्टि से कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है ।

## किराया-खरीद पद्धति के अन्तर्गत मकान

†*७८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराया-खरीद पद्धति के अन्तर्गत आवंटन के लिये दिल्ली में मकान बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस का संक्षिप्त ब्योरा क्या है तथा इस पर कितना धन खर्च होगा ;

(ग) इस के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) इस योजना को अन्तिम रूप मिलने तथा इस के कार्यान्वित होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## घड़ियों का निर्माण

†*८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रो में किस मात्रा तक घड़ियों का निर्माण किया गया है ; और

(ख) उस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में घड़ियां तथा उन के पुर्जों के आयात में कितनी कमी हुई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

बंगलौर में घड़ी के कारखाने का भवन निर्माण २७ अगस्त, १९६१ को आरम्भ किया गया था । आशा है कि यह काम नवम्बर, १९६२ तक पूरा हो जायेगा । घड़ी के कारखाने के लिये अपेक्षित मशीनरी का आर्डर दे दिया गया है और आशा है कि सितम्बर, १९६२ के अन्त तक मशीनें मिल जायेंगी ।

जापानी विशषज्ञों द्वारा छांटे गये ५२ प्रशिक्षणार्थियों का पहला दल जुलाई, १९६१ में जापान भेजा गया था तथा उनमें से अधिकांशत: जुलाई/अगस्त, १९६२ तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लौट आयेंगे । पहले दल के लौट आने के बाद ५० प्रशिक्षार्थियों का दूसरा दल जापान भेजा जायेगा ।

५४ प्रतिशत देसी सामान लगा कर पुर्जों का वास्तविक निर्माण जनवरी, १९६३ , तक आरंभ हो जाने की आशा है । उत्पादन की चतुर्थ कमी में जिस के दिसंबर, १९६६ तक आने की आशा है, देशी सामग्री से पुर्ज़ों का निर्माण ८५ प्रतिशत से ९० प्रतिशत हो जायेगा ।

भारतीय प्रविधिकों को प्रशिक्षण देने के लि आयात किये गये पुर्जों से घड़ियों का एकीकरण जुलाई, १९६१ से आरम्भ हो गया है । लगभग १५,००० घड़ियों का एकीकरण मार्च, १९६२ के अन्त तक पूरा हो जायेगा । फरवरी, १९६२ के मध्य तक ११,४६५ घड़ियों का एकीकरण हुआ है जिन में से १८७० लेडीज़ (सुजाता), ४८१५ जेंट्स (सिटिज़न) तथा ४७८० जेंट्स (जनता) हैं ।

बम्बई में गैरसरकारी क्षेत्र में दूसरे कारखाने ने घड़ियों का एकीकरण आरम्भ कर दिया है । कुछ महीनों के काम के बाद उन का वास्तविक उत्पादन मालूम होगा ।

नियंत्रित आयात नीति के अधीन आयात की अनुमति है ।

## कपड़ा कागज और रेयन का निर्माण

†८७. **श्री न० म० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर निम्न चीजों का निर्माण करने का इरादा रखती है ;

(१) बांस से कपड़ा ;

(२) पटसन की घड़ियों से कागज़ ; और

(३) वांस से रेयन ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (१) जी नहीं।

(२) और (३) पटसन की छड़ियों से काग़ज़ बनाने की योजना हाल में ही स्वीकृत हुई है। बांस से रेयन की लुगदी बनाने की कई योजना स्वीकार की गई हैं। चालू योजनावधि में संभव है उत्पादन होने लगेगा।

## भारतीय सांख्यिकीय संस्था

†**८८. श्री न० म० देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सांख्यिकीय संस्था अपने अधिकार में ले ली है और यह दिल्ली में लाई जायेगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** जी नहीं।

## भारतीय पत्रकार से नेपाल छोड़ने के लिये कहा जाना

†**८९. श्री प्र० गं० देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान टाइम्स" के संवाददाता को हाल ही में नेपाल छोड़ देने का नोटिस दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) जी हां। नेपाल सरकार ने आदेश दिये थे कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री वी० आर० महेन्द्र नेपाल से बाहर चले जायें क्योंकि उनकी वहां पर उपस्थिति उनको अनुचित लगी थी।

(ख) भारत सरकार ने इस मे हस्तक्षेप करना अनावश्यक समझा है।

## गोआनी सैनिकों से मिले हथियार

†**९०. श्री प्र० गं० देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में पुर्तगाली गोआ के योरोपीय (श्वेत) सैनिकों से मिले कुछ हथियार पर "नेटो" के चिह्न हैं; और

(ख) यदि हां, यतो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). गोआ में प्राप्त हथियारों पर नाटों शक्तियों के चिह्न नहीं थे यद्यपि यह समझा गया कि इनका उपयोग नाटो शक्तियों द्वारा होता है। कुछ शस्त्रास्त्रों के बक्सों पर नाटो के चिह्न थे।

## जहाज़ों के डीज़ल इंजन

†**९१. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाज़ों के लिए डीज़ल के इंजन बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ग). जिन विदेशी साथों ने जहाजों के डीज़ल इंजन बनाने की ओर ध्यान दिया है, उनसे बातचीत हो रही है ।

## पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति

†९२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री प्र० गं० देव :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति के सुरक्षित न होने के कारण उस जाति के लोग पूर्वी पाकिस्तान से बराबर भारत आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) जी, हां ।

(ख) आप्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में कठोर नीति अपनाने पर भी भारत में आप्रव्रजन यातायात हो रहा है ।

भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से लगातार कह रही है कि १९५० के प्रधान मंत्रियों के समझौते के अधीन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाले अधिकार पाकिस्तान सरकार को इनको दिलाने चाहिए । हाल में ही पुनर्वास मंत्री तथा पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री के बीच हुए पत्र-व्यवहार में भी इस बात पर बल दिया गया है ।

## भारतीय सुरक्षा प्रहरियों का अपहरण

†९३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री प्र० गं० देव :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक-सभा के गत अधिवेशन समाप्त होने के बाद से अब तक पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर तैनात कई भारतीय सुरक्षा प्रहरियों का पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस द्वारा अपहरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रहरियों का अपहरण हुआ और किन परिस्थितियों में; और

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). जी, हां । दिसम्बर, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक की अवधि में पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा भारतीय सुरक्षा प्रहरियों के अपहरण की सीमान्त घटनाओं के संक्षिप्त ब्यौरों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]

†मूल अंग्रेजी में

**गोआनी जनता को सहायता**

†९४. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गोआनी लोगों को, जिनके मकान पुर्तगालियों ने हाल में नष्ट कर दिये हैं, सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी, हां। हाल की कार्यवाही के कारण जिन व्यक्तियों के मकान टूट गये थे उनके पुनर्वास के लिए ३ लाख रुपये की रक़म सरकार ने स्वीकार की है। इसमे से ७५,००० रुपये की रक़म, मकान आदि की मरम्मत के लिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को ३०० रुपये तक का अनुदान देने के लिए निश्चित कर दी गई है। शेष ऋण देने के लिए प्रयोग होगी। ऋण की अधिकतम रक़म प्रति मकान १०,००० रुपये होगी। ऋण का समान वार्षिक किस्तों में भुगतान होगा और उस पर ४$^{1}/_{2}$ प्रतिशत वार्षिक सूद लगेगा।

**गोआ**

†९५. **श्री प्र० गं० देव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गोआनी नागरिक को, जिसके पास भारतीय प्रवास-पत्र थे, ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोक दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन में एक गोआनी विद्यार्थी श्री एटेस डे मैसिआस बरगान्का को बोन में भारतीय राजदूत ने ५ जनवरी, १९६२ को भारतीय प्रवास-पत्र दिया था। जब वह २१ जनवरी, १९६२ को कैले होते हुए ब्रिटेन से लौट रहे थे तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया और उसी दिन उनको कैले वापस भेज दिया गया। अगले दिन वह विमान से ब्रिटेन लौटे परन्तु उनको पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और हवाई अड्डे के निरोध्य कमरे में उन को रोक लिया गया। यह मालूम हुआ है कि श्री बरगान्का जिनके पास पहले पुर्तगाली प्रवास-पत्र था से ब्रिटेन से चले जाने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जब लन्दन हवाई अड्डे पर उनकी तलाशी ली गई थी तो उनके पास भारतीय प्रवास-पत्र के साथ साथ पुर्तगाली प्रवास-पत्र भी मिला था।

ज्यूंही मामला भारतीय उच्चायोग को मालूम हुआ तो उसने उचित ब्रिटिश अधिकारियों से इसके बारे मे बातचीत की और श्री बारगान्का को २३ जनवरी को प्रवेश की अनुमति दी गई।

**हड़तालों के कारण जन-शक्ति का ह्रास**

†९६. **श्री प्र० गं० देव : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों में हड़तालों तथा तालाबन्दी के कारण १९६१ मे जन-शक्ति का ह्रास हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो १९६० की तुलना में इस वर्ष क्या अन्तर पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). १९६१ में काम के घंटों की हानि के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अन्तःकालीन आंकड़ों के अनुसार १९६१ में ४३.२५ लाख काम के दिनों की हानि हुई थी जब कि १९६० में ६५.१५ लाख काम के घंटों की हानि थी। १९६१ के आंकड़ों मे परिवर्तन हो सकता है।

**पश्चिम पाकिस्तान से 'लाकर्स'**

†१७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६२ तक पश्चिम पाकिस्तान से कितने 'लाकर्स' लाये गये; और

(ख) उनको वैध मालिकों को देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). ६७६ लाकर्स तथा सेफ डिपाजिटों का भारत को हस्तांतरण हो गया है। कानूनी मालिकों को मूल्यवान वस्तुओं दिलाने के लिए विशेष एकक बनाया गया है। अब तक १७५ मामलों में सम्पत्ति वापस दिला दी गई है।

**गोआ के लिये प्रवेश अनुमति पत्र**

†१८. { **श्री प्र० गं० देव** :
**श्री बलराज मधोक** :
**श्री आसर** :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों को जो गोआ के निवासी नहीं हैं, गोआ में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र देने के बारे मे कुछ शर्तें रखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने अनुमति-पत्र जारी किये गये हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जो गोआ के निवासी नहीं हैं उनको आवश्यकतानुसार जैसे सम्बन्धियों के पास जाना, यात्रा करना तथा वहां पर व्यापार के विकास आदि के लिये अनुमति पत्र दिये जाते हैं।

(ग) ९ मार्च, १९६२ तक ९८७ ।

**दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी**

†१९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में एक स्थायी प्रदर्शनी लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जहां पर स्थायी प्रदर्शनी बनाई जानी है, नई दिल्ली के उस प्रदर्शनी मैदान में दूसरा उद्योग मेला करने के लिए फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री को पट्टे पर दिया गया था। आशा है कि फैडरेशन मैदान १० अप्रैल १९६२ को खाली कर देगा। स्थायी प्रदर्शनी बनाने का कार्य शीघ्र आरंभ हो जायेगा और आशा है कि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में प्रदर्शनी का उद्घाटन हो जायेगा ।

## दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र का पुनःआयोजन[1]

†१००. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के पुनः आयोजन के प्रस्तावों को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ; और

(ग) योजना की कार्यान्विति में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)**. (क) से (ग). प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

## सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को पुरस्कार

†१०१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के किन औद्योगिक उपक्रमों को पुरस्कार दिये गये हैं ;

(ख) उनकी क्या उल्लेखनीय सफलतायें हैं ; और

(ग) गत वर्ष उनमें से प्रयेक उपक्रम के उत्पादन का अलग अलग मूल्य कितना था ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)से (ग). भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के इनामों के लिए नियुक्त समिति ने निम्न कार्यों के बारे में प्रत्येक समवाय तथा एकक के कार्य का मूल्यांकन किया है ;

(क) वित्तीय कार्य ;

(ख) उदार श्रम संबंध ; और

(ग) अनुसंधान नए तरीकों की खोज, मशीनों तथा उपकरणों के डिज़ायन आदि के बारे में विशेष कार्य ।

इस संबंध में जारी निम्नलिखित गजट नोटिफिकेशन संबद्ध हैं :—

(१) पी आर सी २८(१)-५९ दिनांक ७ अप्रैल, १९६१

(२) पी आर सी २८(१)-५९ दिनांक ६ जनवरी १९६१

(३) पी आर सी २८(१)-५९ दिनांक २६ जनवरी, १९६१

**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Replanning of D.I.Z. Area, Delhi.

१९६०–६१ में इनाम के लिए छांटे गये उपक्रमों को उत्पादन का मूल्य दिखाने वाला विवरण भी संबद्ध है ।

**[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**

खण्डू भाई देसाई समिति की सिफारिशों की प्रति भी संबद्ध है ।

**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

**राजस्थान में ऊन उद्योग के लिये राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रतिष्ठान**

†१०२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ऊन उद्योग के लिये एक राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत से ;

(ग) क्या प्रतिष्ठान की स्थापना में किसी अन्य देश से सहयोग के लिये बात की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कौन सा देश सहायता दे रहा है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक उन उद्योग के लिए सहकारी अनुसंधान संस्था के गठन के बारे में चर्चा करने के लिए ऊन उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिये मिले थे । चर्चा अभी हो रही है । आवश्यक होने पर विदेशों से सहायता ली जायेगी । संस्था राजस्थान में स्थापित होगी ।

**पाक-अधिकृत काश्मीर में चीनियों द्वारा कब्जा**

†१०३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवादी चीन ने पाकिस्तान द्वारा अधिकार में लिये गये काश्मीर के एक बड़े क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर कब्जे वाले काश्मीर के भाग में कथित चीनी अतिक्रमण के हाल के समाचारों का खण्डन करने के लिए भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य अब भारत का अंग है क्योंकि उसका कानूनी तौर पर भारतीय संघ में मिलन हो गया है । ज़ाहिर है कि भारत सरकार काश्मीर की पुरानी सीमाओं में कोई भी परिवर्तन स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती है ।

**कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें**

†१०४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें की ;

(ख) उनमें से कितनी कार्यान्वित की जा चुकी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितनी सिफारिश पर एक वर्ष से भी अधिक काल से कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) सम्बंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**]

**कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें**

†**१०५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें की ;

(ख) उनमें से कितनी कार्यान्वित की जा चुकी हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से भी अधिक काल से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) सम्बंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) से (घ). इस मंत्रालय के प्रशासी नियंत्रण के अधीन विभिन्न कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

**कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें**

†**१०६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें कीं ;

(ख) उनमें से कितनी कार्यान्वित की जा चुकी हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से भी अधिक काल से कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) सम्बंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें**

†१०७ **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें कीं ;

(ख) उनमें से कितनी कार्यान्वित की गई है ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक काल से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) सम्बंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर, अस्वीकृत किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (घ). मंत्रालय में कनिष्ठ कर्मचारी परिषद् वर्ष १९५४ में स्थापित की गयी थी । अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसको एकत्र करने में जो समय अथवा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुकूल नहीं होगा ।

**कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें**

†१०८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अन्तर्गत विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें कीं ;

(ख) उनमें से कितनी कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक समय से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) संबंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क)

| | |
|---|---|
| १९५६ में | ३ |
| १९५७ में | १४ |
| १९५८ में | ९ |
| १९५९ में | ७ |
| १९६० में | १० |
| १९६१ में | १० |
| कुल | ५३ |

(ख) ३८ ।

(ग) १ ।

(घ) १४ । एक विवरण संलग्न है जिसमें सिफारिशों का ब्योरा और अस्वीकृति का आधार बताया गया है । *[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]*

†मूल अंग्रेजी में

## कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१०९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें कीं ;

(ख) उनमें से कितनी कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक काल से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) संबंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर अस्वीकृत किया है ?

†**पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :

(क)

| १९५८ | १९५९ | १९६० | १९६१ |
|---|---|---|---|
| ६१ | ८७ | — | ३२ |

(ख) १७२ ।

(ग) जी, कोई नहीं ।

(घ) ८ । सिफ़ारिशों को इस लिये अस्वीकार किया गया कि इनको नियमों के अधीन माना नहीं जा सकता था ।

## कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†११०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागीय कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना से अब तक वर्षवार कितनी सिफारिशें कीं ;

(ख) इनमें से कितनी कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से भी अधिक समय से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) संबंधित विभागों ने उनमें से कितनी सिफारिशों को किन आधारों पर अस्वीकार किया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

## ५७ ट्रांसमिटरों का स्थापित किया जाना

†१११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ५७ ट्रांसमिटरों को स्थापित करने के लिये व्यवस्था पूरी करने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)**: जैसा कि ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२५–ढढ के उत्तर में बताया जा चुका है कि ५७ ट्रांसमिटरों के स्थान पर ५६ ट्रांसमिटर (५४ मीडियम वेव और दो शार्टवेव) लगाने के लिये व्यवस्था की जा रही है। उनके पूरा करने के बारे में की गई प्रगति निम्न प्रकार है :

**(१) जमीन और इमारतों का चुनाव :—**

५६ परियोजनाओं में से २२ वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों में लगाये जायेंगे। बाकी सभी ३४ मामलों में अमृतसर और कोयम्बटूर के अतिरिक्त नये स्थानों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। २२ केन्द्रों में आकाशवाणी ने स्थान/इमारत पर कब्जा कर लिया है। बाकी के लिये भू-अर्जन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

**(२) इमारतों का निर्माण :—**

अन्तिम रूप दिये गये ३२ स्थानों में से ७ वर्तमान इमारतों में लगाये जायेंगे। बाकी २५ में से १८ केन्द्रों में भवन-निर्माण कार्य जारी है। अन्य स्थानों पर कार्य आरम्भ करने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

**(३) उपकरण :—**

३७ ट्रांसमिटरों के लिये प्रमुख ट्रांसमिटिंग उपकरण और स्तूप या तो प्राप्त कर लिये गये हैं या वे आकाशवाणी के पास हैं। बाकी के लिये क्रयादेश दिये गये हैं।

**(४) पूरा किया जाना :—**

परियोजनाओं के अगले दो वर्षों में चालू किये जाने की आशा है।

## सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†११२. **श्री टी० चं० शर्मा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित की गयी उस समिति का प्रतिवेदन जो इस बात के लिये स्थापित की गई थी कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में सामान्य और निरन्तर उत्पादन के लिये उपाय सुझाये, प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). प्रतिवेदन भारत के उर्वरक निगम लिमिटेड के निदेशक-मंडल को दे दिया गया है जो इस पर अपनी अगली बैठक में विचार करेंगे। सरकार उसके बाद प्रतिवेदन पर और बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रूरकेला उर्वरक परियोजना

†११३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला उर्वरक परियोजना के कार्यान्वित करने का कार्य बिलकुल पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्धारित समय से कितना पीछे है ; और

(ग) इस देरी के क्या कारण हैं, और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स फाइडोरच उहदी द्वारा बनाया जा रहा रूरकेला उर्वरक संयंत्र का अमोनिया संयंत्र निर्धारित कार्यक्रम से छः महीने पीछे है और भारत के उर्वरक निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा नाइटरिक एसिड और नाइट्रोलाइमस्टोन संयंत्र निर्धारित कार्यक्रम से १४ महीने पीछे हैं।

(ग) विलम्ब के कारण ये हैं :—

(१) असैनिक इंजीनियरिंग ठेकेदारों का ठीक काम न करना ;

(२) संयंत्र और मशीन के हिस्सों के आयात में देरी ; और

(३) समय पर उपकरण न देने में भारतीय संभरणकर्त्ताओं और निर्माताओं की असफलता ।

अमोनिया संयंत्र के जुलाई, १९६२ तक चालू हो जाने की आशा है। जहां तक अन्य संयंत्रों का संबंध है, आधी क्षमता अगस्त/सितम्बर, १९६२ तक चालू हो जायेगी और बाकी अप्रैल, १९६३ तक।

## पाकिस्तान से जिप्सम की खरीद

†११४. **डा० सामन्त सिंहार :**
**श्री मुरारका :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से जिप्सम के मिलने लगजाने से सिन्दरी के उर्वरक उत्पादन की लागत में कहां तक कमी हो जायेगी ;

(ख) जिप्सम पाकिस्तान से किस कीमत पर खरीदा जा रहा है ;

(ग) देसी जिप्सम की "माइन हैड" कीमत पाकिस्तान की जिप्सम की कीमत के मुकाबले में क्या है ; और

(घ) इस सौदे के परिणाम स्वरूप हमारे जिप्सम क्षेत्रों में कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) पाकिस्तानी जिप्सम के इस्तेमाल से उत्पादन-लागत में कोई कमी नहीं आयेगी।

(ख) रेल-पर्यन्त-निःशुल्क वाघ तक ३३ रुपये प्रति टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खान से निकलने के समय देशी जिप्सम का मूल्य लगभग ७ रुपये प्रति टन है । खान से निकलने के समय के पाकिस्तानी जिप्सम के मूल्य के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) पाकिस्तान से जिप्सम सिन्दरी में भंडार बनाने के लिये खरीदा जाता है। इससे देशी खनन कार्य पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और इस कारण कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा ।

**दक्षिण अफ्रीका**

†११५. **श्री बलराज मधोक** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देश संयुक्त राष्ट्र में से दक्षिण अफ्रीका को निकालने की प्रस्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उसने जातिभेद के प्रश्न पर विश्व के जनमत का निरादर करने की नीति अपनाई है ; और

(ख) इस प्रकार की प्रस्थापना के प्रति भारत सरकार की क्या नीति होगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) महासभा के १६ वें सत्र में जो प्रारूप संकल्प पेश किया गया था और जिसमें सुरक्षा परिषद् का ध्यान संयुक्त राष्ट्र-संघ में दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र को सदस्य बने रहने के बारे में शीघ्र विचार के लिये चार्टर के अनुच्छेद ६ की ओर दिलाया गया था, वह प्रस्तावकों ने वापस ले लिया । इस बारे में किसी नये प्रस्ताव का भारत सरकार को पता नहीं है ।

(ख) यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में फिर कोई प्रस्ताव पेश किया जाये तो इसकी शर्तों के आधार पर ही भारत सरकार के रवैये के बारे में निश्चय किया जा सकता है ।

**पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां को निमन्त्रण**

†११६. **श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खाँ को भारत यात्रा के लिये निमंत्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उत्तर मिला है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) जी, हां । पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार से कोई औपचारिक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हुआ है ।

**मुनीरका के सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर**

†११७. **श्री बलराज मधोक : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुनीरका में सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्मित क्वार्टरों को सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों का आवंटन कब तक समाप्त हो जायेगा ; और

(ग) कितने क्वार्टर बिना बारी के दिये जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) और (ख). रामकृष्णपुरम् में क्वार्टर जून, १९६२ से थोड़े थोड़े तैयार होने की आशा है। क्वार्टरों के तैयार होने पर राज सम्पत्ति निदेशालय द्वारा वे सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिये जायेंगे ।

(ग) बिना बारी के आवंटित करने के लिये अभी क्वार्टरों की प्रतिशतता तै नहीं की गई है ।

## चाय का उत्पादन और कीमत

†११८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६१ से भारत में चाय के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) बढ़े हुए उत्पादन के निर्यात के लिये कौन से अन्य उपायों की खोज की गई है, और

(घ) उत्पादन वृद्धि का चाय की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). भारत में वर्ष १९६१ में ७७१० लाख पौंड चाय का उत्पादन हुआ जब कि वर्ष १९६० में ७०६० लाख पौंड चाय का उत्पादन हुआ था ।

(ग) सरकार और चाय बोर्ड विदेशों में चाय की बिक्री बढ़ाने के प्रश्न पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। वहां पर किये गये उपायों के फलस्वरूप तुर्की, स्वीडन, रूस, काहिरा, ईरान और अमरीका की निर्यात में काफी वृद्धि हुई। वर्ष १९६० की अपेक्षा वर्ष १९६१ में २२४ लाख पौंड चाय का अधिक निर्यात किया गया। आन्तरिक खपत में भी वृद्धि हुई है ।

(घ) भारत में अधिक फसल और विश्व में अधिक उत्पादन को देखते हुए वर्ष १९६१–६२ के मूल्य किसी प्रकार अनुचित नहीं हैं, यद्यपि ये पूर्व के वर्ष से कम हैं ।

## फालतू चाय

†११९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ के अन्त में उत्तर पूर्व भारतीय चाय की काफी फालतू मात्रा इकट्ठी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह मात्रा कितनी थी ;

(ग) क्या कुछ चाय व्यापारियों ने इस फालतू चाय को बेचने के लिये कम से कम प्रयोग के रूप में निर्यात शुल्क निलम्बित कर देने का सुझाव दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जी, नहीं। अधिक निर्यात और अधिक आन्तरिक खपत से वर्ष १९६१ में उत्पादित लगभग सभी चाय खपत हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह उद्योग समय समय पर निर्यात-शुल्क समेत सभी प्रकार के शुल्कों में कमी के लिये कहता है ।

(घ) चाय उद्योग के कर ढांचे पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है ।

**अमरीका को चाय का निर्यात**

†१२०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री न० म० देव :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में अमरीका को चाय के निर्यात में कमी हो गई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई ;

(ग) यह निर्यात के आंकड़े लंका की चाय के अमरीका को निर्यात की तुलना में कैसे हैं; और

(घ) भारतीय चाय के निर्यात में कमी के विशेष कारण क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) (आंकड़े हजार पौंडों में )

| वर्ष | भारत | श्रीलंका |
|---|---|---|
| १९६० . . . . | १८,९५५ | ४०,८६० |
| १९६१ . . . . | २३,०२५ | ३८,५८८* (केवल नवम्बर तक) |

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

* अस्थायी

**कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना**

१२१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिले में अखबारी कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मिल्स को वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारम्भिक काम करने के लिये एक विदेशी फर्म के सहयोग से एक नई कम्पनी खोलने की अनुमति दे दी गई है ।

---

**दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न सख्या १३ के उत्तर में शुद्धि**

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: १४ नवम्बर, १९६० को श्री सरजू पाण्डेय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में मैंने उत्तर प्रदेश में

---

†मूल अंग्रेजी में

गंदी बस्तियों को हटाने। सुधारने के बारे में प्रगति के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण रखा था। यह विवरण तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था। इस बीच राज्य सरकार ने सूचना दी है कि पहले उन्होंने जो जानकारी दी थी वह कुछ मामलों में सही नहीं थी। तब से राज्य सरकार से प्राप्त ब्योरों के आधार पर तैयार किया गया पुनरीक्षित विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध स्या २०]**

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### नेपाल के विदेश मन्त्री का वक्तव्य

### जिसमें भारत से होन वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है

†**श्री प्र० गं० देव :** (अं ल) मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं ताकि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"नेपाल के विदेश मंत्री के वक्तव्य, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि नेपाली कांग्रेस की नेपाल सरकार विरोधी कारवाइयों का संचालन कुछ भूतपूर्व नेपाल सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा भारत से किया जा रहा है।"

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा जनवरी, १९६२ में कुछ आरोप लगाये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ वक्तव्यों में भारत पर यह आरोप लगाया कि नेपाल क्षेत्र पर कुछ भूतपूर्व नेपाली भारत से सशस्त्र हमले कर रहे हैं। इन विभिन्न आरोपों की जांच की गई थी, और वे सर्वथा निराधार पाये गये हैं। भारत में कोई भी सशस्त्र नेपाली संगठन नहीं है और भारत से किन्ही भी विरोधी तत्वों ने नेपाल में प्रवेश नहीं किया है। न ही भारत राज्य क्षेत्र का प्रयोग नेपाल में ध्वंसात्मक कारवाइयां करने के लिये सशस्त्र नेपाली दलों को प्रशिक्षण देने अथवा संगठित करने के लिये किया गया है।

इसलिये भारत सरकार ने उन आरोपों का तथा नेपाल में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के आरोप का खंडन किया है। भारत सरकार ने भारतीय सीमान्त अधिकारियों को नेपाल में सशस्त्र व्यक्तियों, शस्त्रों, गोला बारूद, विस्फोटक तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के भेजे जाने को रोकने के लिये समस्त सम्भव सावधानी करने की हिदायत कर दी है। भारत सरकार को विश्वास है कि पुलिस इन हिदायतों का पालन करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

भारत सरकार ने नेपाल सरकार को यह आश्वासन दिया है कि जो नेपाली भारत में भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुये पकड़े जायेंगे, उनके साथ कानूनी कार्यवाही की जायेगी और सीमान्त पर कड़ी चौकसी जारी रहेगी ताकि नेपाल में शस्त्रों, गोला बारूद आदि को चोरी-छिपे न लेजाया जा सके।

†**श्री हेम बरुआ :** (गोहाटी) : मैं नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा १४ मार्च, को काठमंडू में दिये गये वक्तव्य की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। उसने प्रधान मंत्री के इस सदन में दिये गये १४ मार्च के वक्तव्य के उल्लेख में कहा है कि नेपाल के राष्ट्रविरोधी तत्वों ने नेपाल में अवैध शस्त्रों का प्रवेश किया। मेरा निवेदन है कि शस्त्रों के प्रश्न पर स्पष्ट वक्तव्य

---

†मूल अंग्रेजी में

दिया जाना चाहिये अन्यथा हमें बहुत ही गलत समझ लिया जायेगा। समस्त संसार में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि विद्रोहियों से जो शस्त्रास्त्र बरामद हुए हैं वे उनको हमने दिये हैं।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जिस प्रश्न का उत्तर अभी अभी दिया गया है उसका सम्बन्ध इसी बात से है। मुझे पता नहीं कि नेपाल के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, अखबारों में उस के बारे मे कुछ आया था परन्तु पता नहीं उस में वास्तविक शब्द क्या थे। परन्तु मेरा निवेदन है कि भारतीय शस्त्र और गोला बारूद का सम्भरण, नेपाली सेना को किया गया था। सम्भव है कि वहां के उपद्रवियों ने उनमें से कुछ शस्त्रादि बाहरी चौकियों से प्राप्त कर लिये हो। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हम ने अपने देश से शस्त्र तथा गोला बारूद के भेजे जाने को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं। सीमा पार की किसी अवांछनीय घटना के लिए भारत सरकार कोई गारन्टी नहीं दे सकती है। यह लम्बा सीमान्त क्षेत्र है। सीमान्त पर आना जाना निर्बाध है। फिर भी हमारे द्वारा उठाये गये कदमों के कारण कोई खास काम की चीज उधर नहीं जा सकती है।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### भारत चीन पत्र व्यवहार और भारतीय सांख्यकीय संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच व्यापार और आवागमन पर १९५४ के भारत–चीन करार के नवीकरण के बारे में चीन सरकार का दिनांक ३ दिसम्बर, १९६१ का टिप्पण।

(दो) भारत सरकार का दिनांक १५ दिसम्बर, १९६१ का उत्तर।

(तीन) वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का चीन सरकार को दिनांक २५ जनवरी, १९६२ का विरोध-पत्र।

(चार) चीन सरकार का उनकी वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में दिनांक २४ जनवरी १९६२ का विरोध पत्र।

(पांच) भारत सरकार का दिनांक २२ फरवरी, १९६२ का उत्तर।

(छै) भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में चीन सरकार के दिनांक ३० नवम्बर, १९६१ के टिप्पण के उत्तर में भारत सरकार का दिनांक २६ फरवरी, १९६२ का उत्तर।

(सात) वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का दिनांक ९ मार्च, १९६२ का विरोध–पत्र।

(आठ) चीनी विमान द्वारा वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का दिनांक १० मार्च, १९६२ का विरोध–पत्र।

(नौ) वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में चीन सरकार का दिनांक ४ जनवरी, १९६२ का विरोध-पत्र।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दस) चीनी विमान द्वारा वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का दिनांक १० मार्च, १९६२ का उत्तर।

(ग्यारह) चीन सरकार का दिनांक २६ फरवरी, १९६२ का नोट।

(बारह) भारत सरकार का दिनांक १३ मार्च, १९६२ का उत्तर।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३५१५/६२]**

(२) भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता की वर्ष, १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३५१६/६२]**

**आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर की गयी कार्यवाही के विवरण**

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)**: मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | पहला विवरण | पन्द्रहवां सत्र, १९६१ |
| (दो) | अनुपूरक विवरण, संख्या ३ | चौदहवां सत्र, १९६१ |
| (तीन) | अनुपूरक विवरण, संख्या १० | तेरहवां सत्र, १९६१ |
| (चार) | अनुपूरक विवरण, संख्या ११ | बारहवां सत्र, १९६० |
| (पांच) | अनुपूरक विवरण, सख्या १४ | ग्यारहवां सत्र, १९६० |
| (छै) | अनुपूरक विवरण, संख्या १९ | दसवां सत्र, १९६० |
| (सात) | अनुपूरक विवरण, संख्या १९ | नवां सत्र, १९५९ |
| (आठ) | अनुपूरक विवरण, संख्या २६ | सातवां सत्र, १९५९ |

**[देखिये परिशिष्ट १, क्रमशः अनुबन्ध संख्या २१ से २८]**

**उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन, तथा भारतीय हस्तकला विकास निगम का लेखा परीक्षित लेखे का वार्षिक प्रतिवेदन**

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं (१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) अन्तर्दाह इंजनों और शक्ति चालित पम्पों, एयर कम्प्रेसर, और पंखे और बायलर सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) बिजली के भारी सामान के उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ग) बिजली के हलके सामान संबंधी विकास परिषद् की १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(घ) मशीनी औजार सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ङ) मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी के पुर्जे तथा परिवहन गाड़ियों के उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) भारी रसायनों (तेजाब और उर्वरक) संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(छ) चीनी उद्योग संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ज) ऊन उद्योग संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(झ) कृत्रिम रेशम उद्योग संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ट) भेषज तथा औषधियों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ठ) खाद्य पदार्थ तैयार करने के उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ड) अलोह धातुओं तथा मिश्रित धातुओं संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ढ़) चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(त) ओरगेनिक कैमिकल उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(थ) बाइसाइकलों, सिलाई की मशीनों और औजारों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(द) कागज, लुगदी और सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(घ) क्षार तथा सहायक उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(न) तेल, साबुन और रंग-रोगन संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०—६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(प) मशीन निर्माण उद्योग संबंधी विकास परिषद् का प्रतिवेदन ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३५२५/६२ से ३५४३/६२ तक]**

(क) कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९ क की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारतीय हस्तकला विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन । लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३५४४/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## लोक लेखा समिति

### चालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : (कुम्बकोणम्) मैं विनियोग लेखे (रेलवे) १९५९-६० और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६१ के बारे में लोक लेखा समिति का चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## प्राक्कलन समिति

### एक-सौ-पचासवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—लघु-उद्योग—भाग १ (विकास आयुक्त का संगठन लघु उद्योग) के बारे में प्राक्कलन समिति की सतहत्तरवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की एक सौ पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदन को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने, उनके नाम के सामने बताई गयी तिथि से लोक सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है :—

| | |
|---|---|
| (१) श्री झूलन सिंह | १४-३-१९६२ |
| (२) श्री चन्द्र शंकर | १६-३-१९६२ |

---

## सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : श्रीमान् जी, आपकी अनुमति से मैं १९ मार्च १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए इस सभा के कार्य के बारे में यह वक्तव्य देता हूं—

(१) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(२) वर्ष १९६१-६२ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मत दान।

(३) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२ (**विचार तथा पारित करना**)।

(४) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२ (**विचार तथा पारित करना**)।

(५) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन बिल, १९६२ (**विचार तथा पारित करना**)।

(६) वर्ष १९६१-६२ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान।

(७) वित्त विधेयक १९६२ (**विचार तथा पारित करना**)।

(८) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १९६२ (**विचार तथा पारित करना**)।

(९) टेलीग्राफ की तारें, (अवैध रूप से रखना) संशोधन, विधेयक, १९६१ (**विचार तथा पारित करना**)।

(१०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, विधेयक, १९६२ राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में (**विचार तथा पारित करना**)।

---

†मूल अंग्रेजी में

(११) विमान निगम ( संशोधन ) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में ( **विचार तथा पारित करना** ) ।

जैसा कि सदस्यों को पता है कि समान्य बजट पर सामान्य चर्चा मंगलवार, २०, मार्च, १९६२ को प्रश्न-काल के पश्चात् आरम्भ होगी और उसके पश्चात् लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान होगा।

---

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव---(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब १५ मार्च १९६२ को डा० सुशीला नायर तथा स्वामी रामानन्द तीर्थ द्वारा प्रस्तुत निम्न लिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्न-शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

कि इस अधिवेशन में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १२ मार्च, १९६२ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

†**श्री तंगामणि** (मदुराई): कल मैं संशोधन संख्या ५४ का उल्लेख कर रहा था। उसमें चुनाव में कदाचार के जो मामले सामने आये है उनका उल्लेख था। मेरा निवेदन यह है कि हाल ही के चुनावों के सम्बन्ध में जो कदाचार के मामलों का पता चला है उनके बारे में सरकार को पूरी-पूरी जांच करवानी चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के आरोप विभिन्न दलों द्वारा लगाये गये है उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनकी सत्यता का पता लगना ही चाहिए। ऐसे बहुत से लोग जो चुनाव कार्यों पर नियुक्त किये गये थे, वे डाक द्वारा अपना वोट न दे सके। मैं एक अन्य बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह कि आगे के लिए चुनाव सम्बन्धी अपराध "हस्तक्षेप्य" बना दिये जाने चाहिए। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस समुचित कार्यवाही कर सके। साथ ही मेरा यह भी आग्रह हैं कि मतपेटियों का आकार अधिक बड़ा होना चाहिए जिससे मतपेटियों के प्रयोग की आवश्यकता न रहेगी।

**(डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं)**

१९६२ का वर्ष इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष परिसीमन आयोग नियुक्त किया गया है। आशा यही करनी चाहिए कि आयोग का कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दिशा में मेरा यह सुझाव है कि जो परिसीमन आयोग नियुक्त किया जा रहा हैं उसे निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के सम्बन्ध में सन्देह की तनिक भी गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिए। उनको नियन्त्रण में रखने के लिए यह जरूरी है कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांच से अधक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र न हो। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्य को करने वाले अधिकारियों को यह समझने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए कि वह भारतीय हैं। देश से बाहर कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों को अपने भारतीय होने पर गौरव होना चाहिए और इसी भावना से उन्हें कार्य भी करना चाहिए। हमारे विदेश स्थित दूतावासों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। उनके साथ अधिक अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ में भारत के ४३ करोड़ राष्ट्रजनों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस देश में तीसरे आम चुनाव का कार्य बड़े शानदार ढंग से कर डाला। हमने संसार को दिखा दिया है कि भारत को लोक क्षेत्र में दृढ़ विश्वास है। यद्यपि पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में देश ने विकास की दिशा में काफी प्रगति की है। परन्तु कुछ ऐसी भी चीजें ह जिन पर देश और सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। मेरा मत यह है कि यदि सरकार उन पर इससे पूर्व भी कुछ ध्यान देती तो पंचवर्षीय योजना और अधिक सफल होती।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ वह यह कि समस्त व्यक्तियों और राज्यों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि इसकी उपेक्षा की जा रही हैं। मेरा यह पक्का मत है कि उद्योगों की स्थापना उचित ढंग से नहीं की गयी है। इस दिशा में जो भी निर्णय लिये गये उन पर राजनीतिज्ञों और मंत्रियों के अनुचित प्रभाव रहे हैं। इसी प्रकार परिवार नियोजन का प्रश्न है। यह भी देश की एक गम्भीर समस्या बन रही है। गत १५ वर्षों में हम जनसंख्या की वृद्धि को रोक नहीं सके। यदि यह आज के अनुपात से बढ़ती रही तो भारत की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के अन्तर से अधिक हो जायेगी। और हमारा देश भयंकर गरीबी का शिकार हो जायेगा। मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस समस्या का हल युद्ध के स्तर पर किया जाना चाहिए। मेरा तो यह भी मत है कि परिवार नियोजन के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए।

राजस्थान में कांग्रेस की जो पराजय हुई है उसे पदासीन दल ने शान से स्वीकार नहीं किया है। यह तो स्पष्ट है कि इस हार का कारण राज्य का कुप्रशासन है। वहां कांग्रेस दल में भयंकर दलबन्दी है। और यह दल आपस में कहीं भी एक नहीं हो पाते। इनमें काफी स्पर्धा चलती रहती हैं। वहां प्रान्तीयता अथवा प्रदेशिकता की भावना भी काफी गहरी है। इसके विरुद्ध मैं गत १० वर्षों से आवाज उठाता रहा हूँ परन्तु इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यदि इसी तरह चलता रहा तो कभी तो जनता को इस स्थिति के लिए उत्तरदायी सरकार को बदलना ही होगा।

इसके अतिरिक्त और भी कुछ एक बातें है जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। राज्य के पश्चिमी सूखे क्षेत्रों में पीने के पानी का सम्भरण अभी भी एक समस्या है। राजस्थान नहर से "लिफ्ट" सिस्टम द्वारा पानी के सम्भरण के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि प्रस्तावित राजस्थान का तीसरा विश्वविद्यालय अजमेर अथवा बीकानेर में स्थापित किया जाना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच भी बीकानेर में स्थापित की जानी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस की हार का कारण राजाओं का राजनीति में पड़ जाना बताया गया हैं। यह बात बिलकुल निराधार है। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि सामान्य जनता कांग्रेस के गलत प्रशासन से तंग आ गयी हैं। मेरा यह दावा है कि यदि कांग्रेस वहां अपनी

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थिति सुधारने और जनता के कल्याण की ओर ध्यान दे तो किसी भी महाराजा अथवा महारानी के मुकाबले में हारने का कोई कारण नहीं रह जाता । यह भी आवाज निकली है कि राजाओं गो अपनी निजी थैलियों के कारण मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए । मेरे विचार में यह बहुत ही खेदजनक पग होगा। राजाओं को भी देश की सेवा करने का उतना ही हक है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति को । यदि राजाओं, रानियों में से युवक यवतियां मैदान में निकल कर चुनावों में खड़े होते है यह लोकतंत्र के ही चिन्ह है। उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर देना लोकतंत्र के द्वार बन्द करने वाली बात होगी। देश का विकास करना, देश के ४३ करोड़ लोगों को शिक्षित और सचेत बनाना एक ही दल विशेष का भारत के समस्त नागरिकों का कर्तव्य है और सभी को मिलकर इस राष्ट्रीय कार्य को करना चाहिए ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): हम अभी हाल ही में नये चुनावों के बाद यहां एकत्रित हुये हैं। अभी हाल ही हमारा अपनी जनता से सम्पर्क हुआ और हमें पता चला कि हमारे देश के लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे है। और हमारी सरकार के प्रति उनका व्यवहार किस प्रकार का है। ऐसी भी बहुत सी चीजें है जिस पर सफलता के लिए हमारी सरकार को गौरव हो सकता है। गोआ को देश का अंग बना कर भारत में सम्मिलित करना हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है जिस पर देश का प्रत्येक नागरिक गौरव कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि शांति पूर्ण नीति अन्ततोगत्वा अवश्य सफल होती हैं ।

औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी और सफलताएं मिली हैं। हमारे दल ने क्या किया वह सब कुछ जनता के सामने रख दिया गया और कांग्रेस को मत देकर जनता ने उसका समर्थन किया है। इसलिये राष्ट्रपति का ऐसा कहना ठीक ही है।

आजकल लोगों में से देशभक्ति की भावना बराबर कम होती जा रही हैं। समाज में सामाजिक महत्ता अधिक लाभदायक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में से सामाजिक महत्ता निरंतर कम होती जा रही है। लोग स्वार्थी अधिक होते जा रहे हैं। मित्रता आजकल लोगों में बनावटी रह गई है। व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जा रहा है। एक समय था जबकि मित्रता पवित्रता के आधार पर टिकी थी। आज लोग लिखित वस्तु को अधिक मानते हैं और अलिखित को कम। विधि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मेरा तो विचार है कि यह सब कुछ नहीं होना चाहिये। नैतिक विधि अथवा नैतिक मूल्य को अधिक महत्व मिलना चाहिये। देशभक्ति की भावना घट रही है। आवश्वकता इस बात की है कि लोगों को शिक्षित किया जाये कि वह ठीक ढंग से मतदान करें और धर्म, जाति आदि के आधार पर मतदान न करें।

जनता का दृष्टिकोण भी भौतिक होता जा रहा है। हो सकता है कि यह दृष्टिकोण आर्थिक क्षेत्र में होने वाली प्रगति के फलस्वरूप ही हो। मेरा विचार है कि भाषा आयोग अथवा राज्य पुर्नगठन आयोग की नियुक्ति करना भूल थी जिसके आधार पर कि राज्य बनाये गये हैं। परिणाम इसका यह हुआ है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिये मांग कर रहे हैं। या यह भी भूल है कि राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दे दिये गये हैं। राज्य सरकारें आजकल लोकप्रिय बनने का प्रयत्न कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे विचार से ऐसा नहीं करना चाहिये। क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ समाप्त हो जायेगा। मेरा ऐसा विचार है कि राज्य सरकारों की अपेक्षा केन्द्र के पास अधिकार होने चाहिये। सही एकता तभी हो सकती है जब कि अधिकार भी एक जगह केन्द्रित हों।

आजकल लोगों में शत्रुता की भावना अधिक बढ़ती जा रही है। अतः लोग अपने स्वार्थ का ध्यान अधिक रखते हैं और जनहित का ध्यान बहुत कम। इस प्रकार की भावना को रोकने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

नये-नये राज्यों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः संविधान में हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि और अधिक राज्यों की मांग न हो। चूंकि राज्यों के पास अधिकार अधिक हैं अतः लोग राज्य बनाने के लिये आकर्षित होते हैं। यदि राज्यों से कुछ अधिकार छीन लिये जाते हैं तो नये राज्य बनाने की बात कम उठेगी। राज्यों से शिक्षा तथा प्रशासकीय सेवाओं का कार्य ले लेना चाहिये। इसके स्थान पर होना यह चाहिये कि प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में राज्य केन्द्र से प्रशासकों की सेवा उधार लें।

सबसे बड़ी कमी जो आजकल दिखाई पड़ती है वह यह है कि मंत्री लोग अपने सचीवों का विश्वास नहीं करते। इस अविश्वास के आधार पर सारा प्रशासन ही समाप्त हो जायेगा। सरकारी कर्मचारी ही जनता की सच्ची सेवा कर सकते हैं। इसलिये उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिये। गत १४ वर्षों से हम बराबर यह बात देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी का नैतिक पतन हो रहा है और यही कारण है कि इतना भ्रष्टाचार आदि बढ़ रहा है। राजनैतिक नेता जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देते।

खर्चा भी बहुत हो रहा है। खर्च के मामले में कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी योजना बिना सोचविचार के तैयार होती है। आज काम शुरू होता है और अगले दिन बंद हो जाता हैं इस प्रकार करोड़ रुपये व्यर्थ में ही व्यय होते हैं। उसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बिना किसी अनुपात के बढ़ती जा रही है।

रेलों में भी गड़बड़ी है। कोयले के संभरण के लिये उचित मात्रा में वैगन नहीं दिये जाते इस प्रकार उद्योगों को काफी हानि उठानी पड़ती है।

काफी संख्या में हम ऋण ले रहे हैं। ऋण लेने के मामले में भी नियंत्रण होना चाहिये। व्यापार सन्तुलन और निर्यात घट रहा है आयात अनुज्ञप्तियां काफी मात्रा में दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि इन सब पर नियंत्रण होना चाहिये।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैंने काफी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस से मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली। मैं यह समझता हूं कि इस में बहुत जगहों पर कुछ आंकड़े दिखा कर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि देश में काफी तरक्की हुई है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि मानते हैं कि देश की तरक्की हुई है और मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से या आलोचक के दृष्टिकोण से उसे नहीं देखता हूं। लेकिन जहां पर यह कहा जाता है कि हमारे देश में काफी तरक्की हुई है वहां यह भी देखा गया है कि एक तरफ आजादी के बाद जो लखपती था वह करोड़पती हुआ और जो करोड़पती था वह अरबपती हो गया, जो एक कारखाने का मालिक था वह १४ कारखानों का मालिक हो गया। दूसरी तरफ गरीब गरीबतर हुआ, चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि पहले जिस की खरीदने की ताकत १०० रु० की थी उस की खरीदने की ताकत ६० रुपये की रह गई।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

[श्री स० मो० उनजीं]

मैं आप से निवेदन करता हूं कि पिछले जाड़े के दिनों में कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों में लगभग ८०० या ९०० आदमी इस वजह से मर गये कि उन के पास रहने के लिये मकान नहीं थे या ओढ़ने के लिये कम्बल नहीं थे। इस के बाद भी यहां अनेकों बातें कही जाती हैं कि हमारे देश में इतनी तरक्की हुई। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास एक डाकुमेंट है जिस में कानपुर शहर के सिविल सर्जन ने बतलाया हुआ है कि कानपुर शहर में ७१ आदमी ऐसे हैं जिन का पेशा अपना खून बेचना है। उन से पूछा गया कि वे कहां-कहां के आदमी हैं। इतना वक्त तो इस समय मेरे पास नहीं है कि वह लिस्ट मैं आपके सामने रख सकूं, लेकिन ७१ आदमी ऐसे हैं जो कि गोंडा जिले से, बाराबंकी जिले से आये हैं या नैनीताल जिले से आये हैं और दूसरी-दूसरी जगहों से आये हैं। उनका काम केवल इतना है कि वे अपना खून बेचें। सन् १९५८ से १९६१ तक बराबर उन्होंने अपना खून बेचा। इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन के जो रिमार्क्स हैं वे मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। वे कहते हैं :

> "प्राय ये व्यक्ति आदतन खून बेचने वाले हैं जो देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ तो रिक्शा चलाने वाले हैं। जो रुपये की कमी होने पर यदा कदा खून बेचते हैं।"

यह कितनी दुखदायक चीज है कि एक आदमी दिन भर या रात भर रिक्शा चलावे और जब इतने पर भी उसका खर्चा न चले तो उसको अपना खून बेचने के लिये मजबूर होना पड़े। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सन् १९५८ से सन् १९६१ तक इन ७१ बदनसीब आदमियों ने कितना खून बेचा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों ने २७,०० बोतलें खून बेचा जो कि हर बोतल ४०० सी० सी० की होती है। और इस हिसाब से इन आदमियों ने १० लाख सी० सी० खून बेचा। इस डाकूमेंट पर परमानन्द जादव साहब सिविल सरजन के हस्ताक्षर हैं जो कि उन्होंने पत्रकारों के सामने पेश किया था।

इस अवस्था में जब कहा जाता है कि देश की तरक्की हो रही है और उसके समर्थन में आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो मुझे एक लतीफा याद आता है। एक पी० डब्ल्यू० डी० के ओवर सियर साहब थे उन्होंने अपनी चालीस साल की नौकरी में लम्बाई, चौड़ाई और गोलाई को नाप कर औसत निकालना सीखा था। एक बार वह अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहे थे। रास्ते में दरिया था। लोगों ने कहा कि दरिया गहरा है। उन्होंने कहा कि मैं औसत निकाले लेता हूं। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे की ऊंचाई ३ फीट ८ इंच थी, बीवी की ऊंचाई ५ फीट थी और उनकी अपनी ५ फीट आठ इंच थी। उन्होंने सब का औसत निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने दरिया की गहराई का औसत निकाला जो कि तीन फीट आया। तब उन्होंने देखा कि दरिया का औसत उन लोगों की ऊंचाई के औसत से कम था। इसलिये उन्होंने पहले अपने बच्चे को कहा कि तुम पार जाओ। जब वह डूबने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे बचाओ। उन्होंने कहा कि तुम कैसे डूब सकते हो, तुम्हारी ऊंचाई तो दरिया के औसत से ज्यादा है। लेकिन बच्चा डूब गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी ऊंचाई तो पांच फीट है तुम दरिया के औसत से दो फीट ऊपर होगी। तुम पार जा सकती हो। जब बीवी डूबने लगी तो वह चिल्लाई कि मैं डूब रही हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेजे से नहा रही हो, तुम कैसे डूब सकती हो। मैंने चालीस साल तक औसत निकाला है। तुम नहीं डूब सकतीं। लेकिन बीवी डूब गई। जब उनके बीवी और बच्चा दोनों डूब गए तो उन्होंने कहा कि औसत ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों।

जब हमारे खाद्य मंत्री जी भाषण देते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि गेहूं की वाली झूम रही है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वही एक सेर १४ छटांक और एक सेर १२ छटांक का गेहूं मिलता है। कहा जाता है कि गेहूं देश में बहुत हुआ है और अमरीका भी हमको गेहूं दे रहा है। वह पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उससे कह रहा है कि तुम हथियार चलाओ और हमको गेहूं दे रहा है और कह रहा है कि गेहूं खाओ। तो मैं अपने देश के कर्णधारों से पूछना चाहता हूं कि जब इतना गेहूं हम पैदा कर रहे हैं और बाहर से भी आ रहा है तो यह कठिनाई जनता के सामने क्यों है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। आज इलेक्शन का जमाना नहीं है। अगर आज हम आंकड़े बता कर लोगों से कहें कि गल्ले की कोई कमी नहीं है तो क्या इससे उनका काम चल सकता है। अगर देश में गल्ले की हालत अच्छी हो तो क्यों इन ७१ लोगों को अपना खून बेचना पड़े। मैं आपके सामने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट का जजमेंट रखना चाहता हूं। एक आदमी अपने दोस्त के साथ खून देने गया। मगर डाक्टर ने उसका खून लेने से इन्कार कर दिया यह कह कर कि तुम एनीमिक हो गए हो। इस पर वह झगड़ पड़ा। उसने कहा "मुझे खाना तभी मिल सकेगा जब कि मैं खून बेचूं।" आप जानते हैं कि यह इसी कारण हो रहा है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है। इस पर हमको विचार करना चाहिये। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि यह किस तरह बेकारी की वजह से हो रहा है।

मैं आशा करता था कि राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहेंगे कि ५० करोड़ या ६० करोड़ रुपया अनएम्पलायमेंट डोल्स के रूप में लोगों को दिया जाएगा ताकि बेकार लोगों की कठिनाई कुछ कम हो सके। मेरी प्रार्थना है कि जो बेकारी बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए अनएम्पलायमेंट डोल देने का प्रबन्ध किया जाए।

दूसरा सवाल हमारे सामने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है। यह सही है कि देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन बहुत बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही बरकर की रियल वेजेज़ भी प्रोटेक्ट हुई हैं या नहीं इसका कोई हिसाब नहीं है। जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि इस समय देश के सामने आर्थिक संकट है हम नहीं चाहते कि तनखाह बढ़ाने की डिमांड इस समय पेश की जाए। मैं भी नहीं चाहता कि देश के प्रोडक्शन में किसी तरह से रुकावट आवे। लेकिन अगर चीजों के दाम बराबर बढ़ते चले जाएंगे तो मजबूरन यह सवाल सामने आएगा। अगर आप प्राइस लाइन को होल्ड कर सकें तो कोई कर्मचारी अपने भत्ते या तनख्वाह को बढ़ाने की मांग नहीं करेगा। सन् १९६० में जो कर्मचारियों की हड़ताल हुई उसमें कर्मचारियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १७ हजार को तो नौकरी ही चली गई। फिर हमारे प्रधान मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों के बीच में पड़ने से उनकी नौकरियां फिर मिल गयीं। लेकिन जो आंकड़े रिजर्व बैंक ने कीमतों के बारे में दिए हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं।

कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक इस प्रकार है : जूलाई, १९६० में १२६, अगस्त, १२६, सितम्बर, १२५, अक्तूबर १२५, नवम्बर १२४, दिसम्बर १२४, जनवरी १९६१ में १२३, फरवरी १२४, मार्च १२४, अप्रैल १२४, मई १२४, जून १२५, जुलाई १२७ अगस्त १२८, सितम्बर १२८, अक्तूबर १२८, नवम्बर १२८, दिसम्बर १२८। इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि अगर सन् १९४९ की वेज को १०० माना जाए तो चीजों के दाम ११५ प्वाइंट से ज्यादा बढ़ गए हैं और पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार आपको कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सरकार पे कमीशन की इस सिफारिश पर अमल नहीं करती जब कि उसने कहा था कि पे कमीशन का फैसला तो

[श्री स० मो० बनर्जी]

पंच का फैसला है। जब जुलाई में हड़ताल होने जा रही थी तो नन्दा जी ने आश्वासन दिया था। उस आश्वासन को पूरा करना चाहिये। आज मैं रिजर्व बैंक के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए।

उसके बाद एक सवाल आता है हमारे सामने कोड आफ डिसीप्लिन का। मैं मानता हूं कि बहुत से उद्योगों में यह कोड आफ डिसीप्लिन अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन जो भोपाल में हो रहा है वह आपके सामने है। मुझे वहां बुलाया गया था और मैं वहां गया था। एक छोटी सी बात थी। वहां पर एक आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन है और जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन्स ने च्यांगकाई शेक को मान रखा है इसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने, खासकर वहां के श्रम मंत्री श्री द्रविड़ साहब ने, इस यूनियन को मान रखा है। उन्होंने कहा कि वह उसको मानेंगे चाहे उसके पीछे एक भी आदमी न हो। हाल की हड़ताल ने यह सावित कर दिया है कि उस यूनियन के पीछे कोई फालोइंग नहीं है। और खैर उसके पीछे फालोइंग हो या न हो। लेकिन जब हड़ताल हो गई तो उस यूनियन के साथ पैक्ट किया गया जिसको लोग प्रो-कम्युनिस्ट कहते हैं। लेकिन इन वर्करों को राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था वे तो केवल ट्रेनीज बन कर आए थे। उनमें न कोई कम्युनिस्ट था, न प्रजासमाजवादी था, और न उनका किसी और राजनीतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध था। न उनमें से कोई जन संघी था। उनका राजनीतिक से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको अगर ज्वाइंट कंसलटेटिव मैशिनरी नहीं मिलेगी तो उसका आउटलैट क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने श्रम मंत्री महोदय से और प्रधान मंत्री महोदय से जिन्होंने वहां हस्तक्षेप किया और जिनके पैगाम से हड़ताल वापस हुई कि वे द्रविड़ साहब के प्रस्टीज को अपने सामने न रखें। बल्कि मेरा तो निवेदन है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्योग हैं और जो मरकजी हुकूमत चलती है, उनको स्टेटों के नीचे से निकाल कर सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि उनमें राज्यों की राजनीति का असर न पड़े। चाहे वह हैवी इलेक्ट्रिक्ल हो या हमारे स्टील प्लांट हों, उन सब राष्ट्रीय उद्योगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिये और उन पर राज्यों का असर नहीं पड़ने देना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज को अच्छी तरह से पैदा देखा जाए।

जहां तक कोड आफ डिसिप्लिन का सवाल है, उसको सुरक्षा मंत्रालय ने मान लिया है और रेलवे मत्रालय ने भी मान लिया है। यह बड़ी अच्छी बात है मैं नहीं चाहता कि हड़ताल हो। हमें अपनी तीसरी योजना को कामयाब बनाना है तो हमें हड़ताल नहीं होने देना चाहिये। और मैं जानता हूं कि तीसरी योजना की कामयाबी पर ही हमारे बच्चों की मुस्कराहट निर्भर करती है। इसलिये हम चाहते हैं कि वह कामयाब हो। मैं नहीं चाहता कि देश को किसी भी हालत में ठेस पहुंचे। आज जब कि चीन का आक्रमण हमारे सामन है, और पाकिस्तान बार-बार तरह की बातें हमारे सामने करता है, और जब विदेशों की कुदृष्टि हमारी ओर लगी हुई है तो हमको अपनी उन्नति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने देना चाहिये।

मैंने देखा कि गोआ की आजादी के बाद कुछ देशों ने हमारे प्रधान मंत्री जी की अर्थी को जलाया। और हमारे राजदूतों के मकानों पर पत्थर बरसाये। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वे देश कौन हैं जो अपने दाहिने हाथ से पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम हथियार चलाओ और अपने बायें हाथ से हमको गेहूं दे रहे हैं और कहते हैं कि गेहूं खाओ। ऐसे देश आज इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमारे राष्ट्रीय उद्योग तरक्की न करें।

भोपाल की हड़ताल को खत्म करने से पहले मैंने उन बच्चों से कहा कि तुम यह सोचो कि ये प्लेसेज आफ पिलग्रिमेज हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जब मैं भोपाल आता हूं और जब हैवी इलेक्ट्रिकल को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि यह एक प्लेस आफ पिलग्रिमेज है। लेकिन इन तीर्थ स्थानों पर आपने जो रिटायर्ड पंडे बिठा रखे हैं वे आखिर क्या करें। उनकी वजह से सारी परेशानी है हम लोगों को। मैं चाहता हूं कि वहां पर एक एन्क्वायरी होनी चाहिये कि बार-बार हड़ताल क्यों हो रही है। केवल बच्चों को दोष देने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके बारे में अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये।

गोआ की आजादी पर मैं बधाई देता हूं सुरक्षा मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं उन शहीदों के प्रति जिन्होंने अपनी शहादत के बल पर गोआ को हासिल किया। गोआ की जीत के बाद उन देशों को भी कुछ नसीहत मिलेगी जो कि हमारे देश पर आक्रमण करने की सोचते हैं। उनको बार-बार सोचना होगा कि आज हिन्दुस्तान ऐसा देश नहीं है कि जो भी चाहे उस पर हमला कर दे।

सभापति महोदय, नेशनल इंटैगरेशन के बारे में हम बहुत बातें करते हैं लेकिन इस चुनाव में मैंने अजीब चीजें देखीं। मैंने देखा कि हमारी मुसलमान बहनों को कांग्रेसी भाइयों ने यह कह कर जलसे में बुलाया कि मिलाद शरीफ होने वाला है। उसमें १५ मिनट जिक्र रसूल हुआ और उसके बाद वहां पर कांग्रेस और वोट का जिक्र हुआ। मैंने मौलाना हिफजुर रहमान से जोकि जमीयत-उल-उलमाये हिन्द की कांफ्रेंस करने गये थे कहा कि मजहब को कम से कम एलेक्शन में न घसीटा जाय तो अच्छा हो।

मेरे जनसंघी भाई मुझे चुनाव में हराने के लिये सीता माता को लाये। उन्होंने मेरे लिये कहा कि मैंने सीता माता का अपमान किया है। लेकिन मैंने अपने जन संघी भाइयों को एक ही चीज कही कि यह कानपुर शहर श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है। भूतकाल में भी यह गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर रहा है, अभी भी है और आगे भी यह उन्हीं का शहर रहने वाला है। कानपुर शहर को कभी भी माथू राम गोडसे का शहर नहीं बनने दिया जायेगा। हमने देखा कि कानपुर के चुनाव में जनसंघी उम्मीदवारों की जमानतें तक जब्त हो गईं....

**सभापति महोदय** : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें। उनका समय समाप्त हो चला है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे पांच मिनट का समय दिया जाय।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य दो मिनट और ले सकते हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं चाहूंगा कि २५ मार्च सन् १९६२ को जोकि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कमोमरेशन स्टाम्प डे मनाया जा रहा है, उसे नेशनल इंटैगरेशन डे के रूप में मनाया जाय। इस अवसर पर डा० सुब्बारायन कानपुर तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के हरदिल अजीज नेता श्री जवाहरलाल नेहरू भी इस मौके पर कानपुर पधारें। यह उचित ही होगा कि २५ मार्च सन् १९६२ का दिन श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में जिन्होंने कि अपना सारा जीवन साम्प्रदायिकता के विरूद्ध लड़ने के लिये लगा दिया था और जिन्होंने कि हिन्दू-मुस्लिम एकता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, नेशनल इंटैगरेशन डे के रूप में पुकारा जाय। सही मायनों में नेशनल इंटेगरेशन की तरफ बढ़ कर ही हम इस देश से साम्प्रदायिकता का जनाजा निकाल सकते हैं।

[श्री स० मो० बनर्जी]

बहुत संक्षेप में दो, एक छोटी चीजें कह कर मैं समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि लैदर, न्यूजपेपर और दूसरी इंडस्ट्रीज के वास्ते भी वेज बोर्ड्स बनाये जायें। लैदर और न्यूजपेपर्स के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज जिनमें कि आप समझते हों कि वेज बोर्डस बनाने की जरूरत है उनके वास्ते भी वेज बोर्डस बनाये जायं। वेज बोर्डस अगर न बनाये जाएं तो या तो चीजों के दाम बढ़ने से रोके जायं या फिर कर्मचारियों का मंगाई भत्ता बढ़ाया जाय।

आज हम देखते हैं कि मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहने और उसके हिसाब से मंहगाई भत्ता न मिलने के कारण मजदूरों में बड़ी बेचैनी फैलती है क्योंकि उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसके फलस्वरूप इंडस्ट्रीज में हड़तालें होती हैं और आज भी हो रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां कोई बड़ा सरमायादार आ जाता है वहां पर हड़ताल का फैसला नहीं होता है। हमारे कानपुर शहर में जे० के० रेयन्स् का श्री पदमपत सिंगानिया का कारखाना है वहां पर करीब ४७ दिन से हड़ताल चल रही है लेकिन लेदर मशीनरी वहां पर मिलती नहीं है। सुना गया है कि श्री सिंगानिया ने इस चुनाद में काफी मोटी रकम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे दी है। मेरा तो कहना है कि अगर प्रांतीय सरकार नहीं हिल सकती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही हिले और कोई फैसला करवाये ताकि जो ४५ या ४७ दिन से कारखाने में हड़ताल चल रही है वह खत्म हो।

एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि ६ वर्ष से ११ वर्ष के लड़कों को फ्री तालीम दी जायगी। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा कि वह तालीम दी क्या जा रही है? सही मायनों मे वह तालीम नहीं है। सरकार और उसके मंत्री महोदय अपन भाषणों में जब तक कहते रहते हैं कि आज के इस प्रजातांत्रिक युग में यह जो छोटे-छोटे बच्चे हैं आगे चल कर इनमें से देश के प्रधान मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि पांचवीं जमात पास करने के बाद जब बच्चा छठी जमात में जाता है तो उसका नाम कट जाता है क्योंकि छठी में किताबों की फेहरिस्त जो दी जाती है वह किताबें २२ रुपये की आती हैं और गरीबी के कारण वह आगे पढ़ने से वंचित रह जाता है। अब आप ही सोच सकते हैं कि जब ऐसी हालत हो तो हमें इन बच्चों में से देश का प्रधान मंत्री कहां मिल सकेगा? अब ऐसे बच्चों को तो हम आगे चल कर जूतों पर पालिश करते या होटलों में झूठे बर्तन साफ करते देखेंगे। सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और आवश्यक सुधार तत्काल करना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हम निरन्तर प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। हम देखें कि हमारे में कम्पलीसेंसी की भावना पैदा न होने पाये। देश में तरक्की हुई है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश और अधिक तरक्की करे। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री देश को आगे ले जाने के लिये शतायु हों और हम लोगों की आयु लेकर भी शतायु हों।

आज देश में जो राइट रिऐक्शनरी फोर्सेज बढ़ती जा रही हैं उनका हमें डट कर मुकाबला करना है और उसके लिये एक नेशनल प्लेटफार्म होना चाहिये। यह प्रतिक्रियावादी ताकतें जोकि हमें सामन्तवादी युग में ले जाना चाहती हैं उनको खत्म किया जाय। बस और अधिक न कहते हुये मैं आशा करूंगा कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये मैं उनको बधाई देती हूं। उन्होंने अपना कार्यकाल बड़ी प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ निभाया है। अपने सत्परामर्श से उन्होंने सदैव ही हमारा पथ प्रदर्शन किया है। हमारी कामना है कि उनकी शतायु हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कृषि का उल्लेख किया है। यह ठीक है कि अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कृषि में आत्मनिर्भर होना अत्यन्त आवश्यक है। हमने कृषि उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया है। लेकिन कृषि के लिये सिचाई और विद्युत् के क्षेत्र में उन्नति करना भी आवश्यक है। क्योंकि इनके बिना कृषि की उन्नति संभव नहीं है। बंगाल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि उत्पादन की अधिक आवश्यकता है। कोयले के उत्पादन को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कोयले के उत्पादन के साथ परिवहन एवं संचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना भी चाहिये क्योंकि तभी यह ठीक समय पर उद्योग तक पहुंच सकेगा और उद्योग उन्नति कर सकेंगे। उद्योगों की उन्नति के साथ साथ देश की समृद्धि होती है। इसलिये सड़क आदि की उन्नति होनी चाहिये। कोयले को समुद्र द्वारा भेजने का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

जहां तक सड़क परिवहन की उन्नति की बात है बंगाल के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है जबकि वहां सड़कों के विकास की बड़ी आवश्यकता है। कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों का विकास भी नितांत आवश्यक है क्योंकि इनके विकास से न केवल बंगाल की ही उन्नति होगी बल्कि समूचे देश की उन्नति होगी। इसलिये कोयला खदान क्षेत्रों से इन पत्तनों तक सड़कों के विकास की बड़ी आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। यह ठीक है कि मलेरिया आदि जैसे रोगों पर नियंत्रण करने में हमें सफलता मिली है। लेकिन यक्ष्मा पर नियंत्रण पाने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना है। कैंसर की बीमारी भी बड़ी घातक है उसकी रोकथाम के लिये भी हमें कुछ करना होगा। इस संबंध में नई नई दवाइयां तथा नये नये उपचारों का प्रयोग हमें करना चाहिये। हो सकता है इसके लिये हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़े। अतः सरकार को इस क्षेत्र में अवश्य ही कुछ करना चाहिये।

आम चुनाव पूरे हो गये हैं। लोगों ने अपने मत देकर यह सिद्ध कर दिया है कि उसका विश्वास कांग्रेस में है। और जनता ने यह प्रकट कर दिया है कांग्रेस की नीति में उसका विश्वास है। चुनावों के संबंध में यह आरोप लगाया है कि इन चुनावों मे जातिवाद आदि का बोलबाला रहा है। मैं ऐसा नहीं समझती और विशेषरूप से बंगाल के बारे में तो यह बात गलत है। वहां अल्पसंख्यकों अर्थात् मुसलमानों ने भी अपनी स्वेच्छा से ही मत दिये हैं।

एक बात और कहना चाहती हूं कि वित्त आयोग ने बंगाल में अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिये राशि देने की सिफारिश नहीं की है। वहां अध्यापकों का वेतन धन की कमी के कारण नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अध्यापकों का वेतन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। चूंकि मंहगाई बढ़ रही है अतः सरकार को चाहिये कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंहगाई भत्ते में ५) की वृद्धि यथा शीघ्र कर दी जाये। और यह भत्ता बढ़ाकर ४००) तक पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाये। आशा है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में कार्यवाही करेगी।

गोआ अब भारत का अंग बन गया है। जिस ढंग से इसे भारत का अंग बनाया गया है निश्चय ही वह हमारे लिये गौरव की बात है। इस कार्य से आगामी संसद के लिये यह स्पष्ट हो गया है कि अगर भारत के किसी भी भाग पर पाकिस्तान अथवा चीन द्वारा कोई आक्रमण या अधिकार किया जाता है तो उससे किस प्रकार छुटकारा किया जाये। गोआ की मुक्ति ने यह हमें सिखा दिया है। तथा यह आगामी संसद भारत को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने में समर्थ होगी।

†**श्री चूबातोशी जमीर** (नाम निर्देशित—नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र) : हमारे देश में भावात्मक एकता की बड़ी आवश्यकता है। कुछ लोगों की धारणा है कि नागा के निवासी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चूबातोशी जमीर]

बड़े विद्रोही हैं लेकिन यह कहना गलत है। ऐसा कहना केवल भ्रांति है। शायद उनका ऐसा विचार इसलिये है कि वे नागा पहाड़ियों के बारे में अधिक जानते नहीं हैं। बेकार में ही नागाओं पर यह दोषारोपण किया जाता है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे नागाओं के बारे में अपनी विचारधारा बदलें। कुछ लोगों की धारणा है कि आसाम के पहाड़ी इलाकों में ईसाई धर्म के प्रचार के कारण वहां की दशा ऐसी है और यही कारण है कि वे ईसाई प्रचारकों को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन यह इकतरफा बात है। कुछ लोग अंग्रेजों की "फूट डाल कर शासन करने की नीति" को दोषी ठहराते हैं कि इसी कारण वहां के लोग समूचे देश से अलग हो गये हैं। लेकिन मैं अंग्रेजों को धन्यवाद देता हूं कि उनके कारण ही हमारा अस्तित्व बना रहा है एवं हमारा विकास हुआ है। मुझे इस बात का दुख है कि पूर्वी सीमांत क्षेत्र के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांति है। एवं जनता वहां के बारे में सही बातें नहीं जानती। मैं आशा करता हूं कि जनता हमें सही रूप में समझने का प्रयत्न करेगी।

मैं मानता हूं कि किसी देश का कल्याण उस देश की एकता पर निर्भर करता है। जब तक भावात्मक एकता नहीं होगी तब तक ऊपरी एकता बिल्कुल बेकार है। भावात्मक एकता बनाने के लिये एक पक्षीय प्रयत्न नहीं होना चाहिये बल्कि सभी ओर से एक साथ प्रयत्न किया जाना चाहिये। सीमान्त में हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि भावात्मक एकता हो लेकिन दुख है कि हमारी कोशिश के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं निकल रहे हैं। अतः माननीय सदस्यों एवं जनता से मेरा निवेदन है कि हमें हमारी नस्ल को वे समझने का प्रयत्न करें।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि हम लोगो के साथ कड़े बर्ताव की आवश्यकता है और इस क्षेत्र को सेना द्वारा अधिकार में लिया जाना चाहिये। लेकिन बर्मा की आज जो हालत है उसको देखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि बर्मा की स्थिति मनीपुर तथा पूर्वी सीमान्त क्षेत्र कभी भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि पड़ौस में रहने के कारण यह सब कुछ संभव हैं। बर्मा से मिलने वाला हमारे देश का यह भाग बहुत ही कमजोर हालत में है और कभी भी यहां होकर चीन आ सकता है। यहाँ पर भारतीय सेना भी बड़ी अपर्याप्त दशा में है। इस क्षेत्र में आवागमन के साधन भी ठीक नहीं है। हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ फौज का पहुँचना भी मुश्किल है। अगर सरकार समझती है कि इस क्षेत्र के निवासी भी भारत के अन्य निवासियों की तरह हैं तो उसे इन लोगों की देखभाल करने के लिये कुछ करना चाहिये। और रम क्षेत्र के विकास के लिये कदम उठाने चाहिये। सुना है कि सीमा सड़क आयोग बनाया गया है। इस आयोग को चाहिये कि वह जल्दी ही इस क्षेत्र में सड़क बनाने का काम शुरू करे।

अँत में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे सीमा सम्बन्धी मामलों की ओर अधिक महत्व दें। क्य कि सीमा की सुरक्षा देश की सुरक्षा है। जब तक सीमा की समस्याओ का समाधान नहीं होगा और सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर नहीं मिलाया जायेगा तब तक अकेली सेना वहां काम नहीं कर सकती।

**श्रीमती कृष्णा मेहता** (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी की सरकार

को बधाई देती हूं कि उसने गोवा को स्वतंत्र कराया। जिस तरह से उसने गोवा में पुर्तगाली उपनिवेशवाद का अन्त किया वह एक बहुत बड़ी बात है। १४ साल भारत सरकार इस कोशिश में रही कि किसी तरह से गोवा का जो मामला है वह शान्ति से हल हो जाय, परन्तु बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि सालाजार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जहां तक हो सकता था भारत सरकार ने शान्ति से काम लेने की कोशिश की और मैं बड़ी खुशी से यह कह रही हूं कि आखिरकार भारत का वह हिस्सा गोवा आज़ाद हुआ। वहां के लोग बहुत सुखी हैं और उनकी गर्दन पर जो ५०० सालों की गुलामी का जुआ था वह अब नहीं है। मैं आशा करती हूं कि जब वहां पर सामान्य हालत हो जायेगी तो वहां भी हमारे यहां की तरह जनतन्त्र फले और फूलेगा। वहां के लोग भी हमारी ही तरह अनुभव करेंगे कि वहां पर जनतन्त्र फल और फूल रहा है।

राष्ट्रपति जी ने भारत की जिस उन्नति की रूपरेखा का जिक्र अपने भाषण में किया है उसको जानकर प्रसन्नता होती है। अगर हम गांवों में जाकर देखें तो वहां पर नजर आता है कि जहां पर पहले अनाज का इतना अभाव हुआ करता था वहां आज एक शब्द भी इस सम्बन्ध में सुनाई नहीं देता। इसी तरह हम अगर हर पहलू पर देखें तो पता चलेगा कि हमारी कितनी तरक्की हो रही है और हम आगे बढ़ने के लिये कितने उत्सुक हैं।

आज देश में तीसरी पंचवर्षीय योजनायें लागू हैं और गांवों के लोग बड़ी आशा से उनकी ओर ध्यान लगाये हुए हैं। मैं समझती हूं कि यह एक बड़ी प्रसन्नता है कि गांवों में सहकारी खेती आज हो रही है। आज उसकी ओर भी लोग आशा लगाये बैठे हैं और मुझे आशा है कि बहुत अच्छी तरह उसका प्रबन्ध होगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि तेजी से सहकारी खेती की ओर ध्यान दे और इस बात का ख्याल रखे कि किसानों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

अभी हमें गांवों में जाने का बहुत अवसर मिला: हमने देखा कि गांव वाले देश भर में सहकारी खेती के लिये बहुत उत्सुक हैं। मैं भी यह जानती हूं कि जब तक हमारे यहां सहकारी खेती को पूरा बल नहीं मिलेगा तब तक आनाज के सम्बन्ध में भारत का पूरा मसला हल नहीं हो सकेगा।

हम देखते हैं कि जहां पहले भारत में कुछ भी उन्नति नहीं हुई थी, कोई खास कारखाने नहीं थे वहां दो पंच वर्षीय योजनायें समाप्त होने के बाद यहां पर बड़ी उन्नति हुई है। यहां पर एक मामूली चीज भी नहीं बनती थी लेकिन अब हवाई जहाज, रेलों के इंजन और डिब्बे और मशीनों की दूसरी चीजें आदि बन रही हैं। बाहर के राष्ट्र भी उनको अपने यहां मंगाते हैं और हर एक मुल्क में जहां पर हमारे यहां की चीजें जाती हैं, उनकी बहुत तारीफ होती है। हमको इसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं आशा करती हूं कि एक दिन आयेगा जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जायेगी कि भारतवर्ष उन्नति के पथ पर होगा और उसकी काफी तरक्की हो चुकी होगी।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि ६ साल से ले कर ११ साल की उम्र तक के बच्चों की पढ़ाई भारत वर्ष में अनिवार्य होगी। मेरी प्रार्थना है कि यह निःशुल्क भी हो। मैं समझती हूं कि इससे गरीब जनता को बड़ा लाभ होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का जिक्र भी है कि राज्य सरकारों को कुछ कदम उठाने को कहा जायेगा। मेरा विचार है कि जिस तरह से मद्रास में बच्चों के लिये एक वक्त का खाना मुफ्त

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

है, अगर भारतवर्ष के हर राज्य में जनता के लिय ऐसा हो जाये तो मुझे आशा है कि इससे बहुत लाभ होगा और बच्चों की हाजिरी भी बहुत बढ़ जायेगी जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को भी फायदा होगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि काश्मीर में एम० ए० तक की पढ़ाई निःशुल्क है जिससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और जहां भी आप देखिय हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं।

अब मैं कुछ थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहती हूं जिसके लिये पाकिस्तान की तरफ से रोज आवाजें उठाई जाती हैं, यानी काश्मीर के लिये। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्न उठाने का, उससे मैं नहीं समझ पाती कि पाकिस्तान दुनियां की आंखों में या संयुक्त राष्ट्र संघ की आंखों में धूल क्यो झोंकना चाहता है। क्या आज काश्मीर के लोग वह आक्रमण भूल गये हैं जो पाकिस्तानियों ने उन पर किया था। उन्होंने काश्मीर के लोगों को किस तरह से तबाह किया इसका पता इससे चलता है कि आज भी काश्मीर में बच्चा बच्चा पाकिस्तान को आक्रमणकारी कह कर नफरत से पुकारता है। मैं नहीं जानती कि किस कारण वह हर समय यह प्रश्न सामने लाता है। वह समझता है कि एसी बातें कह कर वह काश्मीर की तरक्की को रोक लेगा। लेकिन काश्मीर में बहुत उन्नति हो रही है और हर पहलू से काश्मीर आगे बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान को यह ख्याल है कि इन बातों का कुछ प्रभाव काश्मीर पर पड़गा तो मैं कहती हूं कि उसका सोचना गलत है। मैं काश्मीर की जनता की तारीफ करती हूं। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के होते हुए वह अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। आज वहां पाकिस्तान का नाम तक नहीं सुना जाता। बल्कि वहां का बच्चा-बच्चा उसकी हरकतों से नफरत करता है। शायद पाकिस्तान काश्मीर में जातिवाद को उभारना चाहता है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन काश्मीर में जातिवाद बिल्कुल नहीं है।

जब पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया था तो कितने बड़े-बड़े अत्याचार किए गए थे। अगर पाकिस्तान जातिवाद का मानने वाला है तो उन आक्रमणकारियों ने मुसलमानों पर अत्याचार क्यों किए क्योंकि उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों पर अत्याचार किए गए थे। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगी कि वह एसा मजबूत कदम उठाए कि पाकिस्तान दूसरी मर्तबा ऐसी आवाज न उठा सके। मैं तो यह भी प्रार्थना करूंगी कि जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज में है उसको भी आजाद कराना हमारी केन्द्रीय सरकार का फर्ज है। उस हिस्से को आजाद कराना चाहिए। जम्मू और काश्मीर के लोगों की आंखें इस तरफ लगी हुई हैं कि हमारा वह इलाका कब आजाद होता है और इस जनतंत्र से फायदा उठाता है।

हमारे माननीय सदस्य श्री मधोक ने काश्मीर के बारे में बहुत सी बातें कहीं। अगर वह इस समय यहां होते तो अच्छा होता। मैं आपको बताऊं कि काश्मीर में जो चुनाव हुआ वह बहुत शान्तिपूर्वक हुआ। कल १५ तारीख को भी वहां चुनाव हुआ था। मैं सदन को बतलाना चाहती हूं कि जब जम्मू में इलेक्शन हुआ तो मैं वहीं थी। वहां चुनाव बड़ी शान्ति से हुआ और बहुत अच्छी तरह हुआ। आज जम्मू और काश्मीर की जनता जानती है कि जब उसके चारों तरफ मुसीबतें हैं तो उसे कौनसा कदम उठाना चाहिए। आज आप वहां के लोगों से पूछेंगे तो वह आपको बतला सकते हैं कि कौनसी सरकार उनको फायदा पहुंचा सकती है। हमारे विरोधी दल वाले जो बातें कहते हैं वे मुझे गलत मालूम पड़तो हैं। वहां का

बच्चा-बच्चा समझता है कि हमें कौनसी पालिसी अख्तियार करनी चाहिए। उनको मालूम है कि उनको किस प्रकार सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। जम्मू प्रांत में उन्होंने अपनी लोकप्रिय सरकार को चुना और विरोधी पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैंने जम्मू में देखा कि चुनाव बहुत अच्छी तरह हुए और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। और जनता ने बहुत अच्छी तरह से अपने प्रतिनिधि चुने। मुझे अफसोस है कि मधोक साहब ने ऐसी बातें यहां लाकर रखीं। इन बातों का जम्मू और काश्मीर की जनता विश्वास नहीं कर सकती।

मैं चुनाव के बारे में कुछ और बातें यहां कहना चाहती हूं। जो तीसरे चुनाव हमारे यहां हुए उन के सिलसिले मे मुझे कुछ गांवों में जाने का मौका मिला। और मैं वहां काफी दिनों तक रही। लेकिन एक चीज़ देख कर मुझे बड़ा दुख: हुआ। जब हम पांच साल बाद गांवों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गांवों के लोगों से ऐसी बातें वोट लेने के लिए कही जाती हैं जो कभी सुनने में नहीं आतीं। गांवों के लोग भोले भाले होते हैं। अभी भारत वर्ष बहुत आगे नहीं बढ़ा है। और गांवों के लोग बहुत सी सही बातों को नहीं जानते। उन से तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मैं बहुत सी औरतों से मिलीं। वे रोती थीं। उन को ऐसी बातें कहीं गई थीं। वे बातें मैं यहां नहीं कहना चाहतीं। हमारे वोटरों को इस प्रकार की बातों से बचाया जाना चाहिये। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी कि केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसा कायदा कानून बनाये ताकि जो लोग जनता में गलत बातें फैलाते हैं उनको रोका जा सके। ऐसे आदमियों को गलत बातें फैलाने से रोका जाना चाहिये चाहे वे किसी पार्टी के हों। चुनाव के वक्त तो हमें गांव वालों को सही और सच्ची बातें बता कर शिक्षित करना चाहिए। इस से जनता को बड़ी-शिक्षा मिल सकती है। इस लिए सरकार से मैं प्रार्थना करूंगी कि वह मजबूती से ऐसे कदम उठावे कि आगे से जनता मे ऐसी बातें न फैलायी जा सकें।

इसके अलावा में यह कहना चाहती हूं कि अभी तक जम्मू और काश्मीर में रेलवे का काम पूरा नहीं हुआ है। रेलवे के बिना हमारे जम्मू और काश्मीर के लोग अपने को बिल्कुल निःसहाय पाते हैं। आप जानते हैं कि सन् १९४७ से पहले वहां रेलवे थी। लेकिन उसके बाद उस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत सर्वे हुआ था तो कुछ काम हो रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से ऐसा मालूम नहीं होता कि जम्मू तक रेल पहुंचेगी। मैं सरकार को ...

**उपाध्यक्ष महोदय :** आज तो अखबार में था कि सन् १९६४ तक हो जाएगी।

**श्रीमती कृष्णा सेन :** वह तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि काला कोट और जंगल झंजी में जो कोयला होता है उसको लाने के लिए रेलवे जल्दी जल्दी बननी चाहिए और मैं तो चाहती हूं कि सन् १९६४ से पहले ही यह बन जाए क्योंकि हमारे यहां बड़ी बेकारी है और वहां से मजदूरों को काम के लिए बाहर आना पड़ता है। उनको गरमी में भी यहां रहना पड़ता है। मैं हैरान हूं कि किस तरह बारहों महीने यहां रह कर काम कर पाते हैं। इसलिए मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि रेलवे की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि इस इलाके की उन्नति हो सके।

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करूंगी कि पाकिस्तान जो धमकी देता है उसके आक्रमण को वहां से दूर रखा जाए। मैं तारीफ करती हूं कि वहां के लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते और बड़ी शान्ति से आगे बढ़ रहे हैं। हम यहां बाहर काश्मीर के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं लेकिन वहां ऐसी बातें नहीं सुनायी देतीं। लेकिन जो दुश्मन हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं उनको भागाना चाहिए ताकि जम्मू काश्मीर के लोग शांति से उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।

मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** ( कोयम्बटूर ) : खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण में उन बड़ी-बड़ी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो आज देश के सामने हैं। जनता के कल्याण के लिये क्या किया जायेगा इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से कुछ नहीं कहा गया है ।

बढ़ते हुए मूल्य एवं उनको रोकने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है : यहां सभा मे कई बार चर्चा की गई है कि इन बढ़ते हुए मूल्यों से जनता बड़ी चिंतित है और लोगों की धारणा है कि जब तक इन के बारे में ठोस कार्यवाही नहीं होती तब तक इस बात का डर बना रहता है कि कहीं क्रान्ति न हो जाये। बढ़ते हुए मूल्य की समस्या आज जनता के सामने मुंह बायें खड़ी है । यह समस्या आज की नई नहीं है बल्कि पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से चली आ रही है । बड़े खेद के साथ साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है । राष्ट्रपति के अभिभाषण मे पहले की तरह हमारी सफलताएं का तो उल्लेख है, परन्तु हमारी समस्याएं या त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया । राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है वह कहां गई इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । अभिभाषण मे उस समिति का कोई उल्लेख नहीं है ।

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अधीन उपबंधों पर इस अभिपभाण में बल दिया गया है। हमारी समस्याओं का जैसा कि गरीबी दूर करना, उनका उल्लेख नहीं है।

हम ने पंचायती राज की पर्याप्त चर्चा की है। जो आर्थिक सहायता, सरकार उन्हें देती है वह बहुत कम है । कई राज्यों में राज्य सरकारों ने पंचायतों को लोगों पर कर लगाने के लिए कहा है ताकि अपने काम, प्रशासन और योजनाओं का खर्च चला सकें । यदि पंचायतों को प्रभाव पूर्ण बनाना है तो सरकार को निधियों के आवण्टन के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होता । हमें पंचायतों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। उन से कर लगा कर अपनी वित्त व्यवस्था करने के लिए कहना ठीक नहीं । कुछ पंचायतें ऐसी हैं कि जिनकी करों से आय इतनी कम है कि उन्हें अपने कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने मे अन्त्यन्त कठिनाई होती है । कई पंचायतें आवश्यकता से कम कर्मचारियों से काम चलाती हैं। इस की जांच की जानी चाहिये ।

हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं। वहां के लोगों के लिए कर इत्यादि देना असम्भव है । ऐसे क्षेत्रों के लिए यदि सरकार केवल ५० परसेंट आर्थिक सहायता दे तो ठीक नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयम्बटूर जिले में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पर पीने के पानी का तो क्या कहना कपड़े धोने इत्यादि के लिए पानी खरीदना पड़ता है । वहां पर लोग ऋणी हैं। ऐसे क्षेत्रों में यहां इतनी निर्धनता है सरकार को राजसहायता देनी चाहिये । ५० प्रतिशत अनुदान देना उचित नहीं है । यह भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे क्षेत्रों को प्रधान मंत्री के सहायता कोष में से कुछ धन दिया जा सकता है ?

हमारे देश में तृतीय आम चुनाव शान्तिपूर्ण हुए हैं। इसका श्रेय जनता को तथा उन मध्यवर्ग कर्मचारियों को है जिन पर चुनाव का उत्तरदायित्व था । अनेक क्षेत्रों में साम्प्रदायिक शक्तियां एवं विभेदकारी प्रवृत्तियां ही सर्वोपरि रही हैं। इसका कारण यह है कि लोगों की बुनियादी तकलीफें दूर नहीं हुई हैं। राष्ट्रीय आय का विभाजन ठीक नहीं हुआ है । जिन साधारण लोगों के परिश्रम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है उसे इससे लाभ होना चाहिए।

जो व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के पक्ष में आकाशवाणी से तथा अन्य स्थानों से बोलते रहे हैं उन्होंने इस के विरुद्ध कार्य किए हैं । राष्ट्रीय एकता का विषय बहुत गंभीर है इस की ओर प्रधान मंत्री जी और राष्ट्रपति को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करनी है तो वह पिछले चुनावों की घटनाओं के सही मूल्यांकन के आधार पर ही की जा सकती है इस समय विभेदकारी प्रवृत्तियों ने पहले से अधिक बल प्राप्त कर लिया है । इस सम्बन्ध में हम सब को मिलकर कदम उठाने चाहिएं।

†**श्री मणियांगाडन** ( कोट्टयम ) : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कृषि पर बहुत बल दिया है । खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना ही ध्येय नहीं है ; परन्तु उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना भी है जिससे व्यापार में वृद्धि हो। काली मिर्च, अदरक और हल्दी आदि चीजों के मूल्य बहुत नीचे हैं तथा उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके मूल्य बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । इन क्षेत्रों में पौधों की बीमारियां इत्यादि के लिए गवेषणा को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक देश की औद्योगिक प्रगति का सम्बन्ध है, यद्यपि उत्पादन बढ़ा है, परन्तु प्रादेशिक असन्तुलन अभी भी व्याप्त है । पिछड़े क्षेत्रों को अधिक उद्योग देने चाहिएं।

श्री गोपालन न कहा है कि केरल में भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन में विलम्ब का कारण भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का न होना है । जिस समय यह अधिनियम पारित हुआ था उस समय वहां कम्यूनिस्ट पार्टी सत्तारूढ़ थी और उन्होंने कहा था कि यदि अभिलेख समाप्त होने के बाद यह अधिनियम पास किया गया तो बहुत देरी हो जाएगी। अब वे कहते हैं कि भूमि सम्बन्धी अभिलेख आवश्यक है।

केरल में भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन में विलम्ब का कारण भूमि सम्बन्धी रिकार्डों का न होना नहीं है । मुख्य कारण यह है कि उच्च न्यायालय में अनेक लेख याचिकायें दायर की गई थीं।

यह कहना ठीक नहीं है कि केरल में हजारों काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। भूमि सुधार अधिनियम के पर्यालोकन के अन्तर्गत आने वाले किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं किया गया। कुछ बेदखलियां हुई अवश्य थीं वे उन लोगों की थीं जिन्होंने सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मणियंगाडन]

भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया था। किसानों की बेदखली के संबन्ध में रक्षित वनों को कायम रखने तथा कुछ एक परियोजनाओं को आरम्भ करने के कारण बताए गए हैं।

केरल में सरकारी भूमि पर कब्जा एक बहुत गम्भीर समस्या है । यदि आप सड़क पर चलें तो पता चलेगा कि दोनों ओर झौंपड़ियां हैं । इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या की तरह से हल करना है । परन्तु राजनैतिक दल इसका लाभ उठाते हैं। जिस प्रकार लोगों को बेदखल किया गया, मैं भी उस से असन्तुष्ट हूं। सरकार ने उन को सहायता दी। और भी कई लोग हैं जिन्हें बेदखल करना पड़ेगा । सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की थी, इस बात का फैसला करने के लिए कि कौन से भाग रक्षित वनों के रूप में रखे जांय तथा कि लोगों को क्या सहायता दी जा सकती थी।

यह कहा गया था कि केरल की वर्तमान सरकार जनता के विश्वास को खो बैठी है। पिछले चुनावों के मतदान के परिणामों से यह सिद्ध नहीं होता है । यदि हम वर्तमान चुनावों को देखें कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने मालावार क्षेत्र में जहां कि मुसलमानों की संख्या अधिक है कुछ जगहों पर हारी हैं। कम्युनिष्ट पार्टी ने अपने उपदेशों के बावजूद मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किया और इस तरह से कांग्रेस को हराया । परन्तु ट्रावनकोर क्षेत्र में कांग्रेस ने कम्यूनिस्ट पार्टी से तीन स्थान जीत लिये ।

केरल के विशप के पत्रों की ओर संकेत किया था। उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिस पर आपत्ति की जा सकती है । इस में कम्युनिस्टों को ताकतवर न बनाने की मन्त्रणा दी हैं । इस में वैधिक और नैतिक रूप से कोई एतराज वाली बात नहीं है ।

**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण ने देश के अनेक मसलों पर प्रकाश डाला है और किसी भी देश वासी को उसे सुनने और पढ़ने पर गर्व हो सकता है, और इस के लिये वह जिन शब्दों में राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे वह मुनासिब है । इस में सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति का इस वर्ष का अभि भाषण उन के कार्य काल का अन्तिम सन्देश है और जिस प्रकार. उन्होंने अपने कार्य काल में देश का नेतृत्व किया वह बेमिसाल है और देश के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उनकी लोकप्रियता ने सारे देश में एक बहुत ही ऊंचा आदर्श सामने रख कर देशवासियों को आगे तरक्की देने में पूरे सहयोग से कार्य किया है।

इस अभिभाषण की चर्चा करते हुए सब से पहले मैं कुछ जनरल एलेक्शन या आम चुनाव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह बात स्पष्ट है कि दुनिया के तमाम देशों में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिस को यह गौरव प्राप्त है कि इतना बड़ा जनसमूह, जिसको हम २० करोड़ के लगभग कहते हैं, जनमत के आधार पर देशवासियों के सामने जाता है और उस से बनी सरकार के द्वारा हमारे देश का शासन चलता है । दुनिया का कोई दूसरा देश इसका अभिमान नहीं कर सकता । इस पर हम जितना अभिमान करें वह कम है । हमारे सदन में बहुत से भाइयों और बहिनों ने इस बात की चर्चा की कि यह ठीक है कि भारतवर्ष में इतना बड़ा मतदान हुआ और बहुत काफी अच्छा हुआ, मगर कहीं कहीं इस बात का जिक्र किया गया कि जिस तरह से ऐसी शक्तियों को, जिनको हम रजत-पसन्द या प्रतिक्रियावादी कहते हैं, उभार मिला, वह नहीं मिलना चाहिये था । मेरा अपना यह कहना है कि इतने बड़े देश में और इतने बड़े मतदान के समय पर छोटे मोटे

मामलों को अपने सामने रख कर हमको अपना विचार नहीं बनाना चाहिये । निःसन्देह जो सारे देश के चुनाव का नतीजा निकला है और उससे यह बात स्पष्ट है कि देश का दिमाग और दिल बहुत मजबूत है और वह अपने अन्दर न सरमाएदार शक्तियों को और न फिरका परस्त शक्तियों को घुसने देना चाहता है। कुछ लोगों के मत अलग अलग हैं और जब कभी वे उस मत को जनता के सामने रखते है तो कहीं उसका परिणाम ऐसा निकलता है जिसकी हमको आशा नहीं होती । मगर हमें उन सब शक्तियों से लड़ना है और अपने पव देश को जम्हूरियत के उसूलों पर दिनों दिन आगे ले जाना है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहूंगा कि बावजूद इसके कि आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में अच्छे से अच्छे नेता मौजूद हैं, उन्होंने हमें ऐसा प्रोग्राम दिया है, उन के नेतृत्व ने हमें इतनी शक्ति और बल दिया है कि हम किसी भी ताकत से, चाहे वह अन्दरूनी हो या बेरूनी हो, लड़ सकते हैं। लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि आज देश के अन्दर जनता में हिरासा है और असंतोष है। उसे अगर हम अपने दिल से भुला दें तो हमें बहुत से कामों में तकलीफ होगी। आज जनता ने चुनावों में कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस की सरकार को इसलिए ही मत दिया है कि इससे बेहतर कोई पार्टी देश में नहीं है। इससे बड़ा नेतृत्व कोई दूसरी पार्टी समाज में नहीं रखती । जिस काबलियत से और जिस ढंग से हमारे नेताओं ने और विशेषकर हमारे प्रिय प्रधान मंत्री ने इस देश के कार्य को चलाया है, जो पालिसीज़ और प्रोग्राम हमारे सामने रखे हैं, वह काफी लोकप्रिय हैं, और इसी के बल पर आज सारी जनता उनके पीछे चल रही है । मगर हमारी जनता में जो असंतोष और हिरासा है उसका कोई न कोई इलाज होना चाहिए। हो सकता है कि डेमोक्रेसी में जो कि नई नई है हलके हलके जनता को अपनी आवश्यकताओं का और अपनी तकलीफों का और उनके निराकरण का ख्याल आता है और वह उसे समझने लगती है। जब तक वह इसको नहीं समझती तब तक उनको बहुत सा असंतोष इस कारण भी होता है । लेकिन हमें इससे संतोष नहीं करना चाहिये और जनता की तकलीफों को जितना भी कम किया जा सके कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं इस संबन्ध में यह भी कहूंगा कि पिछले दस वर्षों में इस सदन ने बहुत से कानून पास किए और देश पर लागू किए इसलिए कि जनना की ताकत बढ़े और जनता के अन्दर हौसला हो और जनता की तकलीफें दूर हों लेकिन बदकिस्मती ऐंसी है कि जो कानून हम पास करते हैं जब वह जनता पर लागू होते हैं तो उनके लागू होने से जैसा संतोष लोगों को होना चाहिये वह नहीं होता । इसमें यह कारण हो सकता है कि कुछ लोगों की ना समझी है। इसमें यह कारण भी हो सकता है कि जो इन कानूनों को चलाते हैं उनकी नियत साफ न हो, लेकिन हमें इसका निराकरण करना है क्यों कि यह बहुत आवश्यक है। अगर हम देश में तरक्की को और ज्यादा तेजी से लाना चाहते हैं तो हमको जनता को संतुष्ट करना चाहिए ।

इसके बाद हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ जिक्र इस बात का किया गया है कि संस्कृत को जगह दी गयी और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मुल्क ने बहुत काफी तरक्की की है। यह बात भी निःसन्देह हर शख्स मानेगा कि हमारे देश में पिछले कई वर्षों में शिक्षा ने बहुत बड़ी प्रगति की है। ६ बरस से ११ बरस तक के बच्चों के लिए तमाम देश के अन्दर संविधान के मुताबिक शिक्षा का प्रबन्ध हमारी सरकार ने अपने सिर पर लिया है और उसके अनुसार जो आंकड़े अभिभाषण में दिये गये हैं उनसे मालूम होता है कि काफी तरक्की इस दिशा में हुई है । मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम ने पिछली दो योजनाओं में जो लक्ष्य अपने सामने स्थिर किये थे उनको हम पूरा नहीं

[श्री राधा रमण]

कर सके यद्यपि और कार्यों के लक्ष्यों को हम ने पूरा कर लिया है। दूसरे जो आंकड़े हमारे सामने शिक्षा के बारे में रखे गये हैं उनसे यह भी मालूम होता है कि जितनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उन्नति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। हम कुछ अपने पुराने विचारों के आधार पर शिक्षा के कार्यक्रम में तरमीम और संशोधन करते हैं, मगर उनके नतीजे वह नहीं निकलते जो निकलने चाहिएं। मेरा अपना ख्याल है कि हमारी सरकार के आज सैकड़ों ऐसे काम हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वे देश के अन्दर बहुत बड़ी क्रान्ति पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए और उसकी क्वालिटी पर जितना ध्यान देना चाहिए वह नहीं दिया गया है। रुपये के खर्च में भी शिक्षा के क्षेत्र में उतनी उदारता नहीं दिखायी गयी है जितनी कि इंडस्ट्री और कमर्स आदि के क्षेत्र में दिखायी गयी है। इसलिए शिक्षा की क्वालिटी दिनों दिन गिरती जा रही है। और कुछ हम अपने खयालों के कारण इस दिशा में पीछे पड़ गये हैं। बेसिक एजूकेशन का देश में बहुत बड़ा प्रचार किया गया। लेकिन अगर शिक्षा के प्वाइंट आफ व्यू से देखें तो गांवों में उसकी बहुत बुरी हालत है। और कोशिश की जा रही है कि अब उसको शहरों में लाया जाये। मुझे यह समय के प्रतिकूल मालूम पड़ता है। इस शिक्षा के द्वारा हम एक भावना अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उस शिक्षा का जो स्वरूप हमारे सामने है वह ऐसा नहीं है जो हम को ऐसे नागरिक दे सके जो जिम्मेदारी को अपने कन्धों पर उठा सकें और जिनके बल पर हम अपने देश को उतनी तेजी से आगे ले जा सकें जितनी तेजी से हम ले जाना चाहते हैं।

जहां तक बाहरी मामलात का संबंध है, हर देश वासी इस बात पर खुश होगा कि हमारे देश पर गोआ के रूप में जो एक विदेशी कब्जे का कलंक था उसको हमारी सरकार ने धो दिया और इस काम में जो हमारी फौज ने करिश्मा करके दिखलाया उसका उदाहरण दुनिया के इतिहास में दूसरी जगह नहीं मिलता। जिन शब्दों में भी हम अपनी फौज के जवानों और अफसरों को बधाई दें, मैं समझता हूं वैसा करके हम अपनी उन भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पायेंगे जो हमारे हृदयों में भरी हुई हैं। देश विदेश में इस बात की चर्चा हुई कि हम ने जो तरीका अख्तियार किया वह पूरी तरह से शान्तिपूर्ण नहीं था। लेकिन जो समझदार आदमी हैं वह सारी बैकग्राउंड को देखते हुए यह मानेंगे कि यह एक करिश्मा था जो हमारे देश की सरकार ने फौज की मदद से किया और जो हमारे इतिहास में एक ज्वलन्त उदाहरण रहेगा। और यह दुनिया को बतायेगा कि जहां हम शान्ति चाहते हैं वहां हम अपने देश पर किसी अन्य का कब्जा सहन नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि यह बात हर हिन्दुस्तानी के दिल और दिमाग में दाखिल हो जायेगी कि हमारी सरकार उचित कदम उठाने में कोई कोताही नहीं करती, चाहे वह चीन का मामला हो या पाकिस्तान का हो। और अगर इस देश की सरजमीन पर किसी बाहरी शक्ति का कब्जा है तो उचित वक्त आने पर और शक्ति होने पर वह उसको साफ करेगी। और हमारे देश में कोई बाहरी शक्ति काम नहीं कर पायेगी।

इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हमारे देश का बहुत बड़ा बार्डर है जो कि एक्सपोज्ड है और हम जितनी चेतना से उसकी हिफाजत कर रहे हैं मेरी समझ में वह नाकाफी है। हमें उसको और भी टाइटिन करना होगा ताकि जो बात पहले हो सकी वह आगे बिल्कुल न हो सके और जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हमारे मुल्क की ताकत में किसी किस्म की कमी हो सकती है उनका हमको पूरी तरह मुकाबला करना चाहिए और हमको अपने बार्डर के चैक पोस्टों पर एक्स्ट्रा आदमी तैनात करना चाहिए और अपने नौजवानों को बार्डर पर फैला देना चाहिए ताकि इस बात का जरा भी अन्देशा न रहे कि कोई भी हमारे बार्डर पर कोई हरकत कर सके। या हमारे मुल्क में इनफिलट्रेशन कर सके। चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो हम इस तरह की किसी हरकत को कभी बरदाश्त नहीं करेंगे और ऐसी कार्रवाइयों को रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए।

इसके अलावा मैं एक बात और दिल्ली के सम्बन्ध में अर्ज कर देना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस के लिए आप मुझे दो मिनट का समय और दें।

दिल्ली के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे सदन के सदस्यों ने देखा और आपने भी देखा कि यहां की जनता कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेसी सरकार के सोलहों आने साथ है। लेकिन यह बात बराबर चलती आ रही है, जिसे हमें अपने दिल के अन्दर रखना चाहिए कि यहां की सरकार या यहां का जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है वह आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता और आम जनता की भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। इसके बारे में बार बार चर्चा होती है। उसके बारे में कई बार हमारे होम मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग अपनी राय जाहिर करते हैं और वह इस बात को महसूस करते हैं। मैं इस मौके पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बात की परम आवश्यकता है कि इस गुत्थी को सुलझाया जाये। मुझे इस बात का भी दुःख है कि इस गुत्थी को सुलझाने में हमारे सामने हर चौथे पांचवें साल तस्वीर पर तस्वीर आती है लेकिन वह तस्वीर एक नामुकम्मिल तस्वीर होती है। दिल्ली नगर जोकि देश की राजधानी है वह सही मायनों में तरक्की तभी कर सकेगा जब उसको एक प्रतिनिधि सरकार मिले। जनता की प्रतिनिधि सरकार ही दिल्ली का भला कर सकती है, उसकी तरक्की कर सकती है और उसकी ताकत को बढ़ा सकती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि दिल्ली को प्रतिनिधि सरकार दी जाय।

मैं जानता हूं कि राजधानी में बहुत काफी खर्च होता है। यहां पर पुलिस भी बहुत ज्यादा है लेकिन इस सब के होते हुए भी सरकार में प्रतिनिधित्व न होना यह एक बड़ी कमजोरी है।

एक बात इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ी है और हमारे बहुत सारे मसले हल हुए हैं लेकिन फिर भी ला ऐंड आर्डर का मामला कुछ ऐसा है जिसकी कि तरफ मैं सरकार की तवज्जह खास तौर से दिलाना चाहता हूं। इतनी बड़ी पुलिस रख कर और इतना खर्चा कर के भी हमें अखबारों में रोजाना दिल्ली के बारे में जो खबरें पढ़ने को मिलती हैं वह तसल्लीबख्श नहीं होतीं और उनको सुन कर बाज औकात हमको काफी तकलीफ होती है।

चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसिलए मैं और अधिक न कह कर समाप्त करूंगा। वैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतने मामले हैं कि यदि उन सब पर विचार किया जाय तो बहुत वक्त लगेगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर मैं ने जिन चन्द एक बातों की चर्चा की है उनकी तरफ हमारी सरकार ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी की उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : मैं डा० सुशीला नायर द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की प्रगति के सम्बन्ध में अनेक बातें कही हैं। किन्तु इतना होने पर भी देश में असंतोष की भावना है। इस असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है और दूसरा कारण है निम्न वर्ग के सरकारी कर्मचारियों का युक्तिहीन व्यवहार। यह सच है कि ये सरकारी पदाधिकारी बुरे नहीं हैं किन्तु ब्रिटिश शासन में उन्होंने जो परंपराएं प्राप्त की हैं वे उचित नहीं हैं।

ब्रिटिश काल के अनेक नियम और प्रक्रियाएं अभी तक बनी हुई हैं। उन में साधारण परिवर्तन हुआ है किन्तु मूलतः वे अपरिवर्तित हैं। ये नियम कल्याणकारी राज्य में सुसंगत नहीं हैं। योजना आयोग ने भी इस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे विश्वास है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं को अधिक उदार रूप देकर जनता की इस शिकायत को दूर करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

एक और बात जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं वह है किसानों की दशा । किसानों को अपने उत्पादन की पूरी कीमत नहीं मिलती है सरकार यह आश्वासन देती रहती है कि किसानों को उचित कीमतें दिलाने का प्रयत्न किया जायेगा किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मध्य प्रदेश के चावल की खेती वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ।

दूसरा विषय मद्यनिषेध है । मदिरा के ठेकेदारों को जनसमूह का शोषण रोकने के लिये कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है । इससे पर्याप्त उन्नति हुई है । जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध किया गया है वहां सामुदायिक विकास, गहन खेती, स्थानीय स्वशासन आदि में आशातीत प्रगति हुई है । जिन स्थानों में मद्यनिषेध लागू नहीं हुआ है वहां लोग अभी भी पीड़ित हैं । जनता शराब के ठेकेदारों से बुरी तरह सताये हुए है । मद्यनिषेध कानून में जो छटें रह गई हैं उन्हें दूर कर तीसरी योजना की शेष अवधि में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर देना चाहिये ।

पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में निश्चित परिभाषा नहीं की गई है । इसके लिये निर्धारित मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । मेरी सम्मति है कि किसी भी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय ही इसका सही निर्णायक है । फूलझर, बिन्द्रा, नवागढ़, सारंगढ़ इत्यादि स्थानों में एक भी रेलमार्ग नहीं है, सब मौसम के लिये सड़कें नहीं हैं । वहां उद्योग तथा यातायात के बारे में कोई विकास नहीं हुआ है ।

विदेश नीति में सरकार को जो अधभुत सफलता मिली है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । इस नीति के कारण ही आज तनाव नहीं है । सरकार को इस बात के लिये स्पष्ट कारण बताने चाहिये कि फ्रांसीसी बस्तियों का अभी तक कानूनी हस्तांतरण क्यों नहीं किया गया है । सरकार से मेरा अनुरोध है कि अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की जाये । उन्होंने वीरता-पूर्वक स्वातंत्र्य युद्ध लड़ा था ।

**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : राष्ट्रपति ने अच्छा स्वास्थ्य न रहने पर भी स्वयं संसद् के समक्ष आकर जो अभिभाषण दिया है उसके लिये हम सब आभारी हैं । आशा है कि भविष्य मे भी हमें उनका अमूल्य पथ-प्रदर्शन मिलता रहेगा । आज के समय में उनके मार्ग निर्देशन की बड़ी आवश्यकता है । राष्ट्रपति ने तीसरी योजना का उल्लेख किया है । उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई है । कृषि उत्पादन में १९.१ प्रतिशत की वृद्धि उत्साहजनक है औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है । राष्ट्रपति ने इस्पात कारखानों और सिंचाई की बड़ी योजनाएं आरम्भ करने के विषय का भी उल्लेख किया है । व्यापार की स्थिति में सुधार हुआ है और निर्यात बढ़ा है । किन्तु इस दिशा में अभी और काम करना है ।

यह स्वभाविक ही है कि हम सब का ध्यान देश की सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर लगा हुआ है । देश की सुरक्षा के बारे में हम सब चिन्तित हैं । चीन के बारे में हमें वही नीति बनाए रखनी चाहिए कि वे भारतीय भू-भाग से अपना कब्जा खाली करे । पाकिस्तान के सम्बन्ध में अधिक दृढ़ नीति अपनाने की आवश्यकता है । नहरी पानी विवाद और बेरूबाड़ी के सम्बन्ध में हमने पाकिस्तान की कई बातें मान लीं किन्तु उस देश के रवैय्ये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । हमें भारत-पाकिस्तान रेल सेवा के प्रश्न को सुलझाते समय हमें बडी सावधानी से काम लेने की आवश्यकना है । कांगो और निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के बारे मे इस समय अधिक कहना उपयुक्त नहीं होगा । आशा है कि जिनेवा सम्मेलन इस दिशा में कोई ठोस निर्णय करेगा । श्री गोपालन की यह बात सुन कर दुःख हुआ कि हमें कांगों से अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिएं । जिस उद्देश्य से सेनाएं वहां भेजी गई थीं वह अभी पूरा नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में सेनाएं वापस बुलाना उचित नहीं होगा ।

देश में आम चुनाव जिस सफलता के साथ पूरे हुए हैं उससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उस से यह सिद्ध हो गया है कि भारत एक प्रजातन्त्र देश है। यद्यपि देशवासी इतने प्रगतिशील नहीं है फिर भी अपने भावी प्रतिनिधियों का चुनाव करने में उन्होंने अद्भुत वुद्धि का परिचय दिया है और उन्होंने हमारी घरेलू और विदेशी नीतियों का समर्थन किया है।

पंचायत राज्य देश में एक महान प्रयोग है और हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि देश में पंचायत राज्य की नींव दृढ़ हो। जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, जिस रक्तहीन तरीके से यह काम हुआ है उस का सारा श्रेय हमारी सेनाओं को है। कई देशों ने इस विषय में हमारी आलोचना की है और हमें इन देशों से मित्रता बनाए रखने में सावधानी से काम लेना चाहिए। गोआ के भावी शासन का क्या रूप हो इस बारे में इतना शीघ्र कुछ नहीं कहा जा सकता।

जहां तक गोआ के भविष्य का प्रश्न है हमें मैसूर से उसके संबंधों पर भी विचार करना होगा। श्रीमती आल्वा भली प्रकार जानती है कि किस राज्य से उनकी संस्कृति में अधिक समानता है।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कुछ भाग बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाये।

जल तथा विद्युत आयोग के कुछ सदस्यों को संसद का सदस्य बना कर यहां लाया जा रहा है जिससे कि कुछ राज्य उनकी राय से लाभ उठा सकें। मेरे विचार से इस मामले में न्यायपूर्ण ढंग से कार्य किया जाना चाहिये। और किसी राज्य के प्रति पक्षपात करना उचित नहीं होगा।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं राष्ट्रपति को उनकी सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यद्यपि गोआ, दमन और द्वीव का उल्लेख किया गया है तथापित यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उत्तर में चीन सीमान्त पर हमें १४ हजार वर्गमील से हाथ धोना पड़ा है। हमने जो नीति पुर्तगाल के प्रति अपनायी वह हम चीन के प्रति नही अपना सकें हैं। इतना ही नहीं अपितु चीन के अनुरोध पर १९५४ की भारत-तिब्बत संधि पर पुनः वार्ता आरम्भ हो रही है। यह स्मरण रखना चाहिये कि १९५४ की भारत-तिब्बत संधि की चीनियों ने नितांत उपेक्षा की है। मेरे विचार से इस संधि को पुनः बनाये रखने से बिल्कुल लाभ नहीं होगा।

यह स्मरण रखना चाहिये कि ५० प्रतिशत मतदाताओं ने सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध मत दिया है। तथा यह कहना ठीक नहीं है कि देश ने इस दल में अपने विश्वास को पुनः व्यक्त किया है। चुनावों में सत्तारूढ़ दल ने भारी राशियों तथा सरकारी व्यवस्था का उपयोग अपने लाभ के लिये किया है।

यद्यपि चुनाव पर अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है तथापि यह व्यवहारिक रूप से निरर्थक है। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार या दल इस पर कायम नहीं रहता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रखियेगा।

---

## अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प- जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० राम सुभग सिंह द्वारा ८ दिसम्बर १९६१ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी रखेगी।

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश में कालेजों और स्कूलों के १५ वर्ष से अधिक आयु के सब विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरम्भ की जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवेल्ला) : यद्यपि इस संकल्प का प्रयोजन वाह्य दृष्टि से बहुत प्रशंशनीय प्रतीत होता है तथापि इस विषय पर बहुत गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है । क्योंकि इससे हमारे देश पर जो कि नये विकास कार्य में लगा हुआ है एक भार आ जायेगा । विश्व के इतिहास से यह ज्ञात होगा कि कई देशों में अपने राष्ट्र में अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू की तथापि इसका परिणाम शुभ नहीं हुआ । वस्तुतः कभी-कभी तो कोई विशेष दल सत्ता हथियाए रहने के लिये भी इस प्रकार की नीति अपनाता है । अतः संकल्प में उन कारणों की विस्तृत चर्चा नहीं की गयी है जिनके अधीन ऐसी शिक्षा अनिवार्य है ।

हमने शांति का मार्ग ग्रहण किया है और हम विश्व के समक्ष शांति का उदाहरण रखना चाहते हैं तब हमे यह शोभा नहीं देता है कि हम देश के सारे युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने का विचार सामने रखें ।

इस तथ्य को दृष्टिगोचर रखते हुए कि हमारी सशस्त्र सेनायें देश की रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, देश में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण को जारी करने से हमारे युवकों पर अनिवार्य भार पड़ेगा । हमारे युवक इससे पहले भी एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० में उत्साहपूर्वक तथा ऐच्छिक आधार पर भाग ले रहे हैं ।

यह संकल्प एक गलत विचार धारा से प्रभावित हो कर लाया गया है तथा हमारी शांति की धारणाओं के विरुद्ध है । इससे बहुत अधिक व्यय करना होगा जिसकी वर्तमान स्थिति में पुष्टि नहीं की जा सकती ।

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया)** : मैं ने संकल्प के प्रस्तावक तथा उनके समर्थन करने वाले सदस्यों के भाषण सुने हैं । विशेषतः मुझे प्रस्तावक महोदय का उनकी सुन्दर भाषण के लिये कृतज्ञ होना चाहिये । यद्यपि उन्होंने अपने संकल्प में अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में कहा हैं तथा अपने भाषण में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेरा तात्पर्य इस प्रकार की अनिवार्य सैनिक शिक्षा से नहीं है जैसा कि कुछ तानाशाही देशों में होती है तथापि मैं चाहता हूं कि जनता की ओर से कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिये ।

मैं प्रस्तावक और उनके समर्थक सदस्यों के उद्देश्य और चिन्ताओं से सहमत हूं । उनकी चिन्ता का कारण यह है कि देश इस समय प्रतिरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से एक संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है ।

मैं आरम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा मुख्यतः पूर्णरूपेण देश की सेना, वायु सेना और नौसेना पर निर्भर है । तथापि देश की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और देश के युवकों में अनुशासन की भावना भरने के लिये कालेज तथा हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिये कई योजनायें बनायी हैं ।

मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस संबंध में विस्तार से कहने की अनुमति देंगे जिससे कि प्रस्तावक सदस्य को यह ज्ञात हो कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है वह मोटे तौर पर इन विभिन्न योजनाओं द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संबंध में राष्ट्रीय छात्र सेना योजना १९४८ से लागू है। इसकी कनिष्ठ शाखा १३ से १८ $^{1}/_{2}$ वर्ष के छात्रों के लिये तथा ज्येष्ठ शाखा २६ वर्ष से कम के छात्रों पर लागू होती है। इसके अधीन अनुशासनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में शिक्षा दी जाती है। उदाहरणार्थ ज्येष्ठ शाखा के अधीन अन्य बातों के अलावा सशस्त्र ड्रिल, अस्त्र प्रशिक्षण, युद्धकला, मानचित्र परीक्षण, संदेश प्रेषण इत्यादि तथा सेना, वायु सेना तथा नौसेना से संबंधित टैक्नीकल विषयों में जानकारी दी जाती है। नौसेना वर्ग में उन्हें वाष्पयानों, तोपों अस्त्र संचालन, संचार प्रेषण नौसंचालन, टारपीडो तथा पोत सुरक्षा इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है वायु संबंधी शाखा में उन्हें उड़ान के सिद्धान्तों वायु इंजिनों तथा विमान रूपांकन तथा ग्लाइडर उड़ाना इत्यादि शामिल है।

कनिष्ठ विभाग में मुख्यत: शिक्षा चरित्र और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

यह योजना १९४८-४९ में लगभग ३८,००० छात्र सैनिकों से आरम्भ की गयी थी जिसमें अब १९६०-६१ के आंकड़ों के अनुसार २,७०,००० छात्र सैनिक हैं। अधिक से अधिक छात्रों के शिक्षा देने के उद्देश्य से हमने छात्र सेना दल रायफल योजना भी आरम्भ की है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये सहायक छात्र सेना दल भी है। राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कनिष्ठ विभाग और सहायक छात्र सेना दल के बीच यह अन्तर है कि सहायक छात्र सेना दल के लोग शिविर में नहीं जाते तथा उनके लिये रायफल का उपयोग भी एच्छिक रखा गया है। १९६०-६१ में उपत योजनाओं के अधीन लगभग १५ लाख विद्यार्थी आते थे। जब कि देश के कुल स्कूल और कालेजों में लगभग ३० से ३२ लाख तक विद्यार्थी हैं। इस प्रकार लगभग छात्रों की आधी संख्या को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

माननीय प्रस्तावक महोदय भी इस संबंध में यह कह चुके हैं कि वे इस प्रशिक्षण को अनिवार्य नहीं बनाना चाहते हैं। वे केवल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जनता का इस ओर ध्यान हो सके। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि छात्रों की ओर से इस योजना को बहुत प्रोत्साहन मिला है। हमारा यह अनुभव रहा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने जहां भी नये एककों की स्थापना की वहां काफी छात्र और छात्राओं ने इसमें भाग लिया अत: कठिनाई जनता के सहयोग की नहीं है अपितु मैं इस संबंध में व्यय के कुछ आंकड़े दूंगा जिससे वे इस संबंध में आने वाली कठिनाई का कुछ अनुमान लगा सकेंगे।

केन्द्र तथा राज्य सरकार इस योजना में ३:१ के अनुपात से व्यय वहन करती हैं। कुछ राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां हैं। उक्त संख्या के लिये ही कुल वार्षिक व्यय १२ करोड़ रुपये हैं। यदि राज्य सरकारें इस योजना के अन्तर्गत छात्रों की संख्या बढ़ाना चाहें तो केन्द्रीय सरकार को प्रसन्नता ही होगी। वर्ष १९६०-६१ में केन्द्रीय सरकार ने इसमें ८.११ करोड़ और राज्य सरकारों ने ३·४६ करोड़ रुपये व्यय किये हैं। यद्यपि राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां होती हैं तथापि हम सदैव इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इन बातों को देखते हुए म माननीय सदस्य के उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हों। अर्थात् यथासंभव अधिक से अधिक छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाये।

इसके अतिरिक्त छात्र लोक सहायक सेना में भी शामिल हो सकते हैं। यह संस्था असैनिक व्यक्तियों तथा छात्रों दोनों के लिये खुली हुई है। इसमें भी बहुत अधिक संख्या में लोग हैं।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तावक तथा उनका समर्थन करने वाले अन्य सदस्यों का यह मन्तव्य कदापि नहीं है कि इस लोकप्रियता के बावजद भी जनता को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये।

[श्री बासुदेवन् नायर]

वस्तुतः देश के युवकों के लिये कोई आभार प्रदर्शन नहीं है कि जो कार्य उनका बुनियादी कर्त्तव्य है वह उनके लिये अनिवार्य करार दिया जाये। अतः वस्तुतः मैं उस भावना का आदर करता हूं जिस आधार पर यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है और आशा करता हूं कि सरकार जो कार्य कर रही है उससे उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जायंगी।

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प वापस ले लिया जाये।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम): मैं उपमंत्री के भाषण का समर्थन करता हूं। तथापि श्री नायर ने कहा है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के पर्याप्त कारण नहीं है। श्री नायर यद्यपि चीन के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं तथापि उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि वहां १५ वर्ष से बड़े प्रत्येक युवक के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। वहां प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष तक सैना में कार्य करना होता है। ऐसे लोग यदि हमें ऐसी सलाह दें कि हमें सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं करना चाहिये तो देश के लिये दुर्भाग्य है। जिसे अपने देश के लिये एक खतरा समझना चाहिये।

यदि हम देश के युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दें तो हमारे देश के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति होगी।

सरकारी पक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया है उसको सामने रखते हुए संकल्प को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

**संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।**

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### बानवेंवां प्रतिवेदन

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम)। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बानवेवें प्रतिवेदन से, जो १४ मार्च, १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गई थी सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संबंधी समिति के बानवेवें प्रतिवेदन से, जो १४ मार्च १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गई थी सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज-सेवा के बारे में संकल्प

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि सरकार को ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जो स्नातक की डिग्री लेना चाहते हों, एक वर्ष की अनिवार्य समाज-सेवा आरम्भ करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार अनिवार्य समाज-सेवा के इस प्रश्न पर कई वर्ष से विचार करती रही है, परन्तु सभी सरकारों की भां ति भारत सरकार भी सुधारों के प्रत्येक मामले में बड़े फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहती है। हालांकि देशमुख समिति, अन्तर्विश्व-विद्यालयीय बोर्ड, और यहां तक कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया था, फिर भी सरकार ने जन-मत के दबाव में आकर इसे आगे नहीं बढ़ाया है। पुराने ख्यालात के कुछ उपकुलपतियों ने इसका विरोध भी किया था। वे नयी परिस्थितियों को देखने से इन्कार करते हैं। वे देश के नवयुवकों की महत्वाकांक्षाओं को समझने में असमर्थ हैं।

मैंने सुना है कि देश के समाचार पत्र इसके विरुद्ध हैं, पर समाचार पत्रों पर ऐसे लोगों का एकाधिपत्य है जो देश में तेजी से कोई सुधार नहीं होने देना चाहते।

मुझे लगता है कि सरकार आलोचना से भय खाती है। लेकिन आशा है कि इस बार हमारे शिक्षा मंत्री इस प्रगति शील संकल्प को अपना समर्थन देंगे।

संसार भर में समाज-सेवा के विचार को समर्थन मिल रहा है। मैंने देखा है कि सोवियत संघ ने अपने यहां के पाठ्यक्रम में समाज-सेवा को सम्मिलित किया है। हमारे देश में इसके अभाव में देश के नवयुवक उन सभी काम-धन्धों से दूर होते जा रहे हैं जिनकी देश को अविलम्बनीय आवश्यकता है।

**[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए।]**

हमारी त्रुटिपूर्ण शिक्षा-पद्धति ने नवयुवकों के दिमागों में प्राचीन काल से चले आने वाले परम्परागत पेशों के प्रति अरुचि पैदा कर दी है। प्रत्येक नवयुवक कुर्सी पर आराम से बैठने की लिखा-पढ़ी करने की नौकरी चाहता है। शिक्षा का आज यही उद्देश्य समझा जाता है।

अब शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर जोर देने का समय आ गया है। इसके दो तरीके हैं। एक तो यह कि हमारी शिक्षा रचनात्मक हो, दूसरा यह कि शिक्षा देश की आवश्यकताओं को देखकर चले।

विदेशी शासकों ने हमारी शिक्षा-पद्धति को किताब-घोटू बना दिया है। और उसका उद्देश्य लिखा-पढ़ी की नौकरी हासिल करना बना दिया है। अब हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिये।

हमारे देश में पिछले पन्द्रह वर्षों में शिक्षा की सुविधायें काफी बढ़ गई हैं। पंजाब में तीसरे विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही है। अन्य राज्यों में भी यही हुआ है। विश्वविद्यालयों में अब विभिन्न विभागों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। सभी विषयों के विभाग खुलते जा रहे हैं। विद्यार्थी नये-नये विभिन्न विषयों में शिक्षा पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी भी समाज को कुछ दें। उनको भी समाज का ऋण चुकाना चाहिये।

हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के ऋणों का उल्लेख है। गुरूजनों और माता-पिता के भी हम ऋणी होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा ऋण समाज का है। विद्यार्थियों को समाज-सेवा द्वारा यह ऋण चुकाना चाहिये।

आज संसार में समाज-सेवा की भावना बलवती होती जा रही है। हमारे देश में अनेक विदेशी संस्थायें समाज-सेवा का कार्य वर्षों से करती आ रही हैं। हमारे देश के अपने संगठन भी हैं जो समाज-सेवा करते हैं जैसे राष्ट्रीय छात्र-सेना, इत्यादि।

[श्री दी० चं० शर्मा]

अमरीकी राष्ट्रपति कैनेडी की शान्ति-सेना का विचार तो विश्व विख्यात हो गया है । उसके कुछ सदस्यों ने भारत में आकर कृषीय कार्य भी किया है । 'भारत सेवक समाज' समाज-सेवा की इसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य लेकर चला है । परन्तु उससे देश की आवश्यकताओं की पूर्ती नहीं हो सकती, क्योंकि वह ऐच्छिक आधार पर समाज-सेवा का उद्देश्य आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है । व आधार बहुत छोटा है । आवश्यकता इस बात की है कि उसे अनिवार्य बनाया जाये । लोकतांत्रिकता इसके विरुद्ध नहीं पड़ती । समाज-सेवा के लिये लोगों को लोकतांत्रिक रहते हुए भी विवश किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय निर्माण के कामों के लिये हम लोगों को विवश कर सकते हैं । ऐच्छिक आधार पर हमने लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना का संगठन करके देख लिया है । उसका आधार व्यापक नहीं हो पाता। मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारे विद्यार्थी अपने परिवारों के लिये अधिक काल तक आर्थिक रूप से उपयोगी न बनें । पर मैं चाहता हूं कि वे केवल एक वर्ष तक समाज के लिये उपयोगी कार्य करें । वे शहरों और गांवों के बीच की खाई पाटने में देश की सहायता करें । उनको गांवों में जाकर उपयोगी सेवायें करनी चाहियें ।

मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति, श्री देशमुख के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि डिग्रीयां केवल दो प्रकार की होनी चाहियें—उत्तीर्णी और विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण । यह ठीक है कि अब परीक्षाओं से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियां हटा देनी चाहियें । यह विदेशी शासन-काल की विरासत है । सारा ध्यान इस बात पर केन्द्रित नहीं रहना चाहिये कि विद्यार्थी ने कक्षाओं में होने वाले लैक्चरों की ओर कितना ध्यान दिया है । यह भी देखना चाहिये कि उसने समाज के लिये कितना उपयोगी काम किया है ।

इस योजना पर होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित रूप में उठाना चाहिये ।

मैं तो कहता हूं कि इस योजना को राष्ट्रीय आधार पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिये । आज की परिस्थिति में यह अत्यावश्यक है । आशा है माननीय शिक्षा मंत्री इस से संकल्प का समर्थन करेंगे ।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : मैं इस संकल्प की भावना से सहमत हूं हालांकि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत इसके सारे ब्योरे से सहमत नहीं ।

समाज-सेवा का यह विचार एक दम नया नहीं है । बहुत पहले भी एक छोटे-मोटे पैमाने पर कालेजों में समाज-सेवा के विचार को स्थान दिया जाता था ।

अब संकल्प में उसे अनिवार्य तौर पर समुचे राष्ट्र में चालू करने का प्रस्ताव है । मैं अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के विचार से तो सहमत नहीं, पर अनिवार्य समाज-सेवा के विचार से सहमत हूं । हमारे देश के विद्यार्थियों को देश की वास्तविक दशा से परिचित रहना चाहिये । उनको मालूम होना चाहिये कि हमारे देश में कारखानों और खेती-बाड़ी की वास्तविक दशा क्या है । उनको हाथ से मेहनत करना भी सीखना ही चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दीवान चन्द शर्मा ने सोवियत संघ का उल्लेख किया है। मैं ने भी सोवियत संघ में जाकर देखा है। वहां तो विद्यार्थियों और नवयुवकों के संगठनों को परियोजनाओं के निर्माण तक का काम सौंपा गया है। कई ऐसी रेलवे लाइनें हैं, जिनका निर्माण विश्वविद्यालयों ने किया है। अफ्रीका के हाल में स्वतंत्र देशों के विद्यार्थियों को वहां स्कूल-कालिज और पुस्तकालय खड़े करने का दायित्व सौंपा जाता है। राज्य की ओर से उनकी प्रविधिक और आर्थिक सहायता की जाती है।

मेरा सुझाव है कि इस में समाज-सेवा के अतिरिक्त, देश की विकास सम्बन्धी अन्य कार्य-वाहियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। पर समस्या यही है कि विकास सम्बन्धी कार्य-वाहियों को सम्मिलित कैसे किया जाये? विद्यार्थियों को उनमें हाथ बंटाने का अवसर किस प्रकार दिया जाये?

अभी देश में हालत यह है कि अधिकांश नवयुवक देश की विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों को दर्शकों की भांति देखते रहते हैं। यह शक्ति का अपव्यय है। यदि विद्यार्थीगण इन कार्यवाहियों में हाथ बंटाने लगें, तो उनकी विचारधारा को एक स्वस्थ दिशा मिल जायेगी।

हाल के आम चुनावों से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि हमारे नवयुवकों का एक बड़ा भाग प्रतिक्रियावादी, विध्वंसक और साम्प्रदायिक विचारों का है। यदि अधिकांश विद्यार्थी इसी तरह सोचने लगें तो देश बर्बाद हो जायेगा। समाज-सेवा की इस योजना द्वारा उनको स्वस्थ कार्यवाहियों की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मैंने देशमुख समिति का प्रतिवेदन देखा है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग इस योजना को शिक्षित नवयुवकों की बेरोजगारी दूर करने का साधन समझते हैं। यह बिल्कुल ग़लत दृष्टि-कोण है।

दूसरी बड़ी समस्या इस योजना के लिये वित्त जुटाने की है। विद्यार्थियों के संरक्षकों से इसका खर्च उठाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री शर्मा ने सुझाव रखा है कि राज्य सरकारें और केन्द्र मिलकर इसका खर्च उठायें। वह काफी ज्यादा होगा।

मेरा सुझाव है कि अनिवार्य समाज-सेवा की अवधि एक ही बार में लगातार एक वर्ष तक न रखी जाये। स्नातकों के तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में उनको तीन बार कारखानों, खेतों, इत्यादि में भेजने की व्यवस्था रखी जाये। इस प्रकार वित्त की समस्या भी आसानी से हल की जा सकेगी।

मेरा अनुरोध है कि इस योजना को स्थगित न किया जाये। माननीय मंत्री को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :(पाली) : इस संकल्प पर यथेष्ट गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। माननीय प्रस्तावक को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का पर्याप्त अनुभव है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया है। मंत्रालय ने, सदा की भांति, इस विषय पर विचार करने का काम एक समिति को सौंप दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने इस पर चर्चा की है। उन्होंने इस योजना के विरुद्ध काफी वज़नी दलीलें पेश की हैं।

इस संकल्प का उद्देश्य सराहनीय है। सभी मानते हैं कि विद्यार्थियों को देश की वास्तविक परिस्थिति के सम्पर्क में लाना जरूरी है। उनको सामाजिक समस्याओं की जानकारी रहनी चाहिये। फिर भी मैं सोचता हूं कि एक वर्ष की अनिवार्य समाज सेवा की इस योजना से उनका समय ही नष्ट होगा, उनकी शक्ति का अपव्यय होगा और देश का भला कम, नुकसान ही ज्यादा होगा। साथ ही वह अव्यावहारिक भी है।

सोवियत संघ का उल्लेख इस सिलसिले में करना अप्रासंगिक है, क्योंकि उस देश में उनका पूरा तरीका सर्वथा भिन्न है। उन्होंने समाज-सेवा की योजना को सर्वाधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप दिया है।

चूंकि विद्यार्थी अनुभवहीन होंगे, इसलिये उनसे कोई बड़ी अपेक्षा नहीं की जा सकती। परन्तु उन पर व्यय बहुत अधिक करना पड़ेगा। शायद १९६२ तक ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दस लाख हो जायेगी, और यदि उन पर १०० रुपये प्रति मास ही खर्च पड़ा, तो कुल खर्च दस करोड़ रुपये प्रति माह हो जायेगा। इस प्रकार साल भर में डेढ़ या दो अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा। और उससे लाभ कुछ होगा नहीं।

इससे अच्छा तो यही रहेगा कि हमारा दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक हो। हम प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही विद्यार्थियों में समाज-सेवा और देश भक्ति की भावनायें पैदा करने की कोशिश करें। सोवियत संघ और कुछ अन्य देशों में यही किया जाता है। इतनी बड़ी राशि का अपव्यय करने पर भी हम इस योजना द्वारा विद्यार्थियों को वास्तव में स्वस्थ विचारक और अनुशासित नागरिक नहीं बना पायेंगे। देहाती क्षेत्रों के स्कूलों को हर रोज एक-दो घंटे सामुदायिक विकास कार्य के लिये रखने चाहिये। यह कहीं अधिक उपयोगी रहेगा।

और क्या १६-१७ वर्षीय बालिकाओं को भी अनिवार्य समाज-सेवा के लिये गांवों में जाना पड़ेगा? उनके लिये विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा। समस्या का वास्तविक हल यह नहीं। असल में हमें प्रत्येक स्तर पर, पूरे पाठ्यक्रम को एक नये आधार पर लाना चाहिये, उसे नयी दिशा दी जानी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय प्रस्तावक ने इस योजना से सहमत न होने वाले उपकुलपतियों, इत्यादि को प्रतिक्रियावादी कहा है। अपने विचारों से सहमत न होने वालों को प्रतिक्रियावादी कह देना उचित नहीं है। और, समाचारपत्रों को भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। समाचारपत्र कुछ निहित स्वार्थों के हाथ में हैं, यह तो सही है। पर साथ ही यह भी सही है कि इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में उनको प्रतिक्रियावादी कहना अनुचित है।

और १५-१६ वर्षीय विद्यार्थी गांवों में जाकर कौन सा उपयोगी कार्य कर सकेंगे? उन में तो इतनी परिपक्वता ही नहीं आ पाती।

समाज-सेवा का भाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिये, इस प्रकार का एक थोपा हुआ पाठ्यक्रम नहीं। वह भाव प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही विद्यार्थियों में जगाया जाना

चाहिये। इसलिये मैं इस संकल्प का भरपूर विरोध करता हूं। हमें इस संकल्प का उद्देश्य अधिक सफल और प्रभावशाली ढंग से पूरा करना चाहिये। हमें अपने देश के विद्यार्थियों को काम में जुटना सिखाना चाहिये, काम से जी चुराना और बुदबुदाना नहीं।

समाज सेवा हमारे जीवन का ढंग बन जाना चाहिये। इस प्रकार अलग से समाज-सेवा थोपने का दृष्टिकोण ही ग़लत है। ऐसे अधकचरे सुधारों की और अधिक भरमार हमें नहीं करनी चाहिये। यदि आवश्यक हो, तो हम सलाहकार समिति में इस योजना पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थियों में एक समाज-परक दृष्टिकोण पैदा किया जाये।

**श्री सरजू पांडेय** (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव की भावनाओं का आम तौर से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ने प्रस्तावक महोदय के सम्पूर्ण भाषण को सुना है। यह बात सही है कि हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि शारीरिक श्रम और मस्तिष्क श्रम में जो फर्क इस समय है, उस को समाप्त किया जाये और यह तभी हो सकता है, जब अपने देश की क्षिशण-संस्थाओं में शारीरिक कार्यों को भी महत्ता प्रदान की जाये। ऐसा मैं दो कारणों से कहता हूं। पिछली दफा इसी सदन में २९ अगस्त, १९६१ को एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि हमारे देश में बी० ए० पास बेकारों की संख्या ५०,६७०; इन्टरमीडिएट पास बेकारों की संख्या ६९,७४० और मैट्रिकुलेट बेकारों की संख्या ४,४७,१३७ और इस प्रकार कुल पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या ५,६७,५४७ है।

यह बात जाहिर करती है कि हमारे देश में पढ़े-लिखे लोग आम तौर से नौकरियों के पीछ भागते हैं और वे छोटी मोटी नौकरियों के लिए जगह जगह मारे मारे फिरते हैं। इस का कारण यह है कि हमारे देश की शिक्षा-पद्धति इस किस्म की है कि उस में लोग अधिक से अधिक शारीरिक श्रम की ओर नहीं लगाये जाते। परिणाम यह है कि देश के सामने एक विकट समस्या खड़ी है कि आखिर इतने लोगों को किस तरह काम पर लगाया जाये।

अभी प्रस्तावक महोदय ने खुद ही बताया र कि बहुत से समाजवादी देशों में विद्यार्थियों से शारीरिक श्रम लिया जाता है, उन से समाज-सेवा कराई जाती है, ताकि आगे चल कर वे सर्विसेज में, नौकरियों में जाने के अलावा सामाजिक कार्यों में लग सकें। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिस की वजह से एक बड़ी विकट परिस्थिति देश के सामने है।

अभी एक माननीय सदस्य ने फ़रमाया कि विद्यार्थियों को सामाजिक सेवाओं में लगाने का अर्थ है उन के समय को बर्बाद करना और रुपये को बेकार खर्च करना। उन की समझ में इस देश का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे विचार में इस तरह की बातें कतई तौर पर ग़लत हैं। यद्यपि इस प्रस्ताव से यह नहीं मालूम होता कि सामाजिक सेवाओं का क्षेत्र क्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस का मतलब सिर्फ़ कूड़े की सफ़ाई ही नहीं है, बल्कि प्रस्तावक महोदय की भावना यह है कि हमारे विद्यार्थी लाज़िमी तौर पर शारीरिक श्रम को भी उतना ही महत्व दें, जितना कि वे मस्तिष्क के कामों को देते हैं। यह तभी सम्भव होगा, जब अनिवार्य रूप से उन को कुछ किसी न किसी समाज-सेवा में लगाया जाये। अगर ऐसा नहीं किया जायगा, तो फिर वही समस्या हमारे सामने आयगी कि स्कूलों कालेजों से निकलने के बाद हमारे छात्र क्या करें, कौन सा काम करें। हमारे देश में हर साल करोड़ों लड़के स्कूलों कालेजों से निकलते हैं और वे नौकरियों के पीछे भागते फिरते हैं। इस का कारण यह है कि इस में उन को आसानियां मिलती हैं। आप गांवों में जा कर देखिये कि लोगों की मनोवृत्ति वहां से भागने की बनती जा रही है।

[श्री सरजू पाण्डेय]

लेकिन सब से बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे देश में काम की महत्ता नहीं है। आम तौर पर शारीरिक कार्यों को लोग मोटा काम समझते हैं और समझते हैं कि यह काम छोटे आदमियों का है, हमें नहीं करना चाहिए। यह भावना तभी खत्म होगी, जब विद्यार्थी सामाजिक कार्यों में लगाए जायेंगे। आज देश में करोड़ों काम पड़े हुए हैं, जिन को करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। देश को शिक्षित बनाने की आवश्यकता है। विकास-कार्यों में लोगों को लगाने की ज़रूरत है। यह बहाना बनाना ठीक नहीं है कि इस में पैसा खर्च होगा। अगर इस तरफ़ कोई कदम न उठाया गया, तो नतीजा यह होगा कि ऐसे विद्यार्थी पैदा होते रहेंगे, जो क्लर्की के पीछे दौड़ते रहेंगे और उन को काम न मिलने के कारण देश में कठिन स्थिति पैदा हो जायगी।

यद्यपि यह प्रस्ताव साफ़ नहीं है, लेकिन इस का उद्देश्य यह ज़रूर मालूम होता है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से कुछ इस तरह के काम दिये जायें, जिस से मुल्क में ऐसी स्थिति पैदा हो कि शारीरिक काम करने वालों और मस्तिष्क का काम करने वालों में कोई बड़ा भेद बाकी न रहे, जैसा कि अभी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन दो कारणों से यह ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए।

अभी माननीय सदस्य ने फ़रमाया कि लड़कियों को कैसे सामाजिक सेवाओं में लगाया जायेगा और उन के लिए भी कैम्प बनाने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि जिन क्षेत्रों में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं, वहां से बहुत दूर उन को ले जाया जायेगा। यह नहीं कि दिल्ली के छात्र-छात्राओं को कलकत्ता और कलकत्ता के लड़के लड़कियों को दिल्ली भेजा जायगा। वे लोग अपने-अपने क्षेत्रों में समाज-सेवा का काम करेंगे, जहां अलग रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लड़कियों के लिए भी व्यवस्था हो सकती है। यह ज़रूरत नहीं है कि छात्राएं बाहर भेजी जायें।

मैं ने पिछली दफ़ा कहा था कि हमारे देश में समाजवाद की बात तो ज़रूर सरकार की ओर से कही जाती है, लेकिन समाजवादी पद्धति को अपनाने में उस को डर लगता है। पता नहीं, सरकार की ओर से वह कौन सा समाजवाद स्थापित किया जा रहा है, जिस में दिनों-दिन फर्क बढ़ता जा रहा है। इस फ़र्क को समाप्त करने के लिए और देश में सही मायनों में समाजवाद स्थापित करने के लिए यह ज़रूरी है कि देश के विद्यार्थियों को ऐसे कामों में लगाया जाये कि शारीरिक और मस्तिष्क का काम करने वालों में यह फ़र्क समाप्त हो जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह भी उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इन बातों को मानेंगे, ताकि जो कठिनाइयां देश के सामने उपस्थित हैं, वे समाप्त हों।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : राष्ट्रीय सेवा की योजना का विचार बहुत पहिले से ही हमारे नेताओं के दिमाग में रहा है इसका कारण यह है कि वे यह चाहते थे कि हम विद्यार्थियों को पहिले से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण दें कि वे भविष्य में राष्ट्रीय सेवा का कार्य कर सकें। सिद्धान्त रूप से हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे छात्रों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा हो। यद्यपि संकट के समय हम इस पर अमल कर सकते हैं, तथापि हम अपने छात्रों को ऐसी राष्ट्रीय सेवा या समाज सेवा में प्रशिक्षण देना चाहते हैं जिसकी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिये आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि हम विद्यार्थियों में अनुशासन की बात कहते हैं तथापि हमने अपने छात्रों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं दिया है कि उनकी शिक्षा को व्यवहार का रूप दिया जा सके। इसका ही यह परिणाम है कि अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् एक युवक न केवल बेकार रहता है अपितु उसमें कार्य करने की क्षमता का भी विकास नहीं होता है। और जब उससे गांवों में या किसी सहकारी संस्था में काम करने को कहा जाता है तो वह अपने को अक्षम पाता है। मेरे विचार से एक वर्ष की राष्ट्रीय सेवा से उसमें इस प्रकार के कार्य करने की क्षमता पैदा हो जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कई बार यह कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच उपयुक्त काम करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। मेरे विचार से इसका कारण यह है कि हमें उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस के अतिरिक्त सभा में कई बार जनता के सक्रिय सहयोग की कमी के संबंध में चर्चा हुई है। इसका कारण यह है कि हम ऐसे तरीकों को नहीं अपना सकें हैं कि जिससे कि जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके लिये एक वर्ष के लिये समाज सेवा करना उनके लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

यह कहा जा सकता है कि हमारे देश मे इस समय सकटपूर्ण स्थिति नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि इस समय कोई युद्ध नहीं है तथापि हमारे देश में गरीबी अज्ञानता और राष्ट्रविरोधी तत्वों को नष्ट करने के लिये संघर्ष चल रहा है। इनका मुकाबला करने के लिये हमारे युवकों को समाज सेवा की भावना में दीक्षा देना अनिवार्य है।

आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में सेवा की भावना भरना अनिवार्य है, मेरे विचार से यह काम इस तरीके से सरलता से हो सकता है क्योंकि इससे उनमें सेवा की भावना का विकास होगा।

यह कहा गया है कि इसमें बहुत अधिक व्यय होगा। शिक्षा मंत्रालय के प्राक्कलन के अनुसार यह योजना अमल में लाने पर प्रत्येक विद्यार्थी पर ४५० रु० वार्षिक व्यय होगा। मेरे कथन का यह तात्पर्य नहीं है समस्त देश में एक साथ ही यह योजना लागू की जाये लेकिन जो राज्य या जो विश्वविद्यालय इसमें दिलचस्पी रखते हों वहां पर यह योजना लागू की जा सकती है। आज कई केन्द्रीय स्वेच्छा संस्थायें देश के कई भागों में स्थित संस्थाओं को स्वेच्छा कार्य के लिये अनुदान देती हैं मेरे विचार से इस प्रकार का समस्त अनुदान बन्द कर दिया जाये और केवल अनिवार्य सामाजिक सेवा कार्य के अधीन दिया जाये। इससे इस योजना के लिये धन सरलता से उपलब्ध हो सकेगा। अतः यदि सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस कार्य को सच्चे दिल से करना चाहें तो यह कार्य किया जा सकता है। इससे हम अपने देश के युवकों में समाज सेवा की भावना भर सकेंगे।

**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आदरणीय प्राध्यापक श्री दी० चं० शर्मा ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जहां तक हमारे युवकों में सेवा की वृत्ति पैदा करने की आवश्यकता का सम्बन्ध है, उस बारे में दो मत नहीं हो सकते। किन्तु सेवा एक भावना है और भावना दबाव से, विवश करके नहीं पैदा की जा सकती। यह भावना पैदा की जा सकती है संस्कारों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और यदि आप शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा अपने देश के युवकों के अन्दर उस प्रकार की भावना पैदा कर सकें तो वे बढ़ते हुए भी समाज सेवा के दूसरे काम कर सकते हैं। यदि हम उनके अन्दर वह भावना नहीं पैदा कर सकते हैं तो फिर आप कोई भी स्कीम बनाते रहें, कोई भी योजना बनाते रहें, वहां

[श्री बलराज मधोक]

सेवा नहीं होगी, बेगार होगी । आज वास्तव में यही स्थिति है और शायद इसीलिए हमारे शास्त्रियों ने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा है कि ठीक शिक्षा वही है जो विनय पैदा करती है ।

शिक्षा ददाति विनयं ।
विनयं ददाति पात्रता ।

शिक्षा से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है । हमें देखना होगा कि क्या अपनी शिक्षा के द्वारा आज अपने नवयुवकों के अन्दर हम वह विनय की भावना, वह पात्रता की भावना पैदा कर रहे हैं । हम वह पैदा नहीं कर रहे हैं । कुछ मूल त्रुटियां हैं हमारी शिक्षा पद्धति में, और यह दुःख की बात है कि पिछले १५ सालों से हर साल हम दीक्षान्त भाषणों में सुनते रहे, पढ़ते रहे, सब लोग कहते हैं कि शिक्षा पद्धति में यह दोष है,वह दोष है, शिक्षा हमारे हाथ में है और देश स्वतन्त्र है, परन्तु हम शिक्षा पद्धति को बदल नहीं सकते । उस की त्रुटियों के कारण देश के अन्दर बेकारी बढ़ रही है और कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । उन को फ़ेस करने के बजाय मुकाबला करने के बजाय, हम शार्ट कट ढूंढ़ते हैं, हम उन को इवेड करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की स्कीमें प्रस्तुत करते हैं । यह गलत बात है । वास्तव में सेवा वही कर सकता है जिस के अन्दर सेवा की वृत्ति हो, सेवा की भावना हो और जिस की अपनी मांगें पूरी हो चुकी हों, जिस की अपनी तृष्णायें पूरी हो चुकी हों । इस लिये हमारे पूर्वजों ने यह नियम रक्खा था कि पहले ब्रह्मचर्य चले, शिक्षा इत्यादि प्राप्त की जाय, उसमें हर प्रकार की सर्वांगीण उन्नति हो नवयुवकों की, फिर वह गृहस्थ में जाय, फिर वानप्रस्थ लेऔर उस के पश्चात् सन्यास ले । वानप्रस्थी और सन्यासी जो थे वे ही वास्तव में सही मानों में समाज की सेवा करते थे । जिन को सही मानों में समाज की सेवा करनी चाहिये, सोशल सर्विस करनी चाहिये, वे तो चाहते हैं कि कब्र में जाते जाते रुपया कमाते रहें, अपनी जेबें भरते रहें । मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं शर्मा जी से कि उन का समय है सेवा करने का और वे बनें समाज सेवी । पार्लियामेंट में बैठ कर समाज सेवा नहीं होती । समाज सेवा का स्थान और है, परन्तु जो सेवा उन को करनी चाहिये वह तो वे करते नहीं, नौजवानों से, १५ साल के, १६ साल के, २० साल के युवक युवतियों से कहते हैं कि घर छोड़ कर सेवा करो, फिर उस के लिये रुपया दीजिये । रुपया ले कर सेवा नहीं होती । उस के लिये वृत्ति पैदा होनी चाहिये । कुछ संस्थायें देश के अन्दर हैं जो नवयुवकों के अन्दर सेवा की भावनायें पैदा करती हैं ।

हमारे देश के अन्दर कई बार राष्ट्रीय स्वयम्सेवक संघ की लोग बड़ी निन्दा करते हैं । परन्तु वास्तव में यदि देश के अन्दर कोई समाज सेवा की भावना पैदा करने वाली संस्था है तो वह संघ है । जब हम लोग कालेजों में पढ़ते थे तो हम से कहा जाता था कि तुम कालेज में पढ़ने के बाद एक साल का समय देश सेवा में दो । सब जानते हैं कि संघ का काम कितना फैला । मैं ने एम० ए० पास किया फर्स्ट क्लास में, उस समय मुझे कमिशन मिलता था आर्मी में, लेकिन मुझ से कहा गया कि तुमने इतने साल पढ़ाई की है अब एक साल सेवा में लगाओ । कितने ही नौजवान थे जिन्होंने एम० ए० और बी० ए० पास किया था । वे समाज सेवा में लगे । हम गांवों में गये और समाज सेवा का काम किया । हमें किसी ने रोटी नहीं दी, हमें नौकरी नहीं दी, लेकिन हम यही भावना ले कर गये थे कि हम समाज के अंग हैं, यह समाज हमें पालता है, पोसता है और हमारा कर्तव्य है कि उस समाज में जा कर हम उस की सेवा करें । इस प्रकार जब सेवा की भावना पैदा की जाती है और उस भावना को ले कर जब हम जाते हैं तब सही मानों में समाज की सेवा होती है । हमारे यहां पहले भी समाज सेवा होती थी । नालन्दा विश्वविद्यालय से विद्यार्थी निकलते थे, पंडित निकलते थे, और वे देश में ही नहीं, विदेशों में जा कर सेवा करते थे । उन्हें कोई नौकरी नहीं

देता था, प्रलोभन उनको नहीं दिया जाता था, दबाव उन पर नहीं डाला जाता था, उन्हें तन्ख्वाह मिलती नहीं थी, लेकिन उन में भावना जागृत की जाती थी और उस भावना के बल पर इस प्रकार की सेवा होती थी।

मुझे याद है जब काश्मीर पर हमला हुआ, पाकिस्तानी सेनायें आगे बढ़ रही थीं तो २४ अक्तूबर, १९४७ की रात को कोई १२ बजे मेरे पास मेसेज आई पैलेस से। मि० मेहरचन्द महाजन जो बाद में चीफ जस्टिस बने, वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहलाया कि महाराज बुला रहे हैं महल में। मैं १२ बजे पहुंचा और पूछा कि क्या हुक्म है। कहा तुम्हारी सेवा की जरूरत है, दुश्मन उड़ी तक आ पहुंचा है। भारतीय सेना पहुंची नहीं, हमें कुछ नौजवान चाहियें, तुम नौजवान दे सकते हो। मैं ने कहा कि नौजवान क्या करेंगे ? उन के पास कोई बन्दूक नहीं है, तलवार नहीं है, आप लाठी चलाने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि आप के नौजवानों में सेवा की भावना है। आप नौजवान दीजिये हम उन को ट्रेन करेंगे और आगे भेजेंगे। रात के तीन बजे मैं ने इमर्जेन्सी काल दी और सवेरे पांच बजे २०० नौजवान इकट्ठे हो गये। दिन में उन को ट्रेनिंग दी और अगले दिन उनको आगे भेज दिया गया। कोई मिलिटरी आफिसर जो उस समय काश्मीर में था, बता सकेगा, मि० महाजन बतला सकेंगे कि जिस समय तक भारतीय सेना नहीं पहुंची, हमारे नौजवान जो कालेज के विद्यार्थी थे और स्वयम्सेवक संघ के थे उन्होंने कितना काम किया। जम्मू में एअरोड्रोम नहीं था, वहां पर हवाई जहाज नहीं उतर सकता था। हम ने वहां सड़कें बनाईं रात में छिपे छिपे। लेकिन हमने सड़कें बनाईं तो कोई एहसान नहीं किया। हमारे अन्दर यह समाज सेवा की भावना पैदा की गई थी संघ के अन्दर, किसी पर हमारा एहसान नहीं था।

आज आवश्यकता यह है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति के अन्दर सुधार करें और नौजवानों के अन्दर समाज सेवा की भावना पैदा करें। मेरा अपना अनुभव है, जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वह रोज हमारे सम्पर्क में आते हैं। अगर ठीक बात उनसे कहोगे और उनको ठीक प्रेरणा दोगे तो उत्तर अवश्य मिलेगा। आज जब नौजवानों के पास हम लोग जाते हैं तो वे सड़कें बनाने और पत्थर तोड़ने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। हम उन को कोई प्रलोभन नहीं देते, उन को पैसा नहीं देते लेकिन फिर भी वे काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं। कोई आग लग जाय, बाढ़ आ जाय, सब से पहले हमारे नौजवान वहां पर पहुंचेंगे। जब भी आग लगती है, बाढ़ आ जाती है, उन के दिल के अन्दर विचार पैदा होता है कि समाज को उन की मदद की आवश्यकता है और वहां उन को पहुंचना चाहिये। आज इस तरह की भावना पैदा करने की जरूरत है सेवा की, इस के लिये इस प्रकार की योजनाओं की जरूरत नहीं है। जैसा मि० माथुर ने कहा स्कूलों और कालेजों में ही जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहीं पर ट्रेनिंग दी जा सकती है, वहीं उन से काम लिया जा सकता है, उन के अन्दर वहीं ठीक बातें इनकल्केट की जा सकती हैं पुस्तकों के द्वारा। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हितोपदेश पढ़ते थे, पंचनतन्त्र पढ़ते थे। आज हितोपदेश नहीं पढ़ाया जाता, पंचतन्त्र नहीं पढ़ाया जाता, रामायण का बालकांड नहीं पढ़ाया जाता। आज जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उन के द्वारा यह भावना पैदा नहीं हो सकती, यह स्पिरिट पैदा नहीं हो सकती। जहां तक समाज सेवा की आवश्यकता है इन पुस्तकों से कोई व्यक्ति उस की उम्मीद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अन्दर इस प्रकार की भावना बढ़े कि यह देश हमारा है, यह समाज हमारा है और इस देश तथा इस समाज की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। परन्तु समाज की सेवा की भावना शिक्षा पद्धति के द्वारा संस्कारों के द्वारा पैदा करें। इस तरह की कम्पलसरी बातें कर के, कम्पल्शन डाल कर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर लोकतन्त्र के साथ कम्पल्शन नहीं

[श्री बलराज मधोक]

चल सकता। लोकतन्त्र में कम्पल्शन की बात हमारे समाजवादी भाई भी कहते हैं, वे कहते हैं कि अगर कम्पल्शन डाला जाय तो भी क्या बात है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर कम्पल्शन का एलिमेंट आया वहां लोकतन्त्र चल नहीं सकता। लोकतन्त्र का भाव यह है कि प्रेरणा दो, हर व्यक्ति के अन्दर उच्च भावना को उभारो और प्रेरणा दे कर उनसे काम लो। आप यहां प्रेरणा देने का काम नहीं करते, दबाव डालना चाहते हैं, लोकतन्त्र में आप प्रेरणा से काम नहीं लेते हैं, दबाव डालना चाहते हैं। लोकतन्त्र प्रेरणा के आधार पर चलता है, लोकतन्त्र डंडे के जोर पर नहीं चलता। इस लिये आवश्यकता है कि जो पद्धति हमने अपनाई है उस पद्धति को समझें और उस पद्धति के अनुसार समाज में और अपने नौजवानों में उचित भावना पैदा करें। हमारे नौजवान हमारे पीछे हैं, जनता नौजवानों के पीछे नहीं है। नौजवानों के अन्दर देश-भक्ति की भावना है, त्याग की भावना है। उन के अन्दर आदर्शवाद है, लेकिन उन के आदर्शवाद को जागृत तो करो, आदर्शवाद उन में पैदा तो करो। आज सब से पहली आवश्यकता यह है कि हमारे लोग जिन को हम अपने नेता कहते हैं, समाज के नेता कहते हैं, वे अपने अन्दर ठीक आदर्श उत्पन्न करें। यह सेवा की भावना खाली नारों से नहीं आ सकती। यह काम ठीक तरह के आदर्श पेश करने से होगा। आज कल कालेजों में जो प्रोफेसर्स होते हैं जो कि हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो लोग हमारे नेता कहलाते हैं, उनके अन्दर सेवा की भावना उत्पन्न कीजिये ताकि वे आदर्श पेश कर सकें, तो निश्चित है कि यह भावना फैलेगी और उसी के साथ इस प्रस्ताव की जो स्पिरिट है वह पूरी हो सकती है। आज जो योजना रखी गई है वह गलत है और उससे लाभ कम होगा, हानि अधिक होगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है उस का विषय बड़ा ही महान् है। हम सभी उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस विषय की ओर सदन का ध्यान खींचा और उस के द्वारा सरकार का भी ध्यान खींचने का उन्होंने प्रयत्न किया है।

जितने भाषण मैं ने सुने और प्रस्तावक महोदय का जो भाषण मैं ने सुना, उन से मुझे यह स्पष्ट नहीं मालूम पड़ रहा है, प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है कि इस का उद्देश्य क्या है। क्या यह उद्देश्य है कि विद्यार्थी जीवन में जो लोग रहते हैं उन के अन्दर सेवा की प्रवृत्ति जगाई जाय, उनको समाज सेवा के अनुकूल किया जाय, या देश के अन्दर समाज सेवियों की जरूरत है इसलिये विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से इस काम में लगाया जाय। कुछ भाषणों से यह स्पष्ट मालूम पड़ा, जैसा कि श्रीमती रे जी ने कहा, कि विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी देखी जाती है और इस सम्बन्ध में जब जब इस सदन में बहस हुई है तो बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि यदि विद्यार्थियों के जीवन में सामाजिक प्रवृत्ति लाने का प्रयास किया जाय तो उस से अनुशासनहीनता में कमी होगी। इस से स्पष्ट मालूम पड़ा कि विद्यार्थी जीवन की कमी को दूर करने के लिये समाज सेवा अनिवार्य करने के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। लेकिन प्रस्तावक महोदय ने, जब वे इस पर भाषण दे रहे थे, कहा कि विद्यार्थियों के ऊपर बहुत से ऋण हैं। जैसे पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, वैसे ही समाज ऋण भी है जो कि विद्यार्थियों को पूरा करना चाहिये। और इस लिये उन को समाज सेवा करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में यद्यपि अभी अभी कल्याणकारी राज्य हुआ है, लेकिन उस ने बहुत से कार्य आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में अपने ऊपर लिये हैं। लेकिन फिर भी और देशों की तरह हिन्दुस्तान में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सरकार की एजेन्सी के द्वारा नहीं हो सकते हैं और जिन को करने के लिये स्वतन्त्र रूप से संस्थाओं की आवश्यकता आज भी है और आगे भी रहेगी, और जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा है, इस देश में, यहां भी और यहां के बाहर भी ऐसी संस्थायें हैं जो सामाजिक सेवा करन लिये सामने आई हैं और अपने ऊपर उन्होंने अनेक काम ले रखे हैं। लेकिन इस समय विचारणीय विषय यह है कि क्या हमारी शिक्षा पद्धति में कोई कमी है जिसका प्रभाव पूरे विद्यार्थी समाज के जीवन पर है, और जो कुछ विद्यार्थी जीवन के लिये करने की जरूरत है वही सांसारिक जीवन के लिये भी जरूरी है और उस जरूरत की पूर्ति करने के लिये किसी प्रकार की समाज सेवा को अनिवार्य रूप से कराने की आवश्यकता है या नहीं। अगर इस बात को मान लिया जाय और जैसे कि बहुत से शिक्षा विशेषज्ञों ने भी समय समय पर इस बात को कबूल किया है कि हमारी शिक्षा पद्धति में नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सी त्रुटियां हैं। हमारे विद्यार्थियों ने व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता है। शिक्षा पद्धति में किये गये सुधारों के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो कि स्कूल, कालिजों और विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, इस १४, १५ या २० वर्ष के विद्यार्थी जीवन ने उन्हें संसार में होने वाले संघर्ष का सफलता के साथ मुकाबला करने के लिये अच्छे तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया है। विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव रहता है। इसी लिए बराबर इस बात पर जोर दिया जाता रहता है कि हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल वल परिवर्तन हो ताकि उनको किताबी ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके ताकि आगे चल कर जब वह जीवन संघर्ष में कूदे तो वे जीवन की समस्याओं का मुकाबला मुस्तैदी और वीरता के साथ कर सकें। वे लोग अपने जीवन को सफल बनाते हुए देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। यही कारण था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हालांकि उनका जीवन राजनीतिक संघर्षों से भरा पड़ा था तो भी उन्होंने हर तरीके के सामाजिक सुधार और शिक्षा सुधार पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने उनका स्वयं भी अध्ययन किया और हमारे शिक्षा विशेषज्ञों को भी उनके अध्ययन में लगाया। उस के बाद यह पता चला कि प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक में कमी है और उस कमी को दूर करने के लि शिक्षा में एक मौलिक परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया और जिसका कि आरम्भ सारे भारतवर्ष में किया जा चुका है। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि जितना ध्यान इस समस्या की ओर जाना चाहिए था अभी तक नहीं गया है। सिद्धान्त रूप में सरकार ने इसको मान लिया है और हमारे देश में बुनियादी शिक्षा जारी की जा चुकी है।

अभी जैसा कि हमारे माथुर साहब ने कहा मैं भी समझता हूं कि यह अलग से विश्वविद्यालय शिक्षा समाप्त करने के बाद एक वर्ष के लिए उनको सामाजिक सेवा में लगाना विशेष फलदायी नहीं होगा। उचित तो यह होगा कि इसके लिए हम अपने प्रारम्भिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करें और उनको शुरू से ही स्कूल स्टेज से बाहर जाकर समाज सेवा करने का मौका दें, ताकि समाज सेवा का उन्हें अनुभव प्राप्त हो सके और अपने भावी जीवन में कामयाबी के साथ प्रवेश करने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण मिल सके।

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य माथुर साहब ने कहा मैं समझता हूं कि जहां तक विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक सेवा करने का सम्बन्ध है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। आवश्यकता आज इस बात के देखने की है कि कैसे विद्यार्थियों में आज जो व्यवहारिक ज्ञान की कमी दिखाई देती है उसको पूरा

[श्री श्रीनारायणदास]

किया जाय और उसके लिए शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन वांछनीय हैं। हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हुए व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करे और उसका समाज के साथ पूरा सम्पर्क स्थापित हो सके। आज जरूरत इस बात की है कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों का फिर से अध्ययन करे और प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि से लेकर कालिज शिक्षा तक की अवधि में विद्यार्थियों को यदि सामाजिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा कारगर होगी।

प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से सामाजिक सेवा करने के वास्ते एक वर्ष का समय अलग निकाले जाने का सुझाव मेरी समझ में अव्यवहारिक है और विद्यार्थियों में एक रस्ता पैदा करने के बजाय उनमें यह भावना पैदा करेगा कि यह चीज ऊपर से लादी जा रही है लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन किये जायें और अपने विद्यार्थी काल में सामाजिक काम करने का उन्हें मौका दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे और इसके प्रति लोगों का बुरा ख्याल पैदा नहीं होगा। अभी एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि अनिवार्य रूप से जो काम कराने की कोशिश की जाती है उसमें विद्यार्थियों को रस पैदा नहीं होता है और उसके प्रति उनके दिलों में विरोध की भावना उत्पन्न होती है। वर्तमान प्रताव से हमारे विद्यार्थियों के दिलों में यह भावना पैदा हो सकती है कि डिग्री देने के लिए सरकार हमसे अनिवार्य रूप से एक साल की बेगार करवाना चाहती है। जहां तक प्रस्ताव के सिद्धान्त और उद्देश्य का सम्बन्ध है इसके बारे में किसी को विरोध नहीं हो सकता है लेकिन अगर विद्यार्थी समाज में यह भावना पैदा हो गई कि सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई चीज लादना चाहती है और उनका एक साल का समय इस बेगार को करवाने के लिए लेना चाहती है तो भले ही प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो उस उद्देश्य के पूरा होने में बाधा पड़ेगी और उस उद्देश्य के बरखिलाफ काम होगा।

आवश्यकता इस बात की है और जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा भी है शिक्षा के पाठ्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन किया जाय। दूसरे देशों का अनुभव भी यह बतलाता है कि उन्होंने अपने वहां सामाजिक सेवा को शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अंग बना दिया है। सामाजिक काम को स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालयों के जीवन का एक अंग बना दिया है। ऐसा होने से विद्यार्थियों को इस बारे में किसी प्रकार का दबाव नहीं मालूम पड़ेगा और किसी तरह की दुर्भावना इस योजना के प्रति पैदा नहीं हो सकेगी।

इस सम्बन्ध में वित्त की भी बात उठाई गई है। विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक सेवा करने के लिए अलग से यदि एक साल का समय निकाला जाता है तो इस योजना को चलाने के लिए हमें करोड़ों रुपयों का प्रबन्ध करना होगा। आज देश की मौजूदा हालत में लोगों की भावना यह हो रही है कि अगर किसी प्रकार के टैक्स बढ़ाये जाते हैं तो वे उनको देना नहीं चाहते हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम इस काम के वास्ते देश और समाज पर करोड़ों रुपयों का बोझ लादने की कोशिश करेंगे तो विद्यार्थियों के प्रति लोगों की दुर्भावना ही पैदा होगी।

यह ठीक ही है कि हमारे मुल्क में बुनियादी तालीम को सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको बढ़ावा दें और अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर सामाजिक काम करने का मौका दें तो हम अपने उद्देश्य में अवश्य कामयाब होंगे। यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि सिर्फ किताबी ज्ञान देने की जो कोशिश की जाती है वह ज्यादा कारगर नहीं

होती है लेकिन अगर उनको काम करा कर शिक्षा दी जाय तो वह ज्यादा कारगर होती है और उनका मानसिक विकास भी सही तरीके से होता है। किताबी ज्ञान स्थायी नहीं होता और वह महज तोता रटन्त हो जाता है और वह समाज के लिए लाभप्रद नहीं होता है।

इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव के पीछे जो सिद्धान्त है उसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार ने एक कमेटी बैठायी थी। सरकार इस बात की जांच कराने के लिए यदि जरूरत समझे तो उच्च स्तर पर फिर एक कमेटी बैठा सकती है जो कि इस बारे में जांच करे कि यह योजना कहां तक उपादेय और फीजेबुल है और यह संभव भी हो सकती है या नहीं और यदि हो सकती है तो किस तरीके से संभव हो सकती है। उस उच्च स्तर की कमेटी द्वारा फिर इन तामाम बातों पर जांच पड़ताल करवायी जा सकती है और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यदि इस योजना को लागू किया जाय तो वह समाज के लिये ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी।

मैं प्रस्ताव का पूरे तौर से तो समर्थन नहीं करता लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में गम्भीरता से अध्ययन करके और छानबीन करके पाठ्यक्रम में वांछनीय परिवर्तन करेंगे अथवा किसी दूसरे तरह की योजना सामने लायेंगे। वह योजना ऐसी हो जिससे लोगों के दिलों में यह भावना पैदा न हो कि जबरदस्ती सरकार हमारे ऊपर कोई चीज लाद रही है। ऐसी भावना लोगों के दिलों में पैदा न होने देनी चाहिए।

**श्रीमती लक्ष्मीबाई** (विकाराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाई श्री दी० चं० शर्मा युनिवरसिटी स्टूडेंट्स के वास्ते एक साल की सोशल सर्विस कम्पलसरी करने का जो प्रस्ताव लाये हैं उसका मैं अनुमोदन करती हूं। अब इस एक साल की कम्पलसरी सोशल सर्विस करने में हमारी लड़कियों की भी बात आती है और उनको भी यह सोशल सर्विस करनी है। सोशल सर्विस करने का जहां तक ताल्लुक है यह एक अच्छी चीज है और यह होनी चाहिए लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगी कि एक साल इसमें बच्चों का बेकार करना मेरे ख्याल में कुछ उचित नहीं लगता। सोशल सर्विस की भावना जैसा कि हमारे माथुर साहब ने कहा बच्चे में शुरू से ही आनी चाहिए। ६ साल की उम्र से जब कि बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तब से ही यह सोशल सर्विस करने की भावना उसमें भरनी चाहिए लेकिन एक दम से १८, २० या २२ साल के लड़कों को गांवों में ले जाना और उनके लिए एक साल की सोशल सर्विस कम्पलसरी करना मेरे विचार में कुछ उचित नहीं लगता है। इस बारे में मुझे तजुर्बा है कि भारत सेवक समाज और दूसरी वालन्टेरी आर्गनाइज़ेशन्ज़ जब बच्चों काम करने के लिए गांवो में ले जाती हैं, तो एक दो घंटे वे काम करते हैं, लेकिन उन पर डेढ़ दो रुपये प्रति लड़के के हिसाब से खर्च करना पड़ता है। गांव वाले यह शिकायत करते हैं कि ये लोग लेबर करते भी नहीं और पैसा भी ज्यादा खर्च करते हैं। खास तौर पर इलैक्शन्ज के दौरान में हम लोगों ने गांवों वालों से यह सुना कि रोड्ज़ और मकान वग़ैरह बनाने की जो स्कीम्ज़ हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता है, काम भी अच्छा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है। वास्तव में होता यह है कि बच्चों को एक दो घंटे रोक कर फिर लेबर को बुला कर काम करवाया जाता है। इस लिए मैं यह समझती हूं कि सिर्फ़ एक साल सोशल सर्विस का काम करके सर्टिफ़िकेट लेना एक बेकार बात है।

प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव में जो योजना रखी है, उस में लड़कियों का काम क्या होगा, यह मालूम नहीं है। पता नहीं, वह इस बारे में क्या सोचते हैं।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

सिर्फ़ सोशल सर्विस की योजना लागू कर देने से बच्चे अच्छे हो जायेंगे और यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्राइक्स नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। पुराने ज़माने में गुरु के पास रह कर जो अंतर्वासी शिक्षा प्राप्त करते थे, उन को विद्यार्थी कहा जाता था। लेकिन अब विद्यार्थी नहीं हैं। बाज़ार में पढ़ाई होती है और छात्रो को नोट्स दिये जाते हैं। आज-कल लैक्चरार और विद्यार्थी दोनों ही किताबें नहीं पढ़ते हैं। जैसे तैयार कर के दावत में मुंह से केक खाते हैं, वैसे ही आज-कल नोट्स दे कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चो का कैरेक्टर, घर, समाज-सोसायटी और स्कल, इन तीन जगहों में बनता है और इन तीन जगहों में उस को शिक्षा और ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन अब सिर्फ़ बाज़ार में ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी आज की एडूकेशन डिफ़ेक्टिव है और उसमें तब्दीली होनी चाहिए।

मैं देखती हूं कि कालेज में दो साल में दो तीन बार तातील होती है, जो कि कुल मिला कर साल में तीन महीने के करीब होती है। उन को ऐसे ही छोड़ देने के बजाये उन को एक डेढ़ महीना काम करने के लिए गांवों में भेजा जा सकता है। इस प्रकार तीन साल की यूनिवर्सिटी एडूकेशन में तीन महीने के लिए उनको काम पर लगाया जा सकता है।

हम देखते हैं कि गांवो में उगाई और कटाई के मौके पर एग्रीकल्चरल लेबर की बहुत ज्यादा ज़रूरत होती है। उस वक्त हज़ारों आदमियों की ज़रूरत होती है, लेकिन आदमी मिलते नहीं हैं। एक दो हफ्ते काम होता है। इस लिए मेरा सुझाव यह है कि इन बच्चों को गांवों में ले जा कर एग्रोकल्चरल लेबर को मदद दिलाई जाये, जिस का लाभ यह होगा कि उन के द्वारा सोशल वर्क हो जायगा, गांव वालों की मदद हो जायगी और उगाई में वृद्धि हो सकेगी। आज-कल गांवों में कई लोग लेबर न मिलने की वजह से अपनी ज़मीन में पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। इन बच्चों को एक साल के लिए सोशल सर्विस में लगाने के बजाये यह ज्यादा अच्छा होगा कि राशन कार्ड की तरह उन के कार्ड रखे जायें और एक साल में एक महीना उगाई और कटाई के वक्त काम कराया जाये, जो कि उन कार्डों में दर्ज किया जाये। उन दिनों में वे वहीं गांवो में रहें और काम करें।

कई माननीय सदस्य अन-एम्पलायमेंट की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अन-एम्पलायमेंट शहरों में ही है। मुझे तो यह नज़र आता है कि हम यूनिवर्सिटी एडूकेशन पर करोड़ों रुपये खर्च कर के बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि गांवों में काम न करना। मैं जानती हूं कि मेरी कांस्टीट्युएन्सी में ३०६ लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकता है, लेकिन वहां पर कोई टीचर जाता नहीं है, दूसरे काम करने के लिए कोई वहां जाता नहीं है। जिन लोगों को हम एप्वायंट करते हैं, वे कुछ देर के बाद वापस शहरों को लौट जाते हैं और वहां पर शोरो-गुल करते हैं कि हम को काम नहीं मिलता। हमारी शिक्षा में यह डिफ़ेक्ट है कि लड़के-लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांवों में जा कर काम नहीं करना चाहतीं।

जसा कि मैं ने अभी सुझाव दिया है, एक साल का पीरियड सोशल सर्विस के लिए अलग रखने के बजाये अगर सैकंडरी एडूकेशन और फिर यूनिवर्सिटी एडूकेशन की पूरी अवधि में थोड़ा समय बच्चों से काम कराया जाये, तो ज्यादा मुनासिब होगा। इस में ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। माननीय सदस्य, श्री शर्मा, की राय अच्छी है, लेकिन उस पर अमल करने में दिक्कत होगी।

अब हम आर्ट्स के स्थान पर टेक्निकल एडूकेशन पर ज़ोर दे रहे हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्ज़ ज्यादा बना रहे हैं, जिन में हम डाक्टर और साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे देश में आज डाक्टरों और दूसरे टेक्निकल व्यक्तियों की बहुत कमी है और हम उन को तैयार करने में जल्दी कर रहे हैं। इसलिए अगर हम उन को एक साल के लिए रोकेंगे, तो यह अच्छा नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य, श्री शर्मा, का रेज़ोल्यूशन देखने में अच्छा है, लेकिन उस पर अमल करने में प्रैक्टिकल डिफ़ीकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि मेरे इन सुझावों पर विचार किया जायगा।

**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** (सागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो यह प्रस्ताव आया है, मैं उस का स्वागत करता हूं। यह प्रस्ताव बहुत सीधा और साफ़ है और प्रस्तावक महोदय ने बड़े साफ़ शब्दों में उस का उद्देश्य और भावना हमारे सामने रखी है। सीधी सीधी बात उन्होंने यह कही कि हम सब के ऊपर कुछ ऋण है और उस ऋण का अदा किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर नहीं दिया कि क्या खर्च पड़ने वाला है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर नहीं दिया कि विश्वविद्यालयों में या कालेजों में एडूकेशन खराब हो रही है। उन के प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश का नौजवान, जो कि शिक्षा प्राप्त कर के डिग्री पाने की मंज़िल तक पहुंचता है और इस देश का बहुत सा रुपया अपने ऊपर खर्च करता है, यह ठीक है कि आने वाली ज़िन्दगी में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर के उस कर्ज़ की अदायगी करेगा, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि वह अपने आप को डिग्री के लिए क्वालिफ़ाई करने से पहले उस भावना का सुबूत तो पेश करे कि जिस समाज ने उसे शिक्षा दे कर उस मंज़िल तक पहुंचाया है, उस समाज का कर्ज़ वह अपने आप पर स्वीकार करता है।

आज देश की ग़रीबी की स्थिति में, उस स्थिति में, जब कि हम को अपने देश को उठाना है और देश को उठाने के लिए जब कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, यह बहुत ज़रूरी है कि उन नौजवानों को, जिन को हम अपने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ग़रीब जनता के पैसे से शिक्षित करते हैं, एक बर्ष के लिए गांवों में भेजा जाये और यह देखा जाये कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, उस को वे समाज के अभ्युत्थान के लिए कहां तक प्रयुक्त करते हैं। इस से उन की कर्ज़ की अदायगी की मंशा ज़ाहिर होगी।

आज हमारा देश कितने दुःख और दर्द में पड़ा हुआ है। अविद्या का घटाटोप अंधकार हमारे गांवों में फैला हुआ है। लोगों और मवेशियों में बीमारियां हैं और गन्दे मकानों और झोंपड़ियों में वे रहते हैं। जिस व्यक्ति ने डाक्टर की डिग्री के लिए अपने आप को क्वालिफ़ाई किया है, क्या वह वहां पर जा कर उन ग़रीबों की दवा-दारू करने में मदद नहीं कर सकता ? जिस व्यक्ति ने शिक्षा की डिग्री के लिए अपने आप को क्वालिफ़ाई किया हुआ है, क्या वह वहां जा कर ज्ञान के प्रसार में सहायक नहीं हो सकता ? आज वहां पर नंगे बच्चों के शरीर रोगों से जर्जरित हो रहे हैं। उन को नहाना नहीं आता है, कपड़े पहनना नहीं आता है, एक हाईजिनिक तरीके से भोजन करना नहीं आता है। क्या वह आदमी, जो कि विद्यालय या विश्वविद्यालय से निकल रहा है, गांवो में जा कर हमारे उन बच्चों को उस तरह को शिक्षा दे कर उन्हें एक सुखद और स्वस्थ जीवन की तरफ़ लाने में सहायक नहीं हो सकता ?

माननीय सदस्य, श्री माथुर, ने कहा कि ये कच्चे लोग वहां पर जा कर क्या करेंगे और यह कि वे वहां पर केओस पैदा कर देंगे। मुझे उन की बात पर ताज्जुब होता है। अगर हमारी यूनि-

वर्सिटीज़ और हमारे नौजवानों के सम्बन्ध में, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकले तरुणों के सम्बन्ध में यह ख़याल है, तो अच्छा होता कि ये विद्यालय और विश्वविद्यालय बन्द करने की बात कही जाती । यह ठीक है कि वेरा हैं और उन को ज़िन्दगी का अनुभव नहीं है, लेकिन उन मे जज़बात की शून्यता होगी, ऐसा मैं नहीं मानता । मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि आज के युवक को हम ने ठीक तरह से शिक्षित करने की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है । यह बात ठीक है। लेकिन फिर भी हम इतने बेजिम्मेदार नहीं हैं कि गांवों के वातावरण में पहुंच कर दुःख और दर्द से भरी हुई दुनिया में जा कर हम यह न समझ सकें या हमारा युवक यह न समझ सके कि उसका क्या फ़र्ज़ है । मैं समझता हूं कि अगर उन को वहां भेजा जाता है तो एक कोरेक्टिव का यह काम देगा ।

आज के विद्यालय और विश्वविद्यालय विलास के वातावरण में बने हुए हैं । दुर्भाग्य से हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे यहां विश्वविद्यालयी शिक्षा का, उच्च शिक्षा का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में यह चीज़ विरासत में हमें मिली है । जब हम शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग उस पुरानी रट से बाहर नहीं निकलते हैं और हम उसी दिशा में सोच पाते हैं । वैसी ही आलीशान इमारतें बनाने की बात हम करते हैं, वैसा ही शान और शौकत का वातावरण हम वहां पैदा करते हैं । हम चाहे इससे जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करते हों, जितना भी बाहर निकलने की बात को सोचते हों हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं । यह बात हमारी मर्जी के प्रतिकूल बच गई है और यह बात हमारे अन्दर और भी ज्यादा घुसती जा रही है और न सिर्फ घुसती जा रही है, बल्कि मजबूत से मजबूत होती जा रही है । इस तरह से पढ़ कर जब युवक निकलता है, तरुण निकलता है तो जहां हिन्दुस्तान का हृदय बसता है, उस हृदय से वह अवगत नहीं हो पाता है । वह विलास के वातावरण में रहता है और चाहता है कि उसकी जिन्दगी विलास-मय बनी रहे । शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य जो औसत का तरुण समझने लगता है यह समझने लगता है कि वह अपने आप को सुखी बना ले और वह यह इसलिये समझने लग जाता है कि उस के चारों ओर का वातावरण सुखमय है । ऐसी दशा में दुःख और दर्द जैसी भी कोई चीज़ है, इसका उसे कोई भान नहीं हो पाता । मैं समझता हूं कि एक कोरेक्टिव इफैक्ट इस चीज़ का होगा अगर हम नौजवानों को यह मौका देते हैं कि वे गांवों में जायें और गरीबी और दुख दर्द में पड़े हुए आदमियों के बीच में रहें । इस से उस की आत्मा शुद्ध होगी और इस का एक अच्छा प्रभाव उस पर पड़ेगा । एक अंधेरा जो उस के चारों तरफ छाया हुआ है और जिसे हम अंधेरा समझते हैं वह दूर होगा । एक चका-चौंध, चाहे तरक्की की चकाचौंध वह है, इस चकाचौंध ने उस के मन से देश के वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है और इस को हमें दुरुस्त करना है । उस की वृत्ति विलास की तरफ झुक रही है और उस की वजह यही है । इस झुकाव को हमें बदलना होगा । मैं समझता हूं कि अगर आप नौजवानों को गांवों में भेजेंगे तो यह एक कोरेक्टिव का काम देगा ।

मेरे विचार में इस के कई लाभ होंगे । तरुणों को डिग्री देने से पहले अगर गांवों में भेजा जाता है तो इस का एक लाभ तो यह होगा कि लाखों की तादाद में शिक्षित नौजवान बहुत थोड़े से रिम्युनरेशन पर काम करने के लिये मिल जायेंगे जिस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत ह । कितना पिछड़ापन हमारे यहां है, इस का वे अंदाजा लगा सकेंगे और इस को दूर करने में सहायक हो सकेंगे । अविद्या की चट्टान हमारे यहां है जिस को हटाना है । रोग फैले हुए हैं, उन का इलाज करना है । निर्माण के कामों के लिये हमें जनशक्ति की आवश्यकता है । ये सब चट्टानें हैं जिन को या तो हमें

हटाना है या उन को पार करना है । नौकर लगा कर सब चट्टानों को हटाया या पार नहीं किया जा सकता है । हज़ारों लाखों की तादाद में हमें आदमी चाहियें । अविद्या की चट्टान को उठा कर फैंक देने के लिये हमें लोग की आवश्यकता ह । दम घोटने वाली चट्टान को समाज की छाती पर से उठा कर फेंक देने के लिए हमें लाखों आदमी चाहियें । इतना पैसा तो देश के कौफर्ज़ मे नहीं है । इन सब कामों के लिये इतना रुपया टैक्सेशन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है । अगर हम उन आदमियों को जिन के ऊपर हम ने रुपया खर्च किया है, वहां भेजते हैं, चट्टानें हटा कर दूर फैंक देने के लिये और समाज को राहत पहुंचाने के लिये तो मैं समझता हूं कि इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं होनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में डेमोक्रेसी की बहुत चर्चा की जाती है । डिक्टेटरशिप का जनून जिन लोगों के दिमागों में है, उन दिमागों से जब डैमोक्रेसी की चर्चा होती सुनाई देती है तो ताज्जुब होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपनी जिन्दगी में कई तरह के कम्पलशंज़ से बंधे हुए नहीं हैं और क्या हम इन कम्पलशंज़ के समर्थक नहीं हैं । यह ठीक है कि हम हर कम्पलशन के समर्थक नहीं हैं । लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कम्पलशंज़ हैं जिन से हम बंधे हुए हैं । कौन आदमी अपनी मर्जी का मुख्तार है । हर आदमी को समाज के अन्दर चलना और अपने गृहस्थ के अन्दर रहना होता है । गृहस्थी के अन्दर सब आदमी बंधे होते हैं इस सदन में हम जो बैठे हैं, क्या बेलगाम हो कर बातें कह सकते हैं और क्या बेलगाम हो कर बोलने का हमें हक दिया जाना चाहिये । यह जरूरी है कि हम पर बंदिशें हों । कल्याण के लिये हम ने डेमोक्रेसी को अपनाया है और कल्याण के लिये फ्रीडम आवश्यक होती है । और अगर उस कल्याण की खातिर हम को इधर उधर अपनी फ्रीडम पर थोड़ी बहुत रुकावटें लगानी पड़ें तो मैं समझता हूं कि वह एक लाज़िमी चीज़ होगी । इस तरह से अगर हमने डेमोक्रेसी के बारे में नारेबाज़ी लगाई तो यह डेमोक्रेसी भी खत्म हो सकती है, आज़ादी भी खत्म हो सकती है । इस तरह की बातें कह कर, इस तरह की नारेबाज़ी कर के एक अच्छा कदम जो हम उठाना चाहते हैं और जो देश के लिये, समाज के लिये मुफीद साबित हो सकता है, उस कदम को हम रोकते हैं या उस को रोकने के लिये हमें विवश किया जाता है तो इसे मैं एक प्रकार का दकियानूसीपन समझता हूं । डेमोक्रेसी या और भी दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, वे सब की सब समाज के साथ सम्बद्ध हैं । अगर कोई चीज़ समाज के हित में है, समाज को सुखी बनाने में सहायक हो सकती है, तो उस चीज़ को हम उसी क्षण तक और उसी सीमा तक अपनाना चाहेंगे और उसी सीमा तक उस की रक्षा करना चाहेंगे और उसी सीमा तक उस के आगे माथा झुकायेंगे जिस सीमा तक कि वह समाज के कल्याण के लिये होती है और अगर वह समाज के विकास के मार्ग में, समाज के कल्याण के मार्ग में किसी तरह भी बाधक होती है तो हमें सोचना होगा कि उस को कहां तक जिन्दगी में अपनाया जाय । नौजवानों को कम्पलसैरिली गांवों में भेजे जाने से अगर डेमोक्रेसी की दुहाई दे कर, फ्रीडम की दुहाई दे कर रोका जाता है तो मैं इसे एक गलत बात समझता हूं । जब युद्ध का वक्त होता है तब क्या यह जरूरी नहीं होता है और क्या यह लाजिमी नहीं हो जाता है किसी भी देश के लिये कि वह अपने देश के नौजवानों का आह्वान करें कि वे मोर्चे पर जायें और जो दुश्मन है, उस का मुकाबला करें, उस को मार भगायें, अपनी पूजा को छोड़ कर के, अपने अध्ययन को छोड़ करके उसका मुकाबला करने के लिए युद्ध स्थल में कूद पड़ें । उस समय डैमोक्रेसी की दुहाई देना, कंस्क्रिपशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, कोई भी जिम्मेदार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा । आज जबकि अविद्या के खिलाफ हमें मोर्चा लगाना है, आज जब कि हम को देश को विकास की मंजिल पर आगे बढ़ाना है, तो यह काम हमें करना होगा । इस पिछड़े हुए देश के हज़ारों लाखों आदमियों को यह आज खयाल भी नहीं है कि सूरज उदित हो गया है और उन का क्या फ़र्ज़ है, खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाय, दूसरे काम कैसे किये जायें । बहुत से लोगों को इस चीज़ का भी पता नहीं है कि

पानी जो बेतहाशा बहा जा रहा है, उसे कैसे रोका जा सकता है और किस तरह से उस से जमीन सींची जा सकती है। बहुत से लोगों को इस की तमीज़ नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग कालेज के आदमी को जिस ने क्वालिफाई किया है इंजीनियरिंग की डिग्री के लिये अपने आप को, गांव में भेजते हैं तो वह वहां जा कर लोगों को बता सकता है कि यह जो नदी है इस को इस तरह से बांधा जा सकता है और इस तरह से इस के पानी से जमीन सींची जा सकती है। अगर इस को इस काम के लिये लाजिमी तौर पर भेजा जाता है तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई की बात नहीं होगी, यह देश के लिए एक मुफीद चीज़ होगी।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा जी ने रखा है, उस का मैं समर्थन करता हूं।

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: मैं श्री दी० चं० शर्मा को इस संकल्प के प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। वस्तुतः सरकार इस प्रश्न पर पिछले तीन वर्षों से विचार कर रही है। यह भावना सर्वप्रथम प्रधान मंत्री के मस्तिष्क में आई थी और उन्होंने १९५८ में मुख्य मंत्रियों को लिखे गये एक पत्र में लिखा था 'कि हमारी जनता के हित में यह बहुत अच्छा होगा यदि एक विशेष अवस्था के युवक युवतियों को अनिवार्य समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जाये। पाश्चात्य देशों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण नहीं समझा जाता। तथापि हम चाहते हैं कि इस के स्थान में हमारे देश में अनिवार्य समाज सेवा आवश्यक बनायी जायें।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

## कार्य मंत्रणा समिति

### उनहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री राने (बुलडाना)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

**इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, १९ मार्च १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२
२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ६३ | चीन की आकाश सीमा का अतिक्रमण | २६३—६५ |
| ६७ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था | २६५ |
| ६८ | सुरक्षा परिषद् के समक्ष काश्मीर का मामला | २६५–६६ |
| ६९ | तिब्बत में पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजन | २६६–६७ |
| ७० | हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हड़ताल | २६७–६८ |
| ७१ | पाकिस्तान से निकाला गया भारतीय पत्रकार | २६८–६९ |
| ७२ | नागालैन्ड में मारे गये आरक्षी कर्मचारी | २६९–७० |
| ७४ | पाकिस्तान को अम्बर चरखे का निर्यात | २७० |
| ७६ | पुराना किला में शरणार्थी | २७०–७१ |
| ७७ | ऋषिकेश में औषधियों के उत्पादन का संयंत्र | २७२–७३ |
| ७९ | दिल्ली में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये बस्ती | २७४–७५ |
| ८१ | अखबारी कागज़ के नियंत्रण का आदेश | २७५—७७ |
| ८२ | "दिल्ली में पुनर्वास" नामक पुस्तिका | २७८—८० |
| ६१ | संयुक्त राष्ट्र के बाण्ड खरीदना | २८०–८१ |
| ६५ | बेरूबाड़ी का हस्तांतरण | २८१—८३ |
| ६४ | 'जनता कार' | २८३—८५ |
| ७३ | कोयला खान भविष्य निधि योजना | २८५–८६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | २८६—३०२ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ६२ | रूई की कमी | २८६ |
| ६६ | जापान को लौह अयस्क का निर्यात | २८६–८७ |
| ७५ | चीन-नेपाल सीमा सन्धि | २८७ |
| ७८ | किराया-खरीद पद्धति के अन्तर्गत मकान | २८७ |
| ८० | घड़ियों का निर्माण | २८८ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | |
| **तारांकित** | | |
| **प्रश्न संख्या** | | |
| ८७ | कपड़ा, कागज़ और रेयन का निर्माण | २८८–८९ |
| ८८ | भारतीय सांख्यिकीय संस्था . . . | २८९ |
| ८९ | भारतीय पत्रकार से नेपाल छोड़ने के लिये कहा जाना | २८९ |
| ९० | गोआनी सैनिकों से मिले हथियार | २८९ |
| ९१ | जहाज़ों के डीजल इंजन . | २८९–९० |
| ९२ | पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति . . | २९० |
| ९३ | भारतीय सुरक्षा प्रहारियों का अपहरण . . | २९० |
| ९४ | गोआनी जनता को सहायता . . | २९१ |
| ९५ | गोआ . . . . | २९१ |
| ९६ | हड़तालों के कारण जन-शक्ति का ह्रास | २९१–९२ |
| ९७ | पश्चिम पाकिस्तान से "लाकर्स" | २९२ |
| ९८ | गोआ के लिये प्रवेश अनुमति पत्र | २९२ |
| ९९ | दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी . . | २९२–९३ |
| १०० | दिल्ली के डी० आई० जी० क्षेत्र का पुनः आयोजन . | २९३ |
| १०१ | सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमो को पुरस्कार . . | २९३–९४ |
| १०२ | राजस्थान में ऊन उद्योग के लिये राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रतिष्ठान . | २९४ |
| १०३ | पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में चीनियों द्वारा कब्जा . | २९४ |
| १०४ | कनिष्ठ कर्मचारी-परिषदें . | २९४–९५ |
| १०५ | कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें | २९५ |
| १०६ | कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें | २९५ |
| १०७ | कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें | २९६ |
| १०८ | कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें | २९६ |
| १०९ | कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें . . | २९७ |
| ११० | कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें . . . . | २९७ |
| १११ | ५७ ट्रांसमीटरों का स्थापित किया जाना . . | २९७–९८ |
| ११२ | सिन्दरी उर्वरक कारखाना | २९८ |
| ११३ | रूरकेला उर्वरक परियोजना . . | २९९ |
| ११४ | पाकिस्तान से जिप्सम की खरीद . | २९९–३०० |

**विषय** **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

**अतारांकित**

**प्रश्न संख्या**

११५ दक्षिण अफ्रीका . . . ३००

११६ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां को निमंत्रण . ३००

११७ मुनीरका में सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर . ३००–०१

११८ चाय का उत्पादन और कीमत . ३०१

११९ फालतू चाय . . . ३०१–०२

१२० अमरीका को चाय का निर्यात . . . ३०२

१२१ कांगड़ा में अखबारी कागज़ का कारखाना . . ३०२–०२

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . . ३०३–०४

श्री प्र० गं० देब ने नेपाल के विदेश मंत्री के उन वक्तव्यों की ओर जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस द्वारा नेपाल सरकार-विरोधी कार्यवाहियां भारत के अन्दर से नेपाल सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्री चला रहे हैं, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . ३०४–०६

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत और चीन के तिब्बत प्रदेश के बीच व्यापार और आवागमन पर १९५४ के भारत-चीन करार के नवीकरण के बारे में चीन सरकार का दिनांक ३ दिसम्बर, १९६१ का टिप्पण ।

(दो) भारत सरकार का दिनांक १५ दिसम्बर, १९६१ का उत्तर ।

(तीन) वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का चीन सरकार को दिनांक २५ जनवरी, १९६२ का विरोध-पत्र ।

(चार) चीन सरकार का उनकी वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में दिनांक २४ जनवरी, १९६२ का विरोध-पत्र ।

(पांच) भारत सरकार का दिनांक २२ फरवरी, १९६२ का उत्तर ।

(छै) भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में चीन सरकार के दिनांक ३० नवम्बर, १९६१ के टिप्पण के उत्तर में भारत सरकार का दिनांक २६ फरवरी, १९६२ का उत्तर ।

(सात) वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का दिनांक ९ मार्च, १९६२ का विरोध-पत्र ।

**विषय** **पृष्ठ**

(आठ) चीनी विमान द्वारा वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का दिनांक १० मार्च, १९६२ का विरोध-पत्र ।

(नौ) वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में चीन सरकार का दिनांक ४ जनवरी, १९६२ का विरोध-पत्र ।

(दस) चीनी विमान द्वारा वायु-सीमा के अतिक्रमण के बारे में भारत सरकार का दिनांक १० मार्च, १९६२ का उत्तर ।

(ग्यारह) चीन सरकार का दिनांक २६ फरवरी, १९६२ का नोट ।

(बारह) भारत सरकार का दिनांक १३ मार्च, १९६२ का उत्तर ।

(२) भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता की वर्ष, १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(३) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) पहला विवरण . . पन्द्रहवां सत्र, १९६१

(दो) अनुपूरक विवरण, संख्या ३ . चौदहवां सत्र, १९६१

(तीन) अनुपूरक विवरण, संख्या १० . तेरहवां सत्र, १९६१

(चार) अनुपूरक विवरण, संख्या ११ . बारहवां सत्र, १९६०

(पांच) अनुपूरक विवरण, संख्या १४ . ग्यारहवां सत्र, १९६०

(छै) अनुपूरक विवरण, संख्या १९ . दसवां सत्र, १९६०

(सात) अनुपूरक विवरण, संख्या १९ . नवां सत्र, १९५९

(आठ) अनुपूरक विवरण, संख्या २६ . सातवां सत्र, १९५९

(४) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्निलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) अन्तर्दाह इंजनों और शक्ति चालित पम्पों, एयर कम्प्रेसर, और पंखे और बायलर सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) बिजली के भारी सामान के उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ग) बिजली के हलके सामान संबंधी विकास परिषद् की १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(घ) मशीनी औजार संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ङ) मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी के पुर्जे तथा परिवहन गाड़ियों के उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(च) भारी रसायनों (तेजाब और उर्वरक) संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(छ) चीनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ज) ऊन उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(झ) कृत्रिम रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ट) भेषज तथा औषधियों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ठ) खाद्य पदार्थ तैयार करने के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ड) अलोह धातुओं तथा मिश्रित धातुओं संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ढ) चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(त) ओरगेनिक कैमिकल उद्योगों संबंधी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(थ) बाइसाइकलों, सिलाई की मशीनों और औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।]

(द) कागज, लुगदी और सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ध) क्षार तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(न) तेल, साबुन और रंग-रोगन सम्बन्धी विकास परिषद् की [वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(प) मशीन निर्माण उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का प्रतिवेदन ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारतीय हस्तकला विकास निगम लिमिटेड

पृष्ठ

नई दिल्ली की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

**लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित** . . . ३०७

चालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

**प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित** . ३०७

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

**सदस्यों द्वारा त्यागपत्र** . . . . . ३०७

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को सूचित किया कि निम्नलिखि सदस्यों ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है :—

(१) श्री झूलन सिंह

(२) श्री चन्द्र शंकर

**सभा का कार्य** . . . . . ३०७—०८

**राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** . . . ३०८—२९

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**गैर सरकारी सदस्य का संकल्प वापिस लिया गया** . . . ३२९—३२

डा० राम सुभग सिंह द्वारा ८ दिसम्बर, १९६१ को प्रस्तुत किये गये अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प पर चर्चा पुनः आरम्भ हो कर समाप्त हुई । संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

**गैर सरकरी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत** ३३२

बानवेवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

**गैर सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन** . . . ३३२—५०

श्री दीवान चंद शर्मा ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित** . . . ३५०

उनहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

**सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि**

(१) वर्ष १९६१-६२, सामान्य आयव्ययक, के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें, उन पर चर्चा और मतदान ।

(२) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा ।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उनका पारित किया जाना—

(क) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक ;

(ख) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक ;

(ग) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक ।

———

GIPND—LS-III—1979(Aii)L S— 5-4-62—125.